

एनबीए के बारे में

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना 2003 में भारत के जैव विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए की गई थी। एनबीए एक सांविधिक निकाय है और यह संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के मुद्दों पर भारत सरकार के लिए सुविधाजनक, नियामक और सलाहकार कार्य करता है।

जैव विविधता अधिनियम (2002) एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन को अधिदेशित करता है, जिसमें एनबीए जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान साझाकरण से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करता है। एनबीए राज्य सरकारों को धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैवविविधता महत्व के क्षेत्रों के चयन और ऐसे विरासत स्थलों के प्रबंधन के उपायों की सलाह भी देता है।

राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान बंटवारे से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश के अधीन राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

एसबीबी भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध प्रदान करके भी विनियमित करता है। स्थानीय स्तर की जैवविविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी) पर्यावासों के परिरक्षण, भू-प्रजातियों के संरक्षण, लोक किस्मों और कृषकों, पालतू पशुओं और सूक्ष्मजीवों के स्टॉक और नस्लों और जैव विविधता से संबंधित ज्ञान के कालक्रम सहित जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी हैं।

एनबीए का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है, एक संरचना के माध्यम से अपना जनादेश वितरित करता है जिसमें प्राधिकरण, सचिवालय, एसबीबी, बीएमसी और विशेषज्ञ समितियां शामिल हैं। अपनी स्थापना के बाद से, एनबीए ने 29 राज्यों में एसबीबी के निर्माण का समर्थन किया है और स्थानीय स्तर पर 2,77,329 बीएमसी की स्थापना की सुविधा प्रदान की है और पूरे देश में 2,67,585 पीबीआर तैयार किए गए हैं।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण



वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023



राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट **2022-2023**



मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
और
श्रम एवं रोजगार
भारत सरकार



MINISTER
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
AND
LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV



संदेश

मुझे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

भारत दुनिया के मान्यता प्राप्त मेगा-विविध देशों में से एक ऐसा देश है, जो दुनिया की लगभग 8% दर्ज प्रजातियों को आश्रय देता है। इतना ही नहीं, विश्व स्तर पर पहचाने गए 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 भारत में है। भारत जैविक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का भी एक विशाल भंडार है।

जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को मजबूत कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम अधिनियमित किया गया था और बाद में 2023 में इसमें संशोधन किया गया था। इसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी); और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी); और जमीनी स्तर पर 2,77,688 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के माध्यम से लागू किया जाता है। मेरा मानना है कि ये संस्थान उपर्युक्त अधिनियम के तहत प्रदान की गई पहुंच और लाभ साझाकरण तंत्र के माध्यम से स्थानीय समुदायों की आजीविका बढ़ाने और सामाजिक व आर्थिक स्थितियों के उत्थान में काफी योगदान देंगे। ये कदम व्यक्तिगत प्रयासों को एकजुट करके जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की संकल्पना को साकार करता है।

भारत सरकार जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके संधारणीय उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जहां एक तरफ विकास हो वहीं दूसरी तरफ इससे होने वाले लाभ पर्यावरण संरक्षण करने वाले समुदायों को प्राप्त हो। मुझे विश्वास है कि सभी प्रमुख क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण को मुख्य धारा में लाना और मानव कल्याण को बढ़ावा देना, समावेशी वृद्धि और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होंगे।

तारीख : 12.01.2024

(भूपेन्द्र यादव)

पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, फोन : 011-20819190, 011-20819225, फैक्स: 011-20819299
Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819190, 011-20819225, Fax : 011-20819299
ईमेल / E-mail : mefcc@gov.in





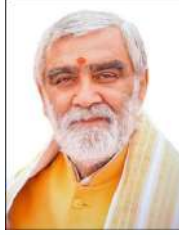
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey



आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धिः
समृद्धिः
एक कदम स्वच्छता की ओर

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA



संदेश

जैव विविधता हमारे जीवन का आधार है और हम अपने भोजन, पानी, चिकित्सा, स्थायी जलवायु और आर्थिक विकास के लिए इस पर निर्भर हैं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का आधे से अधिक भाग प्रकृति पर निर्भर है; एक अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए जैव विविधता पर निर्भर करते हैं।

यहां तक कि वेदों, उपनिषदों, अर्थशास्त्र, बृहत् संहिता, रामायण, महाभारत और राजतरंगिणी जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में "प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने" पर महत्व दिया गया है, जो जैव पारिस्थितिकी और इसके सतत संरक्षण की अवधारणा को दर्शाते हैं। हमारा 'स्वस्ति वचन' भी संरक्षण के विचार का प्रतीक है - हम प्रकृति, विशेष रूप से पृथ्वी, नदियों और वनस्पति (वनस्पतयः शांतिः) में शांति बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं।

जैव विविधता की हानि की समस्या का समाधान करते हुए प्रकृति में निवेश करना प्रभावी और लाभदायक दोनों साबित हो सकता है। भारत उन देशों में अग्रणी है, जिन्होंने इस नुकसान की भरपाई करने की चुनौती स्वीकार की है।

वर्ष 2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 28 के अनुसार तैयार की गई है, जो राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय स्तरों पर जैव विविधता अधिनियम को कार्यान्वित करने पर हुई प्रगति पर प्रकाश डालती है। मुझे उम्मीद है कि यह रिपोर्ट सभी हितधारकों, जिनमें जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका बढ़ाने वाले लोग भी शामिल हैं, के लिए उपयोगी होगी।

(अश्विनी कुमार चौबे)

कार्यालय: 5वां तल, आकाश विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-20819418, 011-20819421, फैक्स: 011-20819207, ई-मेल: mos.ako@gov.in
Office: 5th Floor, Aakash Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819418, 011-20819421, Fax: 011-20819207, E-mail: mos.ako@gov.in
कार्यालय: कमरा नं. 173, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष: 011-23380630, फैक्स: 011-23380632
Office: Room No. 173, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel.: 011-23380630, Fax: 011-23380632
निवास: 30, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-23794971, 23017049
Residence: 30, Dr. APJ Kalam Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-23794971, 23017049





लीना नन्दन
LEENA NANDAN

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
& CLIMATE CHANGE



प्रस्तावना

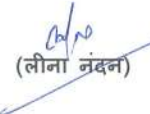
वृहत् मानव आबादी के साथ-साथ मौजूद विविधतापूर्ण पारि-प्रणालियों और विविध आनुवंशिकी एवं प्रजातियों की व्यापकता से समृद्ध देश भारत में जैवविविधता संरक्षण का अत्यधिक महत्व है।

जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के बीच का संबंध जैविक है। जलवायु परिवर्तन जैव विविधता की क्षति में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए समाधान भी प्रदान करती है। पारि-प्रणाली संबंधी दृष्टिकोण का विशेष महत्व है, जिसमें भूमि, जल और जीवत संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण निहित है और पारि-प्रणालियों का सम्यक तरीके से संधारणीय उपयोग भी शामिल है।

जैविक विविधता संबंधी कन्वेंशन के 'कॉप-15' में अपनाए गए 'कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ)' का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ इसकी बहाली और संधारणीय उपयोग में सहायता प्रदान करना है। इसमें सुझाई गई कार्रवाइयों से संधारणीय विकास लक्ष्यों के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

भारत, अपने भरण-पोषण के लिए जैव संसाधनों पर निर्भर स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुरक्षित करते हुए अपनी जैव विविधता को प्रभावकारी रूप से संरक्षित करने के लिए सीबीडी का एक पक्षकार देश होने के नाते, केएमजीबीएफ के अनुरूप अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतिक कार्य योजना में संशोधन कर रहा है।

वर्ष 2022-2023 की अवधि की राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की वार्षिक रिपोर्ट में हमारे देश के हित के लिए जैविक संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और उपयोग के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसके योगदान को दर्शाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि एनबीए जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।


(लीना नंदन)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18.01.2024

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110 003 फोन : (011)-2081-9408, 2081-9308, फैक्स : (011)-2081-9238
INDIRA PARYAVARAN BHAVAN, JOR BAGH ROAD, NEW DELHI-110 003, PH. : 011-2081-9408, 2081-9308, FAX : 011-2081-9238
E-mail : secy-moef@nic.in, Website : moef.gov.in





प्राक्कथन

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, देश में जैव विविधता शासन के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 को तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उदार समर्थन और मार्गदर्शन तथा राज्य जैव विविधता बोर्डों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों और एनबीए की विशेषज्ञ समितियों के सहयोग से अधिनियम को लागू करने के ठोस और ईमानदार प्रयास किए जा रहे हैं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, एनबीए ने 1245 आवेदकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और लगभग 49.83 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की थी। इसके अलावा, एनबीए ने पात्र लाभार्थियों को संवितरण और लाल चंदन अनुसंधान परियोजनाओं को 23.00 लाख रुपये की सहायता के लिए 19 राज्य जैव विविधता बोर्डों और एक संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद को 4.00 करोड़ रुपये जारी किए।

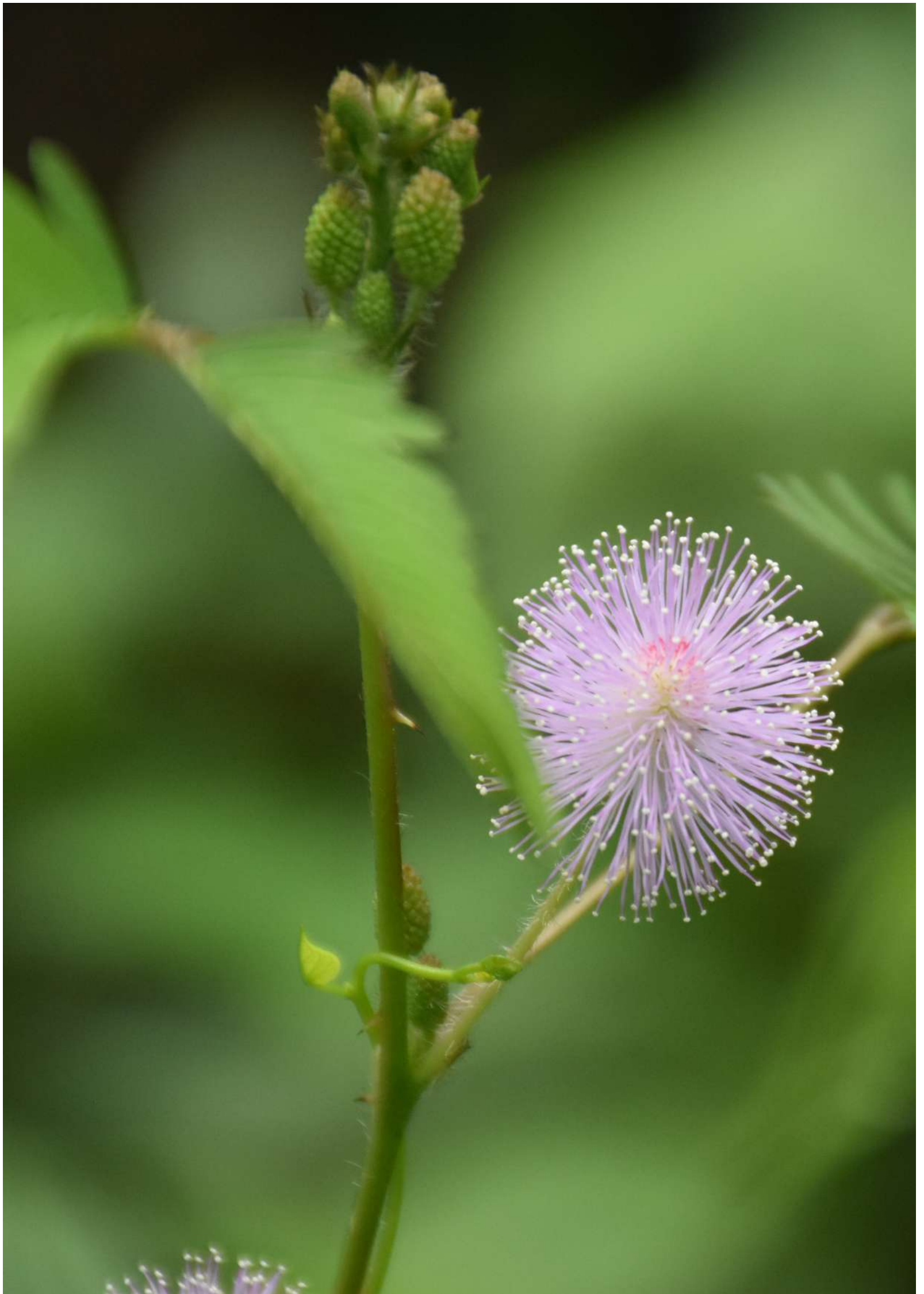
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (फ़ठ), 2022 के उत्सव के अवसर पर, छठ। द्वारा जैव विविधता, पोषण सुरक्षा और मानव कल्याण विषय पर एक जैव विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले बीएमसी सदस्यों ने भाग लिया था। इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री ने किया था। माननीय केंद्रीय मंत्री और भारतीय डाक के पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा एक विशेष कवर जारी किया गया।

विभिन्न विषयों पर गठित विशेषज्ञ समितियों ने विशेष रूप से जैव विविधता अधिनियम, 2002 की जांच करने और उसमें संशोधन सुझाने के लिए कार्यों के निर्वहन में एनबीए का मार्गदर्शन किया है। इस अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने तीन बार बैठक की और महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लिए। उल्लेखनीय है कि कालीकट विश्वविद्यालय के हर्बेरियम को इस अवधि के दौरान बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 39 के तहत रिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

मैं बड़ी संख्या में हितधारकों और पेशेवरों और विशेष रूप से एमओईएफसीसी और राज्य वन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित जैव विविधता परिषद के अध्यक्षों और सदस्यों, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष को उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनकी गहरी सराहना और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। जिसने एनबीए को अपने जनादेश को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। मैं इस अवधि के दौरान यूएनडीपी, जीआईजेड जैसे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के समर्थन की भी सराहना करता हूं। मैं एनबीए को आगे ले जाने के उनके व्यापक प्रयासों के लिए एनबीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना करता हूं।

मुझे रिपोर्टिंग अवधि 2022-2023 के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसके दौरान जैव विविधता अधिनियम, 2002 और संबंधित कानूनी उपकरणों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयासों ने और गति पकड़ी।

श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष





अभिस्वीकृति

वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पावती वार्षिक रिपोर्ट जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 28 के अनुसार तैयार की गई है, जिसमें इस अवधि के दौरान अधिनियम के कार्यान्वयन में उपलब्धियों की झलक के साथ-साथ एनबीए और एसबीबी द्वारा की गई गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।

मैं एनबीए के अध्यक्ष को उनकी बहुमूल्य सलाह, समर्थन और हमारे सभी प्रयासों में निरंतर प्रेरणा के लिए धन्यवाद देता हूं जिनके बिना हम प्रभावी तरीके से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते थे।

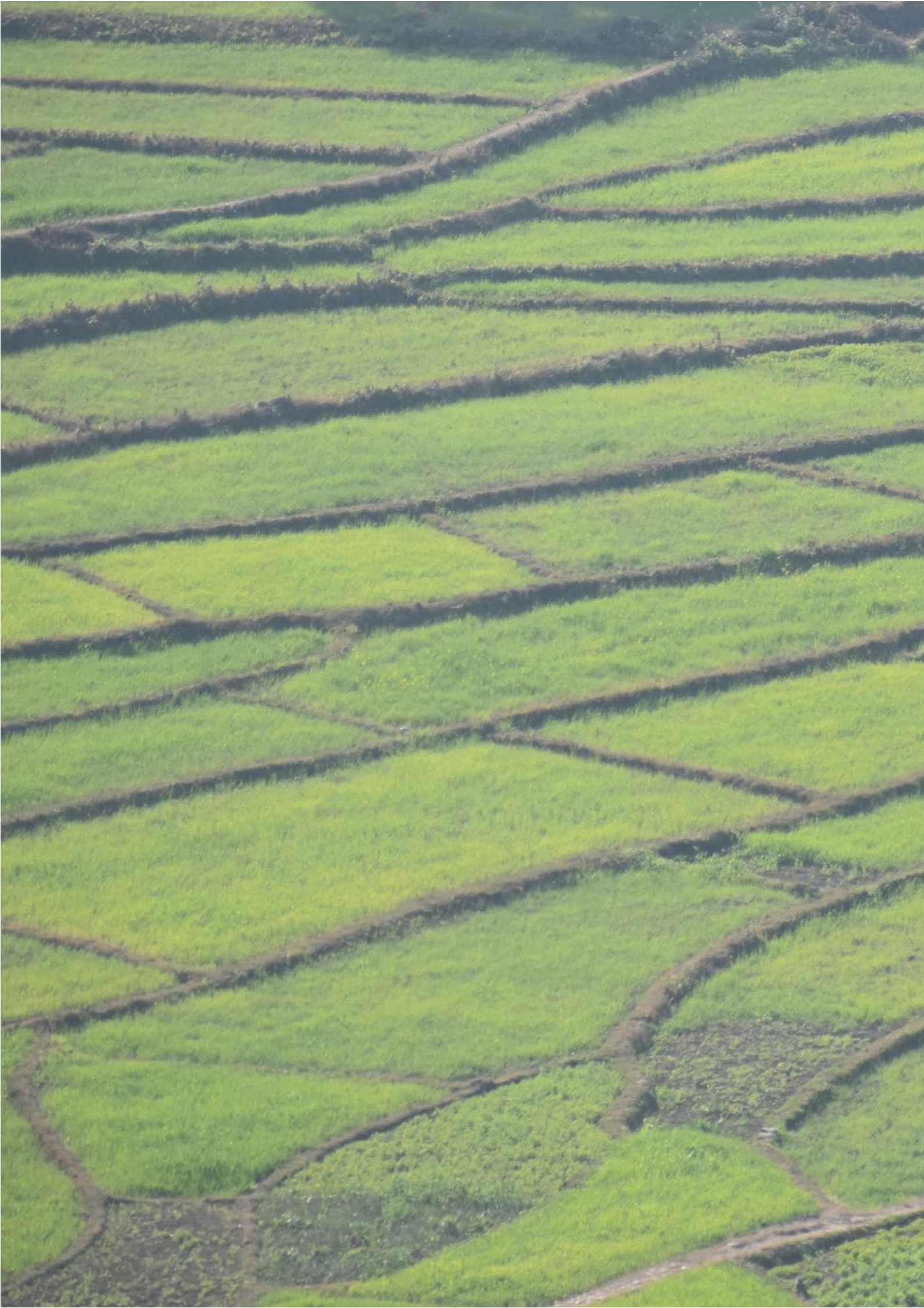
मैं एनबीए के अध्यक्ष को उनकी बहुमूल्य सलाह, समर्थन और हमारे सभी प्रयासों में निरंतर प्रेरणा के लिए धन्यवाद देता हूं जिनके बिना हम प्रभावी तरीके से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते थे।

मुझे एनबीए के सचिवालय की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अमूल्य सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के सदस्यों और विशेषज्ञ समितियों के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

मैं इस प्रतिवेदन को संकलित करने में राज्य जैवविविधता बोर्ड के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की पूरक भूमिका के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं समय पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (वैज्ञानिक लेखापरीक्षा) को भी धन्यवाद देता हूं।

मैं इस वार्षिक रिपोर्ट को संकलित करने और प्रकाशित करने में एनबीए सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ईमानदारी से स्वीकृति दर्ज करता हूं।

डॉ. बी बालाजी, भा.व.से
सचिव



अंतर्वस्तु

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश	15
1	परिचय	19
2	प्राधिकरण, सांविधिक निकायों का गठन और कार्य	21
3	प्राधिकरण की बैठकें	29
4	जैविक संसाधनों तक पहुंच और उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण को विनियमित करने के लिए गतिविधियाँ	35
5	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4 और 6 में उल्लिखित गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रदान किया गया	39
6	आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किए गए उपाय	45
7	गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान और तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के लिए जैविक संसाधनों के स्थानांतरण/पहुंच हेतु प्राधिकरण द्वारा दिया गया अनुमोदन	47
8	बौद्धिक संपदा अधिकार और जैव विविधता अधिनियम, 2002 और सार्वजनिक भागीदारी से संबंधित जागरूकता	49
9	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, 38, 40 और 64 के अंतर्गत जारी विनियम	59
10	वित्त और लेखा	63
11	वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक योजना	67
12	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ	71
अनुलग्नक		
1	प्राधिकरण के अध्यक्ष	120
2	संगठन चार्ट	121
3	भर्ती सहित कर्मचारियों की संख्या	122
4	सिटिजन चार्टर	123
5	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	126



कार्यकारी सारांश

जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के पाठ के अनुसार जैव विविधता शब्द मनुष्यों को छोड़कर पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों सहित हर जीवित चीज को संदर्भित करता है। यह हमारे ग्रह की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यह अनुमान लगाया गया है कि अस्तित्व में पौधों और जानवरों की लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियां हैं। हालांकि, अब तक केवल 1.2 मिलियन प्रजातियों की पहचान और वर्णन किया गया है, जिनमें से अधिकांश कीड़े हैं।

रियो डी जनेरियो में आयोजित 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक विविधता के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के उद्देश्यों के साथ पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीईडी) के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी कानूनी साधन, जैव विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) को अपनाया। परिणामस्वरूप, भारत ने 2002 में जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम लागू किया और 2004 में जैविक विविधता नियमों को अधिसूचित किया। बीडी अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए एक त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना का गठन किया गया था, जिसमें शीर्ष निकाय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, की स्थापना 2003 में बीडी अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 8 के तहत की गई थी। दूसरे और तीसरे स्तर में क्रमशः राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन किया जाता है।

एनबीए अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित गतिविधियों को विनियमित करता है और जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश जारी करता है तथा जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है।

एनबीए, भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में, एक समर्पित और लक्ष्य-उन्मुख योजना का पालन कर रहा है। रिपोर्टिंग अवधि 2022-23 के दौरान प्रगति और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं यहां संक्षेप में उल्लिखित हैं और वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार से बताई गई हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, प्राधिकरण ने तीन बार बैठक किया, विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, एनबीए सचिवालय को बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के अनुसार कार्रवाई शुरू करने और कार्यान्वित करने के लिए निर्देशित किया और सलाह दिया।

एनबीए ने अभिगम और लाभ भागीदारी (एबीएस पर ईसी) संबंधी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसने तीन बार बैठक की और अभिगम एवं लाभ साझाकरण संबंधी 125 आवेदनों का मूल्यांकन किया तथा प्राधिकरण को सिफारिशें प्रदान की। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, अनुसंधान व वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों की पहुंच, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकार और तीसरे पक्ष के हस्तांतरण से संबंधित 959 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस अवधि के दौरान कुल 1245 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एनबीए को अब तक लाभ साझाकरण (बीएस) घटक के रूप में लगभग 194.68 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 49.83 करोड़ रुपये वर्ष 2022–2023 के दौरान प्राप्त हुए हैं। लाल चंदन की लकड़ी की पहुंच पर प्राप्त बीएस राशि में से, एनबीए ने वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ट्रांस-डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय संस्थानों को प्राधिकरण के अनुमोदन से लाल चंदन पर ईसी की सिफारिश के अनुसार 23.46 लाख रुपये की लाल चंदन अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन किया है।

लाल चंदन के अलावा अन्य जैविक संसाधनों की पहुंच पर प्राप्त बीएस राशि में से, एनबीए ने संबंधित लाभ दावाकर्ताओं जैसे बीएमसी / संस्थान / समुदायों को भौगोलिक स्थिति के आधार पर लाभ साझा करने वाले लाभ वितरित किए हैं, जहां से जैविक संसाधन एकत्र किए जाने हैं। रिपोर्टिंग के दौरान, एनबीए ने 19 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 1 केंद्रीय जैव विविधता परिषद (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यूटीबीसी चंडीगढ़) को संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों और जैविक संसाधनों एवं सामाजिक-आर्थिक के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित लाभ दावाकर्ताओं को वितरित करने के लिए 3,92,28,019 रुपये जारी किए। भारत नागोया प्रोटोकॉल का एक पक्ष होने के नाते, एनबीए ने एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में दी गई 767 अनुमोदनों का विवरण अपलोड किया है।

राज्य स्तर पर बीडी अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन एसबीबी की स्थापना करके और स्थानीय रूप से बीएमसी का गठन करके शुरू किया गया था। 2022–23 के अंत तक पूरे देश में स्थानीय स्तर पर 2,77,329 बीएमसी और 2,67,585 पीबीआर तैयार किए गए हैं। जैव विविधता विरासत स्थलों की अधिसूचना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 37 के प्रावधानों के तहत 18 और जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) को अधिसूचना के अंतर्गत लाया गया है। अब तक 18 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों नामतः असम, बिहार, गोवा,

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्णाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दीव और बांध द्वीपों ने बीडी अधिनियम की धारा 38 के तहत संकटापन्न प्रजातियों को अधिसूचित किया है, जिसमें कुल 159 पौधे और 175 जानवर प्रजातियां शामिल हैं।

एनबीए ने 2022-23 के दौरान आउटसोर्सिंग के घटकों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पीयर-टू-पीयर लर्निंग एक्सचेंज विजिट, ज्ञान सामग्री के मुद्रण और प्रसार, विषयगत विशेषज्ञ समिति के गठन और संबंधित राज्यों के लिए वेबसाइट रखरखाव जैसे संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए सहायता अनुदान द्वारा लगभग सभी एसबीबी को वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य और स्थानीय निकाय स्तर पर आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को समझने और बातचीत करने के लिए एसबीबी की मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, वेटलैंड अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और तमिलनाडु स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के सहयोग से 22 मई 2022 को कलईवनार अरंगम चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव एक दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री शिवा वी. मेयनाथन भी उपस्थित थे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले बीएमसी सदस्यों द्वारा एक जैव विविधता प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा स्थल पर किया गया था। एनबीए, एसबीबी, यूटीबीसी, सरकारी विभागों और संस्थान द्वारा स्टाल लगाए गए थे।

केंद्रीय मंत्री ने भारत में अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों (ओईसीएम) की पहचान के लिए मानदंड और दिशानिर्देश, ओईसीएम संग्रह और भारत प्राकृतिक नामक प्रकाशनों का विमोचन किया, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की संयुक्त पहल हैं।

वर्ष 2022-23 का वार्षिक लेखा और 2023-24 के लिए वार्षिक योजना भी 2022-23 के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं।



अध्याय 1

परिचय

जैव विविधता शब्द का उपयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह पृथ्वी पर पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों और मनुष्यों सहित हर जीवित चीज को भी संदर्भित करता है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अस्तित्व में पौधों और जानवरों की लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियां हैं। तथापि, अब तक केवल 1.2 मिलियन प्रजातियों की पहचान और वर्णन किया गया है, जिनमें से अधिकांश कीड़े हैं। इसका मतलब है कि लाखों अन्य जीव एक पूर्ण रहस्य बने हुए हैं।

भारत दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है और इसमें दुनिया के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से तीन शामिल हैं – पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और भारत-बर्मा हॉटस्पॉट। यह 17 मेगाडाइवर्स देशों में से एक है। देश में 12 बायोस्फीयर रिजर्व और 75 रामसर स्थल हैं। प्रजातियों की समृद्धि के मामले में भारत दुनिया के 17 मेगा-विविध देशों में से 8 वें स्थान पर है। भारत में पौधों की लगभग 55,000 से अधिक प्रजातियां और जानवरों की 1,03,258 से अधिक प्रजातियां हैं। भारत जीवों में भी समृद्ध है और दर्ज उभयचर प्रजातियों में से लगभग 62 प्रतिशत भारत के लिए स्थानिक हैं जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। निरंतर सर्वेक्षण और अन्वेषण के माध्यम से नई प्रजातियों की कई खोजों के साथ पुष्प और जीव विविधता दोनों की सूची को उत्तरोत्तर अद्यतन किया जाता है।

जैविक संसाधन लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, इससे जैव विविधता पर अत्यधिक दबाव पड़ा है क्योंकि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, तेजी से आर्थिक विकास हुआ है। नतीजतन, इसने प्राकृतिक आवासों के विनाश और विखंडन को जन्म दिया है, जो पारिस्थितिकी और इसके निवासियों को बदल देता है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। जवाब में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने जैव विविधता पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की आवश्यकता का पता लगाने के लिए नवंबर 1988 में जैव विविधता पर विशेषज्ञों के तदर्थ कार्य समूह का आयोजन किया, जिसका समापन 22 मई 1992 को जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के रूप में हुआ। सीबीडी 29 दिसंबर 1993 को तीन मुख्य उद्देश्यों के साथ लागू हुआ, अर्थात् जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग और तीसरा, आनुवंशिक विविधता के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण।

भारत के जैव विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना की गई थी। एनबीए एक सांविधिक निकाय है और यह संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे के मुद्दों पर भारत सरकार के लिए सुविधाजनक, नियामक और सलाहकार कार्य करता है। राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देश के अध्यक्षीन राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

एसबीबी भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के अनुरोधों पर अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा विनियमित भी करते हैं। स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी) पर्यावासों के परिरक्षण, भूमि जातियों, लोक किस्मों और कल्टीवर्स, पालतू स्टॉक और पशुओं और सूक्ष्मजीवों की नस्लों और जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान के क्रोनीकीकरण सहित जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं।



अध्याय 2

प्राधिकरण, सांविधिक निकायों का गठन और कार्य

2-1- जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो जैव विविधता के सतत प्रबंधन में ज्ञान और अनुभव के साथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। इसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के दस पदेन सदस्य और पांच गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं जो जैव विविधता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ हैं।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो जैव विविधता के सतत प्रबंधन में ज्ञान और अनुभव के साथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। इसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के दस पदेन सदस्य और पांच गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं जो जैव विविधता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ हैं।

2-1-1- अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता तीन अलग-अलग अध्यक्षों अर्थात् डॉ. वि.बि. माथुर, श्री नरेश पाल गंगवार, आईएएस और श्री सी अचलेंद्र रेड्डी, भा.व.से. (सेवानिवृत्त) ने की। प्रसिद्ध वन्यजीव जीवविज्ञानी और भारतीय वन्यजीव संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. वि.बि. माथुर ने 31 अगस्त, 2022 तक एनबीए का नेतृत्व किया। इसके बाद यह पद श्री नरेश पाल गंगवार, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, एमओईएफसीसी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंप दिया गया। श्री सी. अचलेंद्र रेड्डी, भा.व.से. (सेवानिवृत्त) ने 1 दिसंबर 2022 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और वह 13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा स्थापित सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स, (भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज का एक स्वायत्त केंद्र), हैदराबाद के पूर्व निदेशक थे।

इस अवधि के दौरान, एनबीए की अध्यक्षता तीन अलग-अलग अध्यक्षों अर्थात् डॉ. वि.बि. माथुर, श्री नरेश पाल गंगवार, आईएएस और श्री सी अचलेंद्र रेड्डी, भा.व.से. (सेवानिवृत्त) ने की। प्रसिद्ध वन्यजीव जीवविज्ञानी और भारतीय वन्यजीव संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. वि.बि. माथुर ने 31 अगस्त, 2022 तक एनबीए का नेतृत्व किया। इसके बाद यह पद श्री नरेश पाल गंगवार, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, एमओईएफसीसी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंप दिया गया। श्री सी. अचलेंद्र रेड्डी, भा.व.से. (सेवानिवृत्त) ने 1 दिसंबर 2022 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और वह 13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा स्थापित सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स, (भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज का एक स्वायत्त केंद्र), हैदराबाद के पूर्व निदेशक थे।

2-1-2- अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता तीन अलग-अलग अध्यक्षों अर्थात् डॉ. वि.बि. माथुर, श्री नरेश पाल गंगवार, आईएएस और श्री सी अचलेंद्र रेड्डी, भा.व.से. (सेवानिवृत्त) ने की। प्रसिद्ध वन्यजीव जीवविज्ञानी और भारतीय वन्यजीव संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. वि.बि. माथुर ने 31 अगस्त, 2022 तक एनबीए का नेतृत्व किया। इसके बाद यह पद श्री नरेश पाल गंगवार, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, एमओईएफसीसी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंप दिया गया। श्री सी. अचलेंद्र रेड्डी, भा.व.से. (सेवानिवृत्त) ने 1 दिसंबर 2022 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और वह 13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा स्थापित सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स, (भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज का एक स्वायत्त केंद्र), हैदराबाद के पूर्व निदेशक थे।

केन्द्र सरकार द्वारा तीन पदेन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, अर्थात् दो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं— जो अतिरिक्त वन महानिदेशक और भारत सरकार के संयुक्त सचिव होते हैं और एक संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक के अधिकारी के रैंक में जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

2-1-3- चमह वफेकु;े ध ऐकjk 8 ध मि&ऐकjk ¼4½ द [kM ¼lh½ द vrxr fu;ä vU; inu lnl;

केंद्र सरकार सात अन्य पदेन सदस्यों की नियुक्ति करती है जो संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक के अधिकारी के रैंक में हैं और इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ होंगे –

- कृषि अनुसंधान और शिक्षा
- जैव प्रौद्योगिकी
- समुद्र विकास
- कृषि और सहयोग
- भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान

2-1-4- चमह वफेकु;े] 2002 ध ऐकjk 8 ध मि&ऐकjk ¼4½ द [kM ¼Mh½ द vrxr fu;ä xj&ljdkjh lnl;

पांच गैर-सरकारी सदस्यों का चयन वैज्ञानिकों और उद्योग के प्रतिनिधियों, संरक्षणवादियों और जैविक संसाधनों के ज्ञान-धारकों के बीच किया जाता है, जिन्हें जैव विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों में ठोस ज्ञान और अनुभव है।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की संरचना तालिका 1 में नीचे दी गई है।

तालिका 1: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य

क्रमांक	पदेन सदस्य	
1	जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का अधिकारी	श्रीमती आर जया, आईएएस, कमरा नंबर 736, ए-विंग, 7वीं मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 001
2	अपर महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	श्री सौमित्र दासगुप्ता, अपर महानिदेशक वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110 003

क्रमांक	पदेन सदस्य	
3	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव	डॉ. एस केरकेट्टा, सलाहकार और वैज्ञानिक जी सीएस-प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110 003
4	कृषि अनुसंधान और शिक्षा, कृषि मंत्रालय में विषय से संबंधित संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	संयुक्त सचिव (बीज) कृषि और सहकारिता विभाग, कमरा नंबर 244, कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110 001
5	जैव प्रौद्योगिकी विभाग में विषय से संबंधित संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	डॉ. मनोज मोदी, वैज्ञानिक एफ, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नंबर 2, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
6	संयुक्त सचिव या समुद्र विकास विभाग में इस विषय से संबंधित समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	डॉ. एम.वी. रमनामूर्ति, निदेशक, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (एनसीसीआर), एनआईओटी कैम्पस, वेलाचेरी – तांबरम मेन रोड, पल्लीकरनी, चेन्नई, तमिल नाडु –600100
7	संयुक्त सचिव या भारत सरकार के समकक्ष रैंक का एक अधिकारी जो कृषि और सहकारिता विभाग में इस विषय से संबंधित है	उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) फसल विज्ञान विभाग, भाकृअनुप, कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
8	संयुक्त सचिव या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में विषय से संबंधित समकक्ष रैंक का अधिकारी	प्रो (डॉ) तनुजा मनोज नेसारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरी मंजिल, आयुष भवन, बी ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली 110 023

क्रमांक	पदेन सदस्य	
9	संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में विषय से संबंधित समकक्ष के एक अधिकारी	डॉ अखिलेश गुप्ता, वैज्ञानिक जी, प्रमुख योजना, समन्वय और प्रदर्शन प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली 110 016
10	संयुक्त सचिव या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में विषय से संबंधित समकक्ष रैंक के अधिकारी	डॉ संजय कुमार निदेशक , हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश 176 061
गैर-सरकारी सदस्य		
1	श्री. सी अचलेंद्र रेड्डी, भा.व.से (सेवानिवृत्त) निदेशक, सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र, हैदराबाद, तेलंगाना	
2	डॉ. जॉयकुमार मैतेई लैशराम, प्रोफेसर और डीन, कृषि महाविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर	
3	प्रो. उन्नत पी. पंडित महानिदेशक- पेटेंट, व्यापार चिन्ह और औद्योगिक डिजाइन, मुम्बई	
4	डॉ अलका राव, प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर- माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएमटेक), चंडीगढ़ - 160036	
5	श्री. एम एस चैत्र, निदेशक और फेलो, आरोही, बेंगलोर	

2-2- ,uch, d dk;|

- जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।

- बीडी अधिनियम 2002 की धारा 3, 4 और 6 के अनुसार गतिविधियों को विनियमित करना और जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान और निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश जारी करना। (कुछ व्यक्तियों/नागरिकों/संगठनों को जैविक संसाधन और/या उपयोग के लिए संबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए एनबीए के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है)।
- भारत से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन या भारत से अवैध रूप से प्राप्त ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान पर भारत के बाहर किसी भी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करना।
- विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के चयन में राज्य सरकारों को सलाह देना और उनके प्रबंधन के लिए उपाय सुझाना।
- जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान
- ऐसे अन्य कार्य करना जो जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

2-3- jkT; tfo fofoèrk ckM ¼, l chch½

एसबीबी की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाती है। एनबीए केंद्र शासित प्रदेशों में एसबीबी की शक्तियों और कार्यों का उपयोग करता है। एनबीए अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों या कार्यों को ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को प्रत्यायोजित कर सकता है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। एसबीबी में एक अध्यक्ष, संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच पदेन सदस्य और जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित अनुभव रखने वाले पांच विशेषज्ञ शामिल हैं; और जो उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित अनुभव रखते हैं।

2-3-1- , l chch d dk;|

- जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अध्याधीन राज्य सरकारों को सलाह देना।

- भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के अनुरोध को अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा, विनियमित करना।
- अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या राज्य सरकारों द्वारा यथा निर्धारित अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

2-4- **tlo fofoèkrk çcèku lfefr;k ¼ch,e lh½**

बीडी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थानीय निकाय जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए बीएमसी का गठन कर सकते हैं, जिसमें आवासों का संरक्षण, भूमि प्रजातियों, लोक किस्मों और कल्टीवर्स का संरक्षण, पालतू स्टॉक और जानवरों और सूक्ष्मजीवों की नस्लें और जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का कालक्रम शामिल है। प्रत्येक बीएमसी में एक अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा नामित छह व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक तिहाई महिलाएं हैं और 18% अनुसूचित जाति / जनजाति श्रेणी से संबंधित हैं। मार्च 2021 तक, पूरे भारत में 2,73,451 बीएमसी हैं।

2-4-1- **ch,e lh d dk;|**

- स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करना, रखरखाव करना और उसका अधिप्रमाणन करना।
- अनुमोदन प्रदान करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या एनबीए द्वारा भेजे गए किसी भी मामले पर सलाह प्रदान करना।
- जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों और चिकित्सा चिकित्सकों के बारे में आंकड़ों का रखरखाव करना।

2-5- **dæ ljdkj dh Hkfedk**

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना करना।
- जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का विकास करना।
- अति प्रयोग, दुरुपयोग अथवा उपेक्षा के खतरे में पड़े जैव विविधता से समृद्ध पर्यावासों की सुरक्षा के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश जारी करना।

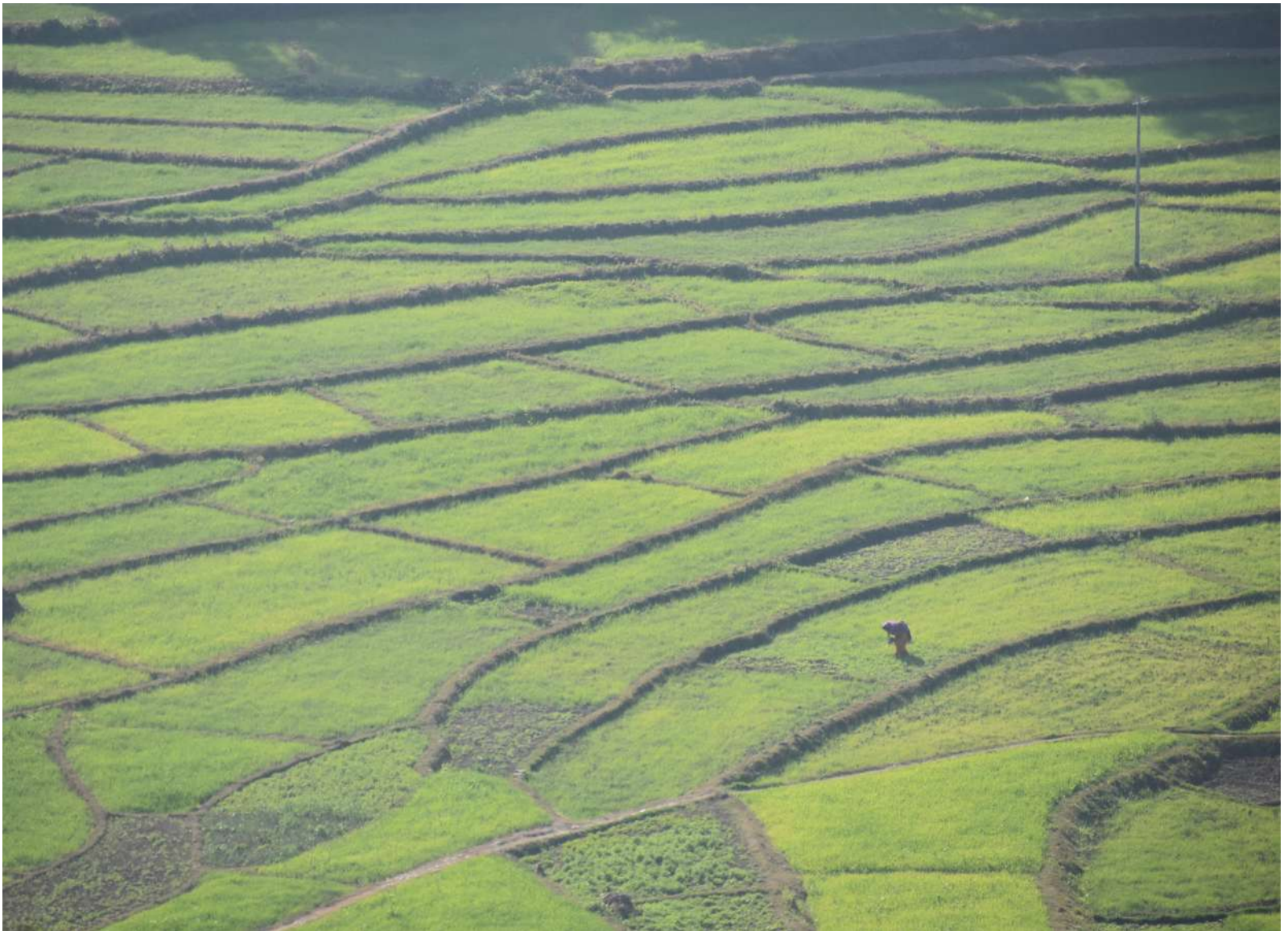
- प्रासंगिक क्षेत्रीय या क्रॉस-सेक्टरल योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग का एकीकरण करना ।
- एनबीए द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार जैव विविधता से संबंधित स्थानीय लोगों के ज्ञान का सम्मान और संरक्षण करने का प्रयास करना ।
- पर्यावरण और जैव विविधता पर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना और संरक्षण पर जीवित संशोधित जीवों के उपयोगधरिलीज के जोखिमों या प्रतिकूल प्रभाव को विनियमित, प्रबंधित या नियंत्रित करना, और जैविक विविधता और मानव स्वास्थ्य के सतत उपयोग के बीच संबंध का अध्ययन करना ।
- केन्द्र सरकार, एनबीए के परामर्श से,
 - क. संस्थानों को जैव संसाधनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए भंडार के रूप में नामित कर सकती है।
 - ख. कुछ जैविक संसाधनों को छूट दे सकती है जो सामान्य रूप से वस्तुओं के रूप में कारोबार करते हैं।
 - ग. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, संकटापन्न प्रजातियों को अधिसूचित कर सकती है और उनके एकत्रण, पुनर्वास और संरक्षण को प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकती है।

2-6- jkT; ljdkjk dh Hkfedk

- राज्य जैव विविधता बोर्डों की स्थापना करना, राज्य जैव विविधता नियमों को अधिसूचित करना और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन में सुविधा प्रदान करना।
- जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग के लिए राज्य रणनीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का विकास करना।
- प्रासंगिक क्षेत्रीय या क्रॉस-सेक्टरल योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग का एकीकरण करना।
- पर्यावरण और जैव विविधता पर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना और

संरक्षण पर जीवित संशोधित जीवों के उपयोगधरिलीज के जोखिमों या प्रतिकूल प्रभाव को विनियमित, प्रबंधित या नियंत्रित करना, और जैविक विविधता और मानव स्वास्थ्य के सतत उपयोग के बीच संबंध का अध्ययन करना।

- राज्य सरकारें स्थानीय निकायों के परामर्श से जैवविविधता विरासत स्थलों को अधिासूचित करें और सभी विरासत स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियम बनायें (केन्द्र सरकार के परामर्श से) और प्रभावित लोगों को क्षतिपूतधुनर्वास के लिए योजनाएं शुरू करें।



अध्याय 3

प्राधिकरण की बैठकें

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने तीन बार बैठक की और एनबीए सचिवालय को बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के अनुसार कार्रवाई करने की सलाह दी। इसके अलावा, प्राधिकरण ने एबीएस पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ एबीएस अनुप्रयोगों पर विचार किया, और निर्णय दिए और एनबीए सचिवालय को सलाह दी। चर्चा की गई कार्यसूची और आयोजित बैठकों के परिणाम नीचे उल्लिखित हैं।

3-1- 65th Meeting of the Board

प्राधिकरण (शासी निकाय) की 65 वीं बैठक (विशेष बैठक) 17 मई 2022 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री डॉ. वि.बि. माथुर की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा की गई, विचार-विमर्श किया गया और निर्णय लिए गए, वे इस प्रकार थे।

क) सभी सदस्यों ने अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में एनबीए के कार्यालय को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए एनबीए द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और सर्वसम्मति से प्रस्ताव का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की।



ख) सदस्यों ने एमओयू के खंड 2 में संशोधन करने का सुझाव दिया, जिसमें स्थायी आधार पर अवधि के अलावा 99 साल के रूप में पट्टे के वर्षों की संख्या प्रदान की गई है।

ग) सदस्यों ने भवन निर्माण के लिए अपने धन का उपयोग एनबीए के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन यह भी सिफारिश की कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को चेन्नई में एनबीए मुख्यालय के निर्माण के लिए पूंजीगत निधि प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।

घ) सदस्यों ने सुझाव दिया कि वास्तुशिल्प योजना और निगरानी के लिए एक एजेंसी को लगाया जा सकता है।

3-2- 66वीं बैठक की 66वां बैठक

प्राधिकरण की 66वीं बैठक 17 अगस्त, 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री डॉ. वि. बि. माथुर की अध्यक्षता में एनबीए मुख्यालय से वर्चुअल मोड में 26 अगस्त, 2022 को बैठक फिर से आयोजित की गई। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा की गई, विचार-विमर्श किया गया और निर्णय लिए गए, वे इस प्रकार थे।

- i. एनबीए प्राधिकरण के सदस्यों को गठित बीएमसी की संख्या और देश भर में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तैयार किए गए पीबीआर के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
- ii. एनबीए अन्ना विश्वविद्यालय के भीतर कार्य कर रहे एनसीएससीएम से कार्यालय के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हो, के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करेगा।
- iii. एनबीए अन्ना विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा यदि उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय के रूप में पर्याप्त क्षेत्र होने के जनादेश





को पूरा कर लिया है।

- iv. एक्सेस किए गए पैरेंटल और अलग-अलग लाइनों के लिए लगाए गए अग्रिम भुगतान की पुनः परीक्षा:
- v. सदस्यों ने फैसला किया कि इन आवेदनों की फाइलों को सदस्यों के साथ जांच के लिए साझा किया जा सकता है और इस पर विचार-विमर्श किया जा सकता है और प्राधिकरण की अगली बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। प्राधिकरण की अगली बैठक में निर्णय लिए जाने तक फाइलें स्थगित रखी जाएं।
- vi. निजी क्षेत्रों से प्राप्त रेड सैंडर्स प्रजातियों से अर्जित एबीएस निधियों को वितरित करने के लिए प्राधिकरण के सदस्यों की सिफारिशों को उनके अंतिम निर्णय के लिए मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- vii. सदस्यों ने निर्णय लिया कि एनबीए सचिवालय मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत किसी उल्लंघन के मामले में तब तक जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 56 का उपयोग नहीं करेगा जब तक कि बीडी संशोधन विधेयक पारित नहीं हो जाता।
- viii. बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 39 के तहत कालीकट विश्वविद्यालय के हर्बेरियम को एक रिपोजिटरी के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी और प्रस्ताव को अधिसूचना के लिए एमओईएफसीसी को भेजा जाएगा
- ix. प्राधिकरण के सदस्यों ने संशोधित बीएचएस दिशानिर्देशों का समर्थन किया और निर्णय लिया कि संसद में बीडी संशोधन विधेयक पारित होने के बाद इसके नए प्रावधानों को शामिल करने के लिए इसे और संशोधित किया जा सकता है।
- x. प्राधिकरण के सदस्यों ने पुनरीक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार संगठन को भेजे जाने वाले प्रस्तावित ड्राफ्ट रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल का समर्थन किया।

- xi. प्राधिकरण के सदस्यों ने भर्ती नियमों के विनियमन 7 के आधार पर टीओ (आईपीआर) के पद के लिए आयु, शिक्षा योग्यता, अनुभव में संशोधन और इसे एमओईएफसीसी को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और समर्थन किया।
- xii. प्राधिकरण के सदस्यों ने वर्ष 2021-22 के लिए एनबीए की मसौदा वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया।
- xiii. सदस्यों ने वर्ष 2021-22 के वार्षिक खाते का समर्थन किया और सहमति व्यक्त की कि संसद में रखने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग (अंग्रेजी और हिंदी) के बाद लेखा परीक्षित खातों के साथ वार्षिक रिपोर्ट एमओईएफसीसी को भेजी जा सकती है।
- xiv. प्राधिकरण के सदस्यों ने पर्यावरण जागरूकता क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम योजना के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एनविस सचिवालय के सहयोग से बीएमसी के लिए पायलट क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रस्ताव को अनुमोदित किया और समर्थन किया।
- xv. प्राधिकरण के सदस्यों ने एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद और एनबीए चेन्नई द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए जाने वाले राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (ToT) के प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्राधिकरण की 67वीं बैठक 24 मार्च 2023 को इंडस हॉल, एमओईएफसीसी, नई दिल्ली में श्री सी. अचलेन्द्र रेड्डी, भा.व.से (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा की गई, विचार-विमर्श किया गया और निर्णय लिए गए, वे इस प्रकार थे।

क) हाल ही में गठित विशेषज्ञ समिति जैव विविधता विरासत स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए अधिनियम की धारा 37(2) के प्रावधानों के अनुसार नियम बनाएगी।

ख) सदस्यों ने 66 वीं प्राधिकरण बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाइयों को अनुमोदित किया।

ग) प्राधिकरण के सदस्यों ने एसबीबी/यूटीबीसी में आउटसोर्स / संविदात्मक कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता को 13.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 14.5 लाख रुपये प्रति वर्ष करने की अनुमोदित किया।

घ) सदस्यों ने एसबीबीयूटीबीसी के माध्यम से बीएमसी को धन के आवंटन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।

क्रमांक	मद	राशि (रु.)
	एक बीएमसी (ग्राम स्तर) के लिए विभाजित राशि	20000.00
1	बीएमसी का सुदृढ़ीकरण और बीएमसी कार्य योजनास्थानीय स्तर की जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करना	10000.00
2	पीबीआर (ग्राम स्तर) का अद्यतनीकरण	10000.00
	प्रत्येक एसबीबी / यूटीबीसी के लिए कुल राशि (100 बीएमसी के लिए)	2000000.00

ड) उन्होंने आवश्यकतानुसार विशिष्ट अवधि (महीने में कुछ दिनों से लगातार 3 महीने (ऊपरी सीमा) के लिए विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों/विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के प्रस्ताव को, विशिष्ट विचारार्थ विषयों के साथ या कार्य दिवसों के आधार पर 30 कार्य दिवसों से अनधिक (लगातार) प्रत्येक बार जिसके लिए शुल्क रु. 4,000- प्रति कार्य दिवस (ऊपरी सीमा) का भुगतान किया जा सकता है, अनुमोदित किया।





- च) सदस्यों ने बेलारूस गणराज्य की संबंधित एजेंसी और एमओईएफसीसी, भारत सरकार के बीच एक समझौते के निष्पादित होने के बाद आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित करने में एनबीए और बेलारूस गणराज्य के बीच सहयोग के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। वैकल्पिक रूप से, एमओईएफसीसी, भारत सरकार एनबीए को बेलारूस गणराज्य की संबंधित एजेंसी के साथ एक समझौते में प्रवेश करने के लिए अधिकृत कर सकती है।
- छ) सदस्यों ने तिरुपति, आंध्र प्रदेश में लाल चंदन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / कार्यशाला आयोजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
- ज) सदस्यों ने पट्टा भूमि से रेड सैंडर्स तक पहुंचने से अर्जित एबीएस राशि के वितरण को अनुमोदित किया।
- झ) सदस्यों ने एनबीए में तकनीकी अधिकारी (आईपीआर) पद के लिए प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित किया।

अध्याय 4

जैविक संसाधनों तक पहुंच और उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण को विनियमित करने के लिए गतिविधियाँ

4-1- ,D l l ,M cfufQV 'k;Çjx ¼, ch, l ½ i j fo'k" kK l fefr ¼Ä l h½

अनुसंधान, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और/या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने, जैविक संसाधनों पर अनुसंधान या जानकारी के आधार पर आविष्कार के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुसंधान के परिणामों का हस्तांतरण और एनबीए द्वारा प्राप्त तीसरे पक्ष को एक्सेस किए गए जैविक संसाधनों के हस्तांतरण के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने वाले आवेदनों का मूल्यांकन इस विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है, जो तब प्राधिकरण के विचार के लिये उपयुक्त सिफारिशें करती है।

वर्ष के दौरान, समिति ने तीन बार बैठक की अर्थात् 27.04.2022 को 66 वीं बैठक, 21.07.2022 को 67 वीं बैठक, 18.03.2023 को 68 वीं बैठक हाइब्रिड मोड में और पहुंच और लाभ साझा करने पर लगभग 125 आवेदनों का मूल्यांकन किया और 66 वें और 67 वें प्राधिकरण को सिफारिशें प्रदान कीं। आवेदकों मैसर्स ईस्ट वेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मोनसेंटो के अनुरोध के अलावा, एबीएस पर 66वें कार्यकारी ने धारा 3(2) संस्थाओं द्वारा अनुसंधान गतिविधियों के लिए मैसर्स ईस्ट





वेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मोनसेंटो के लिए लगाए गए अग्रिम भुगतान की पुन जांच करने के लिए इस मुद्दे पर जानकारी प्रदान की। इसे जारी रखते हुए मेसर्स ईस्ट वेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मोनसेंटो द्वारा दायर उक्त आवेदनों को एक बार फिर 17.08.2022 को आयोजित 66 वीं प्राधिकरण की बैठक के समक्ष रखा गया, जिसमें प्राधिकरण ने एनबीए को निर्देश दिया कि वे पैरेंटल और अलग-अलग लाइनों के लिए अग्रिम भुगतान लगाने की पुनः जांच के लिए प्राधिकरण के सदस्यों के समक्ष सभी आवेदन प्रस्तुत करें। इसके बाद, एनबीए ने मेसर्स ईस्ट वेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मोनसेंटो से संबंधित सभी आवेदनों को 24.03.2023 को आयोजित 67 वें प्राधिकरण के समक्ष रखा और प्राधिकरण के सदस्यों ने एनबीए को आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर) को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जो एनबीए को केवल पैरेंटल लाइन्स पर अग्रिम भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा

एनबीए के बौद्धिक संपदा अनुभाग ने जैविक संसाधनों की सांकेतिक सूची को शामिल करने/बाहर करने के लिए वैज्ञानिक औचित्य प्रदान करने के लिए एबीएस पर 68 वीं ईसी के समक्ष एक एजेंडा रखा। इस संबंध में एबीएस पर 68वीं ईसी ने एक उप-समिति बनाने का सुझाव दिया।

4-2- **vuiky d vrjjk"Vh; Lrj ij ekU;rk çlR çek.k i= ¼vkÅvkj l h l h¼ cukuk**

आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17 के तहत, पार्टियों को पहुंच के समय एक परमिट या इसके समकक्ष जारी करने की आवश्यकता होती है क्योंकि साक्ष्य के रूप में जो कि आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच पूर्व सूचित सहमति पर आधारित थी और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें स्थापित की गई थीं। चूंकि भारत नागोया प्रोटोकॉल का एक पक्षकार है, इसलिए एनबीए ने अब तक एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में प्रदान किए गए 4934 अनुमोदनों का ब्योरा अपलोड किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) सृजित हुए हैं। 4934 में से 767

आईआरसीसी रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सृजित किए गए हैं।

4-3 if=dk e çdk'ku d fy, uÅ çtkfr;k d nko d fy, vU; n'k d HkMkj e l{et hok dk fu{k i%

प्राधिकरण ने कार्यसूची मद 37.14.02 के तहत मार्च, 2016 में आयोजित अपनी 37वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि भारतीय शोधकर्ताओं/वैज्ञानिकों को एनबीए को पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए नवीन प्रजातियों के दावे के लिए दूसरे देश के भंडार में सूक्ष्मजीवों के निक्षेपण हेतु प्रपत्र-सी में निर्धारित प्रारूप में पूर्व सूचना प्रदान करनी चाहिए। तथापि, यदि कोई गैर-भारतीय व्यक्ति/संस्था विदेशी भंडार से जमा भारतीय जैविक संसाधन का उपयोग करना चाहती है, तो उसे बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अनुसार एनबीए का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। एनबीए को वर्ष 2022-2023 के दौरान ऐसी 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और प्राधिकरण द्वारा अनुसमर्थन के बाद एनबीए की वेबसाइट में इसका विवरण अपडेट किया गया है।



अध्याय 5

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4 और 6 में यथा निर्दिष्ट गतिविधियों को शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया

5-1- **वैविक संसाधनों का संरक्षण**

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा है। तदनुसार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) को अनुसंधान के लिए जैविक संसाधनों और/या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच की गतिविधियों जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग; वाणिज्यिक उपयोग; आईपी अधिकार प्राप्त करना; अनुसंधान के परिणामों का हस्तांतरण और अभिगम किए गए जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण को विनियमित करने का अधिदेश दिया गया है। आवेदक द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को अधिनियम की धारा 3, 4 और 6, जैव विविधता नियम 2004 और एबीएस विनियम 2014 के 14, 17 और 18 में उल्लिखित किया गया है।

बीडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम में यथा परिकल्पित कतिपय कार्यकलापों को करने के लिए भारतीय और गैर-भारतीय दोनों व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान तक पहुंच बनाने हेतु एनबीए का पूर्व अनुमोदन एक पूर्व-अपेक्षा है। उन्हें एनबीए को प्रत्येक गतिविधि के लिए निर्दिष्ट चार प्रकार के फॉर्मों में आवेदन करने की आवश्यकता है और अनुमोदन के लिए निर्धारित समय सीमाएं हैं। यह उल्लेख करना है कि बीडी अधिनियम जैविक संसाधनों तक पहुंचने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने का आदेश देता है, जिसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण करना है।

5-2 **अनुमोदन प्राप्त करने के लिए**

एनबीए का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति और संस्थाएं दोनों गैर-भारतीय व्यक्ति या इकाई; भारतीय व्यक्ति या संस्थान को बीडी नियमों में यथा निर्धारित आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता है और इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से इसकी जांच की जा रही है। विभिन्न श्रेणियों के आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी तालिका 2 में दी गई है।

तालिका – 2 एबीएस आवेदनों की श्रेणी

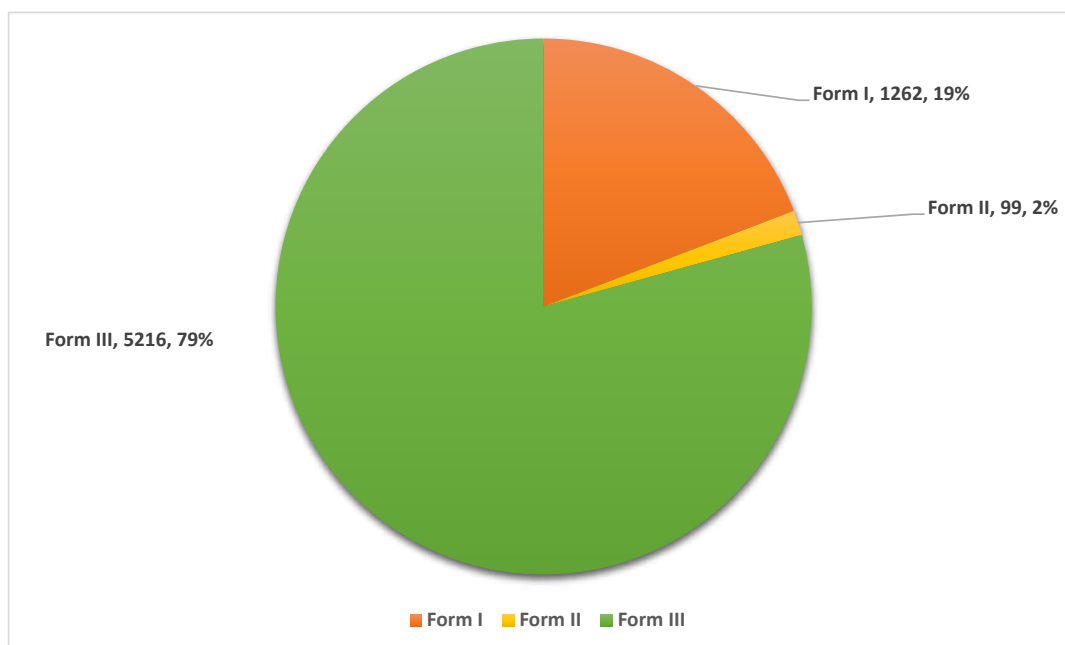
बीडी अधिनियम, 2002 की धाराएं	प्रपत्र संख्या	आवेदन का उद्देश्य	किसके द्वारा
धारा 3	I	अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव-सर्वेक्षण या जैव-उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और/या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच	शेयर पूंजी या प्रबंधन में गैर-भारतीय भागीदारी वाली गैर-भारतीय, एनआरआई, विदेशी इकाई या भारतीय इकाई
धारा 4	II	अनुसंधान के परिणामों का स्थानांतरण	शेयर पूंजी में गैर-भारतीय भागीदारी वाले किसी भी गैर-भारतीय, एनआरआई, विदेशी इकाई या भारतीय इकाई के लिए कोई भी भारतीय/गैर-भारतीय या संस्था
धारा 6	III	बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन मांगना	कोई भी भारतीय/गैर-भारतीय या संस्था

अपनी स्थापना के बाद से, एनबीए को फॉर्म I, II और III (तालिका 3) के तहत विभिन्न हितधारकों से 6577 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एनबीए को 958 आवेदन प्राप्त हुए हैं (रेखाचित्र 1), जो सभी प्रकार से पूर्ण थे और इसलिए उन्हें प्रसंस्करण के लिए लिया गया था।

तालिका 3 – विभिन्न श्रेणियों के तहत आवेदनों की प्राप्ति

फार्म	श्रेणी	वर्ष 2004 से प्राप्त आवेदन
फार्म I	अनुसंधान & वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और / या संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच	1262
फार्म II	मौद्रिक विचार या अन्यथा के लिए अनुसंधान के परिणामों को स्थानांतरित करना।	99
फार्म III	बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई अनापत्ति मांगना	5216
योग		6577

*31/03/2023 तक प्राप्त आवेदन



रेखाचित्र 1— 2022-23 की अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों में आवेदनों की प्राप्ति

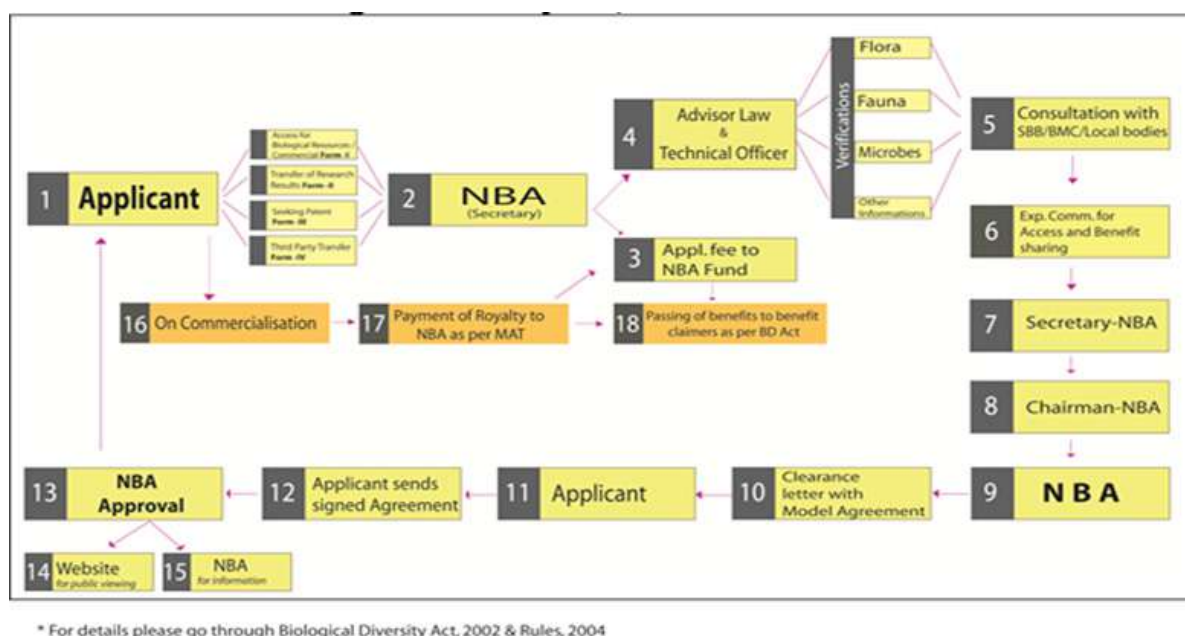
5-3 ,ch, l vuç; kxk dh Å&Qbçyx

एनबीए ने जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल "एबीएस ई-फाइलिंग सिस्टम (<http://absefiling.nic.in>) समर्पित किया है। पोर्टल आवेदन के लिए शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का भी प्रावधान करता है। एक बार पोर्टल पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद, आवेदन जमा करने में आसानी होने और एनबीए द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

5-4 tfod l l kèkuk dh igp d fy, çkfèkdj.k }kjk çnku dh xÅ çfØ;k vkj vueknu

एनबीए द्वारा प्राप्त अनुसंधान, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग और वाणिज्यिक उपयोग, अनुसंधान के परिणामों के हस्तांतरण, जैविक संसाधनों पर अनुसंधान या सूचना के आधार पर आविष्कार के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने और तीसरे पक्षों को एक्सेस किए गए जैविक संसाधनों के हस्तांतरण के लिए जैविक संसाधनों और / या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने वाले आवेदनों की एनबीए द्वारा जांच की जाती है और जैव विविधता प्रबंधन समिति(बीएमसी) से राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) के माध्यम से सहमति या अन्यथा मांगी जाती है। एसबीबी के माध्यम से बीएमसी के साथ परामर्श करने के बाद, एनबीए की मंजूरी एनबीए / एसबीबी और आवेदक के बीच एक लिखित समझौते के रूप में दी जाएगी। हालांकि, जिन मामलों में

निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, उन्हें मूल्यांकन के लिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर विशेषज्ञ समिति को भेजा जाएगा। प्राधिकरण के निर्णयों के आधार पर, आवेदकों को अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। निष्पादित समझौते में लाभ साझा करने वाले घटक दायित्वों सहित नियम और शर्तें शामिल हैं जो एबीएस, 2014 पर दिशानिर्देश के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। एबीएस अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण की एक योजनाबद्ध प्रस्तुति आकृति 2 में दिखाई गई है:



आकृति 2 एबीएस के प्रसंस्करण की एक योजनाबद्ध

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एनबीए को 958 आवेदन प्राप्त हुए जो सभी तरह से पूर्ण हैं और इसे प्रसंस्करण के लिए लिया गया है। आवेदनों के प्रसंस्करण के चरण तालिका 4 में दिखाए गए हैं।

तालिका 4.. 2022-2023 के दौरान प्राप्त एबीएस अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के चरण

विवरण	प्रपत्र I	प्रपत्र II	प्रपत्र I I I	कुल
प्राप्त	116	8	834	958
निष्पादित	78	3	751	832
प्रक्रियाधीन	30	4.	21	55
बन्द / प्रत्याहरण	8	1	62	71
हस्ताक्षरित / अनुमोदित अनुबंध	52	2	600	654
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदनों पर प्रगति				
प्रक्रियाधीन	32	0	144	176
हस्ताक्षरित / अनुमोदिद अनुबंध	100	5	486	591
बन्द / प्रत्याहरण	38	0.	174	212

5-5- ykHk dk nkok dju okyk dk ykHk lk>k dju dh jkf'k dh çkflr vkj forj.k

एनबीए को अब तक लाभ साझाकरण (बीएस) घटक के रूप में लगभग 194.68 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से वर्ष 2022–2023 के दौरान 49,83,70,936 रुपये प्राप्त हुए हैं।

लाल चंदन की लकड़ी की पहुंच पर प्राप्त बीएस राशि में से, एनबीए ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ लाल चंदन पर ईसी की सिफारिश के अनुसार वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और ट्रांस-डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय संस्थानों को 23.46 लाख रुपये की लाल चंदन अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन किया है।

लाल चंदन के अलावा अन्य जैविक संसाधनों की पहुंच पर प्राप्त बीएस राशि में से, एनबीए ने संबंधित लाभ दावाकर्ताओं जैसे बीएमसी / संस्थान / समुदायों को भौगोलिक स्थिति के आधार पर लाभ साझा करने वाले लाभ वितरित किए हैं, जहां से जैविक संसाधन एकत्र किए जाने हैं। रिपोर्टिंग के दौरान, एनबीए ने 19 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 1 केंद्रीय जैव विविधता परिषद (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यूटीबीसी चंडीगढ़) को जैविक संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित लाभ दावाकर्ताओं को वितरित करने के लिए 3.92 रुपये जारी किए।



अध्याय 6

आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किए गए उपाय

6-1- vkjHk fd, x, mik;

जैविक / आनुवंशिक संसाधन और उनके संबंधित ज्ञान बायोप्रोस्पेक्टिंग के लिए बुनियादी घटक हैं, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते आर एंड डी क्षेत्र में से एक है। यह मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण में योगदान देता है जिसमें बदले में भारी आर्थिक क्षमता है। बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का उपयोग इस मूल्यवान जानकारी पर एकाधिकार अधिकार बनाने के लिए एक कानूनी उपकरण के रूप में किया जाता है और इस तरह वाणिज्यिक सफलता सुनिश्चित की जाती है। हालांकि, पेटेंट के अनुदान के माध्यम से निजी संपत्ति अधिकारों का निर्माण भविष्य के अनुसंधान के लिए बाधा पैदा कर सकता है। भले ही ऐसे अनन्य अधिकारों के धारकों को काफी लाभ हैं, लेकिन इसे जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के वास्तविक संरक्षणकर्ताओं और धारकों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। जैव विविधता अभिसमय (सीबीडी) का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं के बीच आईपीआर के माध्यम से ऐसे अनुसंधान और बाद में जैविक संसाधनों के व्यावसायीकरण से उत्पन्न लाभों का न्यायसंगत साझाकरण करना है। यह पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) के माध्यम से पहुंच के लिए एक अंतरराष्ट्रीय जनादेश के निर्माण और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (एमएटी) के आधार पर लाभ साझा करने के द्वारा इन हितधारकों के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है। भारत ने सीबीडी के तीन उद्देश्यों अर्थात् जैविक संसाधनों का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे को लागू करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया। जैव विविधता अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, भारत से होने वाले या प्राप्त जैविक संसाधन पर किसी भी शोध या जानकारी के आधार पर किसी आविष्कार के लिए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। इस तरह का अनुमोदन प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति फॉर्म III में एनबीए के लिए आवेदन करेगा।

29 अक्टूबर, 2010 को अपनाए गए नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य सीबीडी के तीसरे उद्देश्य को मजबूत करना है – आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग पर लाभों का उचित और समान हिस्सादारी। इस संबंध में, नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 और 16 में कहा गया है कि प्रत्येक पक्ष यह प्रदान

करने के लिए उचित, प्रभावी और आनुपातिक विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर उपयोग किए जाने वाले 'आनुवंशिक संसाधनों' और 'आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान' को पूर्व सूचित सहमति के अनुसार एक्सेस किया गया है और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें स्थापित की गई हैं, जैसा कि घरेलू पहुंच और लाभ-साझाकरण कानून या दूसरे पक्ष की नियामक आवश्यकताओं द्वारा आवश्यक है। इसके अलावा, पार्टियां गैर-अनुपालन की स्थितियों को संबोधित करने के लिए उचित, प्रभावी और आनुपातिक उपाय करेंगी और जहां तक संभव हो और उचित रूप से, घरेलू पहुंच और लाभ-साझाकरण कानून या नियामक आवश्यकताओं के कथित उल्लंघन के मामलों में सहयोग करेंगी।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और भारतीय पेटेंट कार्यालय पेटेंट आवेदनों की प्रभावी निगरानी के लिए पिछले कुछ वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैव विविधता (बीडी) अधिनियम, 2002 की धारा 6 में यह आवश्यक है कि भारत से प्राप्त जैविक संसाधन पर किसी भी शोध या जानकारी के आधार पर किसी आविष्कार के लिए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को एनबीए से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जबकि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 10 (4) (ii) (डी) में आवेदक को आविष्कार में उपयोग किए गए जैविक संसाधनों के स्रोत और उत्पत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 6 की भावना को 25 मार्च, 2013 के 'पेटेंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी आवेदनों की जांच के लिए दिशानिर्देश' और पेटेंट महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा 18 दिसंबर, 2012 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के तहत डिजाइन और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के कार्यालय द्वारा जारी 'पारंपरिक ज्ञान और जैविक सामग्री से संबंधित पेटेंट आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश' में शामिल किया गया है। सीजीपीडीटीएम द्वारा जारी इन दोनों दिशा-निर्देशों और 2012 के परिपत्र संख्या 1 में यह अपेक्षा की गई है कि भारत से प्राप्त जैविक सामग्री पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक द्वारा 'एनबीए अनुमोदन' की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है। इसके अलावा, इस आवश्यकता को फॉर्म-८ में एक घोषणा के रूप में भी शामिल किया गया है जिसे पेटेंट आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। ये सभी उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट एनबीए से अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं दिया जाएगा।

अध्याय 7

जैविक संसाधनों की पहुंच के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अनुसंधान के लिए जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान की पहुंच, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग; वाणिज्यिक उपयोग; आईपी अधिकार प्राप्त करने; अनुसंधान के परिणामों के हस्तांतरण और अभिगम किए गए जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान के हस्तांतरण से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अनिवार्य किया गया है। आवेदक द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को अधिनियम की धारा 19 और 20 में, जैव विविधता नियम 2004 में और एबीएस विनियम 2014 के 14, 17, 18, 19 और 20 में उल्लिखित किया गया है।

इन गतिविधियों के लिए, एनबीए को विभिन्न हितधारकों जैसे गैर-भारतीय व्यक्ति या इकाई, भारतीय व्यक्ति या संस्था जिसकी जांच इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की जाती है, से आवेदन प्राप्त होते हैं। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी तालिका 5 में दी गई है।

तालिका 5: एबीएस आवेदनों की श्रेणी

अनुभाग	फॉर्म	वर्ग	2004 से प्राप्त आवेदन
बीडी अधिनियम 2002 की धारा 20	फॉर्म IV	एक्सेस किये गये जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान का तृतीय पार्टी स्थानांतरण	98
एबीएस विनियम 2014 की धारा 13	फॉर्म बी	जैविक संसाधनों का उपयोग करके भारतीय शोधकर्ताओं सरकारी संस्थानों द्वारा भारत के बाहर आपातकालीन उद्देश्य के लिये गैर वाणिज्यिक अनुसंधान या अनुसंधान का संचालन करना	249

स्थापना के बाद से, एनबीए को विभिन्न हितधारकों से फॉर्म IV (98) और फॉर्म बी (249) के 347 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों के प्रसंस्करण के चरण को तालिका-6 में दिखाया गया है।

तालिका -6: 2022-23 में फॉर्म IV और फॉर्म बी के एबीएस आवेदनों के प्रसंस्करण के चरण

विवरण	फॉर्म IV	फॉर्म बी	कुल
प्राप्त	1	33	34
निष्पादित	.	25	25
प्रक्रियाधीन	.	1	1
बन्द प्रत्याहरण	1	7	8
हस्ताक्षरित अनुमोदित अनुबंध	.	25	25
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदनों पर प्रगति			
निष्पादित	0	2	2
हस्ताक्षरित अनुबंध	0	2	0
बन्द प्रत्याहरित	2	2	4



अध्याय 8

बौद्धिक संपदा अधिकार और जैव विविधता अधिनियम, 2002 और सार्वजनिक भागीदारी से संबंधित जागरूकता

8-1% fofHkUu fgrèkkjdk d l kFk mPp vfèkdkfj; k dh ckrphr

1) 18 नवंबर 2022 को केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी, कोयम्बटूर के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत "भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का परिचय और पीबीआर का प्रलेखन" पर एक व्याख्यान दिया गया।

2) एनबीए ने 18.01.2023 को एनबीए, चेन्नई में हिमाचल प्रदेश वन अकादमी के वन रेंज अधिकारी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।



3) एनबीए के अध्यक्ष ने 20.01.2023 को बेंगलुरु में जी-20 के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कार्य समूह की प्रस्तावना बैठक में भाग लिया।

4) भारत में झेक गणराज्य की राजदूत डॉ एलिस्का जिगोवा ने एबीएस से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए 24.01.2023 को एनबीए का दौरा किया।



5) एनबीए ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के साथ मिलकर जैव विविधता संरक्षण और इसके शासन पर आईएफएस परिवीक्षाधीनों के लिए 09.02.2023 को एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। एनबीए के पूर्व सचिव श्री जे जस्टिन मोहन, आईएफएस प्रोफेसर एम के रमेश, श्री कुणाल सत्यार्थी आईएफएस और श्री प्रदीप सरमोकदम ने बीडी अधिनियम/नियमों, एबीएस तंत्र, जैव विविधता संरक्षण और केस स्टडीज के साथ भागीदारी दृष्टिकोण पर बातचीत की।



6) जी-20-1 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की कार्यकारी समूह की बैठक 9 से 11 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। अध्यक्ष, एनबीए ने "जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन: वैश्विक जैव विविधता ढांचे के साथ संरेखण, 2022" विषय पर जी 20 देशों के समक्ष भाग लिया और प्रस्तुति दिया।





7) डॉ. बी बालाजी, भा.व.से सचिव एनबीए ने एक भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 20.02.2023 से 03.03.2023 तक न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन पर अंतर-सरकारी सम्मेलन में भाग लिया।

8) 17.02.2023 को, जेडएसआई और बीएसआई / हैदराबाद ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाने के लिए "आर्द्रभूमि बहाली के लिए यह समय है" पर एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। एनबीए के अध्यक्ष श्री सी. अचलेंदर रेड्डी, भा.व.से, (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कॉलेज के छात्रों, जेडएसआई और बीएसआई के वैज्ञानिकों को संबोधित किया और आर्द्रभूमि के महत्व – इसकी बहाली और बक़हत उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने पोस्ट 2020 जीबीएफ लक्ष्य 2 और 3 और एसडीजी पर कुनमिंग-मॉन्ट्रियल घोषणा को भी देखा। इस कार्यक्रम में लगभग 70 लोगों ने भाग लिया।

9) तेलंगाना वन अकादमी के वन रेंज अधिकारी प्रशिक्षुओं ने 02.03.2023 को एनबीए का दौरा किया। कार्यक्रम के दौरान, बीडी अधिनियम, कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा के संदर्भ में जैव



विविधता शासन पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। गुजरात और जम्मू-कश्मीर के लगभग 50 अधिकारियों ने भाग लिया।

10) जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के लिए पायलट क्षमता निर्माण कार्यक्रम” नामक एक प्रस्ताव विकसित किया गया।

11) एमओईएफसीसी के सलाहकार और अन्य अधिकारियों के साथ उन मदों पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल बैठक बुलाई गई थी, जिन पर 10.02.2023 को बीडी अधिनियम में विधेयक, 2021 संशोधन को संबोधित करने के लिए सहमति नहीं थी।

12) 14.02.2023 को संहिताबद्ध टीके, एक्सेस, वीएपी, अनुसंधान और वाणिज्यिक उपयोग पर चर्चा करने के लिए एमओईएफसीसी के सलाहकार और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक बुलाई गई और एमओईएफसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को इसे स्पष्ट किया गया।

13) कर्नाटक एसबीबी, एनबीए अधिकारियों, आईटी और एसबीबी टीमों के अनुरोध पर कर्नाटक राज्य जैव विविधता बोर्ड के अधिकारियों के साथ 01.03.2023 को चर्चा हुई कि एबीएस आवेदनों की प्राप्ति और प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे विकसित किया जाए।

14) श्री सी. अचलेन्द्र रेड्डी, भा.व.से (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता में दिनांक 01.03.2023 को आंध्र प्रदेश (एपी) वन विभाग और एपी राज्य जैव विविधता बोर्ड के अधिकारियों के साथ लाल चंदन पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

15) सचिव, एनबीए ने दिनांक 21.03.2023 को आयोजित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार समूह की पहली बैठक में भाग लिया, जिसका उद्देश्य एक प्रचालनात्मक निधि तैयार करने के संबंध में देश की स्थिति तैयार करना था जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली हानि और क्षति का समाधान कर सके।

18-2 fgrrèkkjdk d l kFk ckrphr@{kerk fuek.k dk;Øe%

1) एनबीए और आईआईएसईआर, तिरुपति ने संयुक्त रूप से 30 अप्रैल और 1 मई 2022 को तिरुपति में पूर्वी घाटों की जैव विविधता के संरक्षण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।



2) पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम योजना के तहत जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन पर एमओईएफसीसी-एनबीए-बीएसआई-जेडएसआई वीडियो कॉन्फ्रेंस 11 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया।

3) एनआईसी चेन्नई और एनआईसी केरल ने 16.02.2023 को ऑनलाइन माध्यम से एसबीबी/बीएमसी और अन्य एजेंसियों द्वारा ई-पीबीआर प्रलेखन पर डेमो देने के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा, गोवा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा की एनआईसी इकाइयों के साथ एक बैठक आयोजित की। ये एनआईसी इकाइयां मैनुअल पीबीआर को ई-पीबीआर में बदलने के लिए राज्य में एसबीबी/बीएमसी/टीएसजी को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेंगी।

4) रेड ऑयल पाम पर उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की पहली बैठक हाइब्रिड मोड के माध्यम से 17.02.2023 को आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता एनबीए के अध्यक्ष श्री सी अचलेंद्र रेड्डी, भा.व.सेवा (सेवानिवृत्त) ने की। श्री आनंद कुमार प्रभाकर, आईएफएस, डीआईजी वन, एमओईएफसीसी, समिति के सदस्य संयोजक भी उपस्थित थे।

5) तकनीकी अधिकारी (बीएस), एनबीए ने 17.02.2023 को तेलंगाना एसबीबी के कार्यालय में तेलंगाना एसबीबी के सदस्य सचिव श्री कालीचरण, आईएएस और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की और एनआईसी यूनिट, तेलंगाना के समर्थन से ई-पीबीआर कार्य और एबीएस से संबंधित मामलों जैसे मुद्दों पर चर्चा की। श्री कृष्णन, राज्य एनआईसी समन्वयक ने भी बैठक में उपस्थित होकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। पहले कदम के रूप में, 20/02/23 को बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को एनआईसी इकाई द्वारा विकसित ई-पीबीआर सॉफ्टवेयर में उपलब्ध विशेषताओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

6) 17.03.2023 को, एनआईसी चेन्नई और केरल ने पायलट राज्यों (12) – एसबीबी और संबंधित राज्य की एनआईसी इकाइयों को ई-पीबीआर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए एक डेमो का आयोजन किया। बैठक में लगभग 50 लोगों ने भाग लिया। एनबीए टीम ने डेटा फीडिंग, सत्यापन, बीएमसी/टीएसजी/एसबीबी/एनबीए और एनआईसी की भूमिका, समय सीमा आदि पर चर्चा की।

8-3 वरिक्त"Vh; tlo fofoèkrk fno l ¼vkÅMhch½ &2022 dk vk;k tu

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और राष्ट्रीय जैव विविधता



प्राधिकरण (एनबीए) ने नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, वेटलैंड अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और तमिलनाडु स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के सहयोग से 22 मई 2022 को कलईवनार अरंगम चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव एक दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री थिरु शिवा वी. मेयनाथन भी उपस्थित थे। यूएनडीपी के रेजिडेंट प्रतिनिधि ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा, राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों के अध्यक्ष और सदस्य सचिवों, बीएमसी सदस्यों और देश के विभिन्न हिस्सों से हितधारक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले बीएमसी सदस्यों द्वारा एक जैव विविधता प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा स्थल पर किया गया था। एनबीए, एसबीबी, यूटीबीसी, सरकारी विभागों और संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस वर्ष के विषय "जैव विविधता, पोषण सुरक्षा और मानव कल्याण" पर जैव संसाधनों या संबंधित वस्तुओं से बने जागरूकता सामग्री और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए स्टाल लगाए गए थे।

केंद्रीय मंत्री ने "भारत में अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों (ओईसीएम) की पहचान के लिए मानदंड और दिशानिर्देश", ओईसीएम संग्रह और "भारत प्राकृतिक" नामक प्रकाशनों का विमोचन किया, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की संयुक्त पहल हैं। इस वर्ष एनबीए ने एशियाई जल पक्षी जनगणना के साथ हाथ मिलाया, जिसे वेटलैंड्स इंटरनेशनल-साउथ





एशिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित किया गया ताकि आर्द्रभूमि संरक्षण में एसबीबी और बीएमसी की भूमिका को बढ़ाया जा सके और पीबीआर और राज्य स्तरीय संरक्षण कार्य योजनाओं में एडब्ल्यूसी डेटा को एकीकृत किया जा सके। मंत्री महोदय द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र की एक सारांश रिपोर्ट भी जारी की गई।

समारोह के हिस्से के रूप में, मंत्री और भारतीय डाक के पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा एक “विशेष कवर” जारी किया गया। कवर के लिए एक विशेष लोगो डिजाइन किया गया है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के एकीकरण और पारंपरिक मूल्य प्रणालियों के साथ इसके संबंधों को दर्शाता है।

भारत जैव विविधता पुरस्कार (आईबीए) के 5 वें चक्र के लिए पुरस्कार की घोषणा 2021 में की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण नहीं दिया जा सका। विजेताओं को आईडीबी 2022 के अवसर पर माननीय मंत्री से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस अवसर

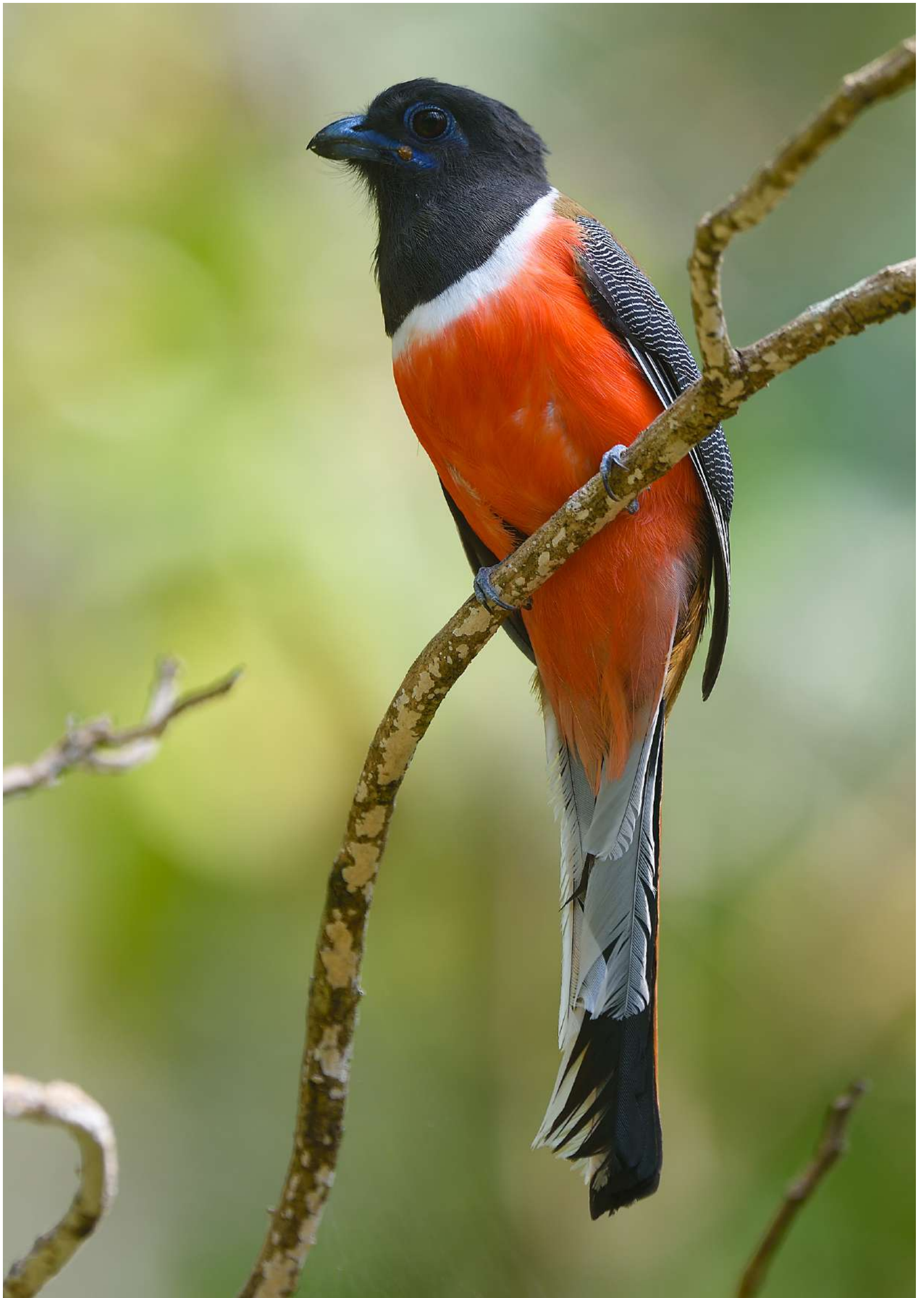




पर जैव विविधता संरक्षण इंटरनशिप कार्यक्रम का चौथा चक्र भी शुरू किया गया।

आईडीबी 2022 समारोह के एक भाग के रूप में, एनबीए ने समाज में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 3 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विजेताओं की घोषणा की गई, जिन्हें प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया।

समापन सत्र में, देश के विभिन्न हिस्सों से बीएमसी सदस्यों, एसबीबी, यूटीबीसी और भारतीय व्यापार और जैव विविधता पहल के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत की।



अध्याय 9

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, 38, 40 और 64 के अंतर्गत जारी विनियम

9-1- तल फोफोकरक फोजलर LFkyk dh ?kk”k.kk ¼ch,p,l½

जैव विविधता विरासत स्थलों की अधिसूचना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा 18 और जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) को अधिसूचना के अंतर्गत लाया गया है। 2022-23 में अधिसूचित बीएचएस की सूची इस प्रकार है:

तालिका 7: 2022-23 में अधिसूचित जैव विविधता विरासत स्थलों की सूची

l ;k	jkT;	uke{k=½(in ha)	ft yk	vf/k l puk
1	असम	हाजोंग घडियाल झील (526.78)	दिमा हसाओ	No. FRM.20/2022/78-dtd 10.08.2022
2		बोर्जुली वाइल्ड राइस साइट (0.4)	सोनितपुर	No. FRM.20/2022/77-dtd 10.08.2022
3	हिमाचल प्रदेश	सुराल भटोरी (0.49)	चंबा	STE-A(3)-1/2004-Loose Dtd 18.08.2022
4		हुडल भटोरी(8.53)	चंबा	“
5		नैन गाहर (12.3)	लाहौल और स्पिति	“
6	मध्य प्रदेश	अमरकंटक (7681.5)	अनुपपुर	F 16-02/2021/10-2 dtd 22.07.22
7	उड़ीसा	महेन्द्रगिरी(4250)	गजापति	FE-ENV-1-ENV-0064/2022/20954/FE &CC dtd 25.11.22
8		गन्धमर्दन हिल्स (18,963.898)	बोलंगिरि और बारगढ़	FE-ENV1-ENV-0011-2023/ 5199/ FE &CC dtd 20.03.23
9	तमिल नाडु	अरीटापट्टी (193.215)	मदुरै	No.II(2)/ECCF/878©/2022 dtd 22.11.22
10	त्रिपुरा	बारामुला वाटरफाल (150)	खोवै	No. F 24(4-3)/HER SITE/FOR-TBB/2009-10 /1198-280 dtd 12.09.22
11		उनाकोटी (40)	उनाकोटि	“
12		सिलाचरी केव्स(100)	गोमती	“
13		डेब्यारी या चाबीमुरा (215)	गोमती	“
14		बेटलिंगशिब और इसका समीपवर्ती स्थल (350)	उत्तरी जिला	“

l ;k	jkT;	uke{k=½(in ha)	ft yk	vf/k l puk
15	पश्चिम बंगाल	राज्य बागवानी अनुसंधान एवं विकास केंद्र (39.61)	नदिया	No. 508-EN/T-II-7/003-ii/2023 dtd 10.03.23
16		नामथिंग पोखरी (4.819)	दार्जिलिंग	No. 506-EN/T-II-7/003-ii/2023 dtd 10.03.23
17		चार बलिदंगा (46.862)	नदिया	No. 505-EN/T-II-7/003-ii/2023 dtd 10.03.23
18		आमखोई वुड फासिल पार्क (10)	बीरभूमि	No. 507-EN/T-II-7/003-ii/2023 dtd 10.03.23

9-2 ch,p,l dh çc/ku ;ktuk dh :ij[kk fodflr dju vkj ekt nk ch,p,l fn'kkfun'kk dh leh{kk d fy, fo'k"kk lfefr

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के प्रावधानों के तहत, राज्य सरकारें स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) को अधिसूचित कर सकती हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे मौजूदा बीएचएस दिशानिर्देशों में बताए अनुसार अधिसूचित बीएचएस के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने के साथ-साथ बीएचएस की पहचान करें और स्थापित करें। इस संदर्भ में, एनबीए ने बीएचएस की प्रबंधन योजना की एक रूपरेखा विकसित करने और मौजूदा बीएचएस दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए डॉ. ए. के. गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जो कि ओएम संख्या 9/280/2020/एसबीबी-बीएचएस/2553 दिनांक 26.10.2020 के माध्यम से मौजूदा बीएचएस दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी। समिति ने 6 नवंबर 2020 को बीएचएस के प्रबंधन और निगरानी पर चर्चा करने के लिए पहली बार मुलाकात की। इसके बाद, मौजूदा बीएचएस दिशानिर्देशों पर समिति के दो उपसमूहों के लिए और बीएचएस की प्रबंधन योजना के लिए एक सरल ढांचा विकसित करने के लिए 3 दिसंबर 2020 को अनुवर्ती बैठकें आयोजित की गईं। जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान, अधिसूचना और प्रबंधन के लिए समिति द्वारा एक मसौदा दिशानिर्देश तैयार किया गया था। इसे एसबीबी और यूटीबीसी के बीच उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए परिचालित किया गया था। केरल, नागालैंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों ने मसौदे पर अपनी टिप्पणियां साझा कीं। 10 जून, 2022 को ईसी सदस्यों, यूएनडीपी और एनबीए के बीच एक आभासी बैठक बुलाई गई थी ताकि ओईसीएम (अन्य प्रभावी संरक्षण उपाय आधारित हैं) और बीएचएस श्रेणियों के बीच ओवरलैप पर चर्चा की जा सके और इसे कम किया जा सके। अंत में, समिति के अध्यक्ष द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए एनबीए को एक संशोधित मसौदा दिशानिर्देश प्रस्तुत

किया गया और 17 और 26 अगस्त 2022 को आयोजित 66वीं प्राधिकरण बैठक में इसका समर्थन किया गया। जैव विविधता अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने नए प्रावधानों, यदि कोई हों, को अधिनियम में संशोधन करते ही शामिल करने का सुझाव दिया।

9-3 तालिका 8: अधिनियम, 2002 की धारा 38 में केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के

परामर्श से उन पौधों और जानवरों की प्रजातियों को संकटापन्न प्रजातियों के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं अथवा निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है ताकि किसी भी प्रयोजन के लिए उनके संग्रहण को प्रतिषिद्ध या विनियमित किया जा सके और उन प्रजातियों के पुनर्वास और परिरक्षण के लिए समुचित कदम उठाए जा सकें। अब तक 18 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों नामतः असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दीव और बांध द्वीपों ने बीडी अधिनियम की धारा 38 के तहत संकटापन्न प्रजातियों को अधिसूचित किया है, जिसमें कुल 159 पौधों और 175 पशु प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। (तालिका 8)

तालिका 8: उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जिन्होंने बीडी अधिनियम की धारा 38 के तहत संकटापन्न प्रजातियों को अधिसूचित किया है।

क्रमांक	अधिसूचना/आदेश	अधिसूचना की तारीख	संदर्भ	वनस्पति	जीवधारी
1	हिमाचल प्रदेश	17.03.2009	S.O.783(E)	8	10
2	केरल	15.04.2009	S.O.997(E)	26	13
3	उत्तर प्रदेश	15.04.2009	S.O.998(E)	1	.
4	उत्तराखंड	15.04.2009	S.O.999(E)	16	15
5	मिजोरम	30.09.2009	S.O.2524(E)	8	8
6	उड़ीसा	30.09.2009	S.O.2525(E)	1	13
7	मेघालय	30.09.2009	S.O.2526(E)	6	5
8	गोवा	31.03.2010	S.O.770(E)	2	7
9	कर्नाटक	30.10.2010	S.O.2718(E)	16	16
10	मध्य प्रदेश	07.06.2010	S.O.1329(E)	3	10
11	पश्चिम बंगाल	31.03.2010	S.O.769(E)	2	17
12	बिहार	03.02.2011	S.O.289(E)	1	6

क्रमांक	अधिसूचना/आदेश	अधिसूचना की तारीख	संदर्भ	वनस्पति	जीवधारी
13	तमिल नाडु	01.03.2011	S.O.473(E)	23	16
14	त्रिपुरा	03.02.2011	S.O.290(E)	1	2
15	मणिपुर	26.10.2012	S.O.2611(E)	5	6
16	अंदमान एवं निकोबार	26.10.2012	S.O.2612(E)	5	8
17	पंजाब	04.02.2014	S.O.402(E)	8	5
18	दमन दियु	29.04.2015	S.O.1162 (E)	.	1
19	जम्मू और कश्मीर	02.08.2018	S.O. 3845 (E)	20	10
20	असम	02.08.2018	S.O. 3846 (E)	7	7
	योग			159	175
	कुल योग (वनस्पति जीवधारी)			334	

9-4 त्ो फोफोèkrk vfèkfu;e] 2002 dh èkkjk 40 d rgr vfèk l puk,

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 40 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से जैविक संसाधनों सहित किसी भी मद को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने के लिए (सरकारी राजपत्र में) अधिसूचित करने की शक्ति से संबंधित है, जैसा कि सामान्य रूप से वस्तुओं (एनटीएसी) के रूप में कारोबार किया जाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अब तक दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के एसओ 1352 (ई) (385 प्रजातियाँ) और 7 नवंबर, 2017 (36 प्रजातियाँ) के एसओ 3533 (ई) के तहत धारा 40 के तहत दो राजपत्र अधिसूचनाएं जारी की हैं, इस प्रकार कुल 421 पौधों की प्रजातियों/जैविक संसाधनों को एनटीएसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

ये अधिसूचनाएं <http://nbaindia-org/content/18/21/1/notifications.html> (बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 40 के तहत सामान्य रूप से कारोबार की जाने वाली वस्तुओं के रूप में अधिसूचित जैविक संसाधन) पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

अध्याय 10

वित्त और लेखा

इसे 68वीं प्राधिकरण बैठक में मसौदा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुलग्नक ८ के रूप में रखा गया है।

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY TARAMANI, CHENNAI - 600113 Receipts and Payments Account for the year ended 31st March, 2023					
(Amount in Rs)					
Receipts	Current Year: 2022-23	Previous Year: 2021-22	Payments	Current Year: 2022-23	Previous Year: 2021- 22
I. Opening Balances:			I. Expenditures:		
A) NBA Account			a) Establishment Expenses		
a) Cash in hand	40,000	40,000	i) previous year O/s Rs.	2,45,46,481	2,52,39,082
b) Stamp	1,868	707	ii) Current Year Exps Rs.24481001		
c) Bank Balances:-			iii) Current Asset Rs.65480		
NBA General A/c	1,19,74,634	1,75,14,783	b) Administrative Expenses		
NBA Salary A/c	48,43,917	48,57,891			
NBA SC SP A/c	57,280	29,323			
NBA SC STP A/c	6,160	17,426			
NBA Capital A/c	1,22,74,528	-			
B) NBF Account			General Exps		
a) Bank Balances(SB A/c & Current A/c)	1,18,53,61,540	75,41,72,943	i) previous year O/s Rs.1704737	8,46,74,641	6,31,10,290
b) Fixed Deposit A/c	20,85,000	3,34,79,408	ii) Current Year Exps Rs.82969904		
c) NBA Fund Admin A/c	1,00,468	96,282			
D) Projects			Consumption of Stamps		
i) NBA Asean Project A/c	41,793	40,566	Consumed out of Opening		
ii) GEF Bank A/c	92,68,044	90,21,973	iii) Stamp Purchased	5,286	5,980
			iv) Funding for awareness programs	3,37,500	6,65,788
			v) E- Office Development		2,764
			vi) Liaison office hyderabad Exps		
			c) Advance to Building		
			d) Fixed Assets	9,112	23,505
II. Grants-			e) NBA Capital A/c	1,19,55,546	32050
a) Grant Received from (MoEF & CC)	15,50,00,000	15,51,99,738	i) Fixed Asset Rs.1938564		
			ii) Inventories Rs.16982		
			iii) Capital Grant refund Rs.1,00,00,000		
III. Income on- Investments from			IV. SBB's		
a) Earmarked /			i) Strengthening of SBBs.	3,48,81,306	3,79,99,103
Endowment Funds			ii) Constitution of BMCs. &	99,60,000	2,00,00,000
			iii) Special Compound for SC-SP	47,500	3,00,000
			iv) Special Compound for TSP	5,000	
			II) Refund of interest earned on GIA to Govt.	44,37,154	74,80,309
			II a) Refund of interest earned on GIA to Govt. (Capital A/c current year)	2,44,976	
			III. Other Payments		
			a) Miscellaneous Expenditure/ Bank Charges on NBF A/c		
			Deposits/E.M.D. repaid	30,000	19,750
			Expenditure incurred from App. fees	48,359	67,162
			GEF NIC payable - Fixed Deposit		69,38,957
			Income Tax Refund - transferred to Fund A/c		15,21,492
IV. Interest received			IV. Project A/c		
A) NBA A/c	8,05,443	14,23,973	i) NBA Asean Project A/c		1
1) Authority General A/c Rs.412263					
2) Authority Salary A/c Rs.103678					
3) Authority SC- SP A/c Rs.72					
4) Authority STP A/c Rs.8					
5) Capital A/c Rs.289422					
a) Interest on Advances (76+322)	398	276	Refund of interest on advance to Govt.	276	-
B) Interest/ Unspent refunded by SBB's & Non SBBs Rs. 889034	8,89,034	27,91,874			
C) NBA Fund A/c			V) NBA Fund		
i) Fund A/c Savings bank Interest	1,18,326	1,17,349	a) Benefit Sharing the Payment to Stakeholders under Red Sanders	23,46,198	83,31,914
ii) NBA Sweep A/c interest	4,03,93,447	2,46,28,609			

Receipts	Current Year: 2022-23	Previous Year: 2021-22	Payments	Current Year: 2022-23	Previous Year: 2021- 22
iii) Fixed Deposit A/c Interest received/Reinvested- (Fund)	94,155	17,40,382	b) Benefit Sharing the Payment to Stakeholders under Other than Red Sanders (ABS)	3,90,89,747	1,01,30,654
D) Fixed deposit during the year- GEF (NIC payable)	71,75,657	69,38,957	c) Unclassified now classified	6,14,590	2,07,14,322
E) Fixed deposit Interest during the year- GEF (NIC payable)	2,42,986	2,36,700			
V. Income to NBF A/c			d) Bank Charges	1,189	1,732
a) Application fee	15,84,011	16,46,616			
b) ABS Upfront payment	38,97,30,903	30,70,40,955			
c) Benefit Sharing (Red Sanders)	10,86,40,033	10,18,42,642			
d) unclassified receipts	-	4,34,767			
e) Refund from IT Dept (Received from NBA authority A/c)	-	15,21,492			
VI. Other Income					
A) Refund of Expenditure					
B) Sale of Assets	1,69,688	14,001			
C) RTI filing fee	282	20			
VII. Income NBF Admin A/c					
NBA Fund Admin (ABS)	1,07,84,896	-			
Interest on NBA Fund Admin A/c	38,808	4,186			
VIII. Other Receipts:					
Earnest Money / Security Deposit / Ret. Money recd. from Contractors	44,583	38,000			
Application fee for Interns recruitment	38,701	1,30,661			
Sale of Newspaper	7,900.00	-			
Unspent amount from SC SP A/c		3,37,500			
Unencashed Receipts 2022-23		2,07,305			
Unencashed cheque Capital A/c		10,00,000			
IX _ Project Account					
GEF. Project A/c-Interest	2,52,782	2,46,071			
NBA Asean Project A/c-Interest	1,265	1,227			
Performance Guarantee					
			Stamp Consumed out of opening (6005-5286)	719	
			VII. Closing - Balances		
			a) Cash in hand	40,000	40,000
Stamp Consumed out of opening	-	1,161	b) Stamps in Hand	1,149	1,868
			c) Bank Balances (FUND)		
			1) NBA Fund A/c (Savings)	1,63,37,76,535	1,18,53,61,540
			2) In Fixed Deposit (Fund) A/c	5,21,79,155	20,85,000
			d) NBA A/c		
			1) NBA General A/c	45,69,844	1,19,74,634
			2) NBA Salary A/c	1,03,02,638	48,43,917
			3) NBA SC SP A/c	72	57,280
			4) NBA SC ST A/c	8	6,160
			5) NBA Capital A/c	56,850	1,22,74,528
			6) Admin Fund A/c	1,09,24,172	1,00,468
			7) GEF Cash & Bank A/c	95,20,826	92,68,044
			8) Asean Project A/c	43,058	41,793
			9) Fixed Deposit (GEF)	74,18,643	71,75,657
Total	1,94,20,68,530	1,43,58,15,764	Total	1,94,20,68,530	1,43,58,15,764


ACCOUNTS OFFICER


SECRETARY


CHAIRPERSON

**NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113**

Income and Expenditure for the year ended 31st.March,2023

INCOME	Sch. No.	Current Year 2022-23	Previous Year: 2021-22
Income from Sales / Services	12		
Grants/ Subsidies:			
Grants received as per (Sch.No.13)	13	15,50,00,000	17,19,79,003
un utilized Grants for 2022-23(Sch.No.13)		2,42,02,602	
Unspent Grant refunded to Govt SCSP		52,500	
Total (Sch.No.13)		179255102	
Less: Capitalization of Fixed Assets-)			
during the year 2022-23 }		(-) 19,47,676	
add: Interest payable to govt.(Schedule 17)		16,89,904	
Net Income from Grants		17,89,97,330	
Fees / Subscription	14		
Income from Investments (Income on Investments from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)	15		
Income from Royalty, Publication etc.	16		
Interest Earned	17		
Other Income	18	2,16,473	14,27,615
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works in-progress	19		-
Audit Fee excess Pro provided 2020-21		81,970	0
Income receivable from Govt.Gratutiy & leave salary		3,73,516	16,35,830
TOTAL (A)		17,96,69,289	17,50,42,448
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	2,68,63,543	2,49,03,432
Other Administrative Expenses etc.	21	8,47,79,966	6,29,00,831
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	4,48,41,306	5,82,99,103
Interest	23		-
Depreciation as per Schedule 8		13,75,158	15,10,818
Accummulated Depreciation created during 2019-20 written off to the extend		11,91,195	0
Earlier years depreciation now provided from 2017-18 to 2021-22 for the asset NIC ABS Phase I			15,21,275
Income Tax Refund			15,21,492
Capital Grant refunded to MoEF & CC		1,00,00,000	0
Application Fees amount returned (2021-22)		48,359	0
Unspent Grant refunded to Govt SCSP Rs.47500 & TSP Rs.5000		52,500	0
Payable to Government: Un-Utilized Grant		1,28,32,731	2,42,55,102
Interest/sale of assets payable to Government (1689904+167849+7900-244976-276-11)		16,20,390	37,81,101
TOTAL (B)		18,36,05,148	17,86,93,154
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		-39,35,859	-36,50,706
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		


ACCOUNTS OFFICER


SECRETARY


CHAIRPERSON

**NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113**

Balance Sheet for the year ended 31st March, 2023

<u>CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>	Sch. No.	Current Year: 2022-23	Previous Year: 2021-22
CAPITAL FUND	1	35,39,647	57,00,542
RESERVES AND SURPLUS	2		-
NATIONAL BIODIVERSITY FUND	3 A	165,49,59,019	114,83,41,789
NATIONAL BIODIVERSITY FUND ADMIN	3 B	7,98,81,765	5,49,74,052
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4		-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5		-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6		-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	3,94,57,289	5,12,67,623
TOTAL		177,78,37,720	126,02,84,006
<u>ASSETS</u>			
FIXED ASSETS	8	45,36,399	51,55,113
Advance payment for Building		-	
NICSI total value of work Rs.4028461			
Less: Finised Phase I Application Rs.2028366		-	
Less: Work-in-Progress Rs. 199152		-	
Finished Goods Rs. 1800943			
INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ ENDOW MENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS - OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS,LOANS,ADVANCES ETC.	11	177,33,01,321	125,51,28,893
TOTAL		177,78,37,720	126,02,84,006
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		


ACCOUNTS OFFICER


SECRETARY


CHAIRPERSON

वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक योजना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के जैव विविधता अधिनियम को लागू करने और जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) द्वारा दिए गए जनादेश को पूरा करने के लिए हर साल कार्य बिंदुओं की एक सूची निर्धारित करता है। 2023-24 के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है और उन्हें एमओईएफ और सीसी से धन की उपलब्धता के अधीन राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाएगा।

1. बीएमसी के राज्य-वार नेटवर्क में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा और पीबीआर तैयार करना, मौजूदा परिचालन प्रक्रिया में चुनौतियों और कमियों का विश्लेषण करना। बीएमसी की कार्यात्मक स्थिति का आकलन करना और देश के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में और उसके आसपास निष्क्रिय बीएमसी के पुनरुद्धार को प्राथमिकता देना।

2) राज्यों में पीबीआर तैयार करने की दिशा में अनुकूलित तंत्र की समीक्षा (स्थल और राज्य-विशिष्ट पद्धति; कैप्चर किए गए आंकड़ों का प्रमाणीकरण; वित्तीय सहायता का उपयोग, सहायता की मात्रा में संशोधन की आवश्यकता, यदि कोई हो, आदि)।

3) एसबीबी द्वारा प्रलेखित डेटा संकलित करने के लिए एक समान प्रारूप विकसित करने के लिए पीबीआर को डिजिटल बनाना।

4) बीएमसी के गठन और पीबीआर तैयार करने के लिए एसबीबी को सहायता अनुदान के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके पूरे भारत में स्थानीय निकायों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना।

5) वन्यजीव, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ जैव संसाधनों, उनके संरक्षण और सतत प्रबंधन से संबंधित विभागों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं प्रदान करना।

6) विभिन्न हितधारकों के लिए गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और सरकारी विभागों के माध्यम से जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 पर जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठी और सेमिनार आयोजित और आयोजित करना।

7) विभिन्न हितधारकों के लिए बीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मीडिया, प्रिंट, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना।

8) आवश्यकता-आधारित सुधार की सुविधा प्रदान करना और जैव संसाधनों की सूची को अपडेट करना जिन्हें बीडी अधिनियम की धारा 40 के तहत सामान्य रूप से कारोबार वाली वस्तुओं (एनटीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

9) संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था और सुविधा प्रदान करें और बीडी अधिनियम की धारा 38 के तहत विलुप्त होने के कगार पर आने वाली प्रजातियों की सूची को अपडेट करना।

10) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से स्थानीय स्व-शासन कार्यकर्ताओं और जन प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम को लाभान्वित करने के लिए जैव विविधता शासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को लागू करना।

11) उचित और नियमित विशेषज्ञ समितियों का आयोजन विषय मामलों पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण की बैठकों का आयोजन करना।

12) एनआईसी के सहयोग से एनबीए सचिवालय में एबीएस अनुप्रयोगों के वास्तविक समय प्रसंस्करण को लागू करना।

13) प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई लाल चंदन पर रिपोर्ट में सुझाए गए निर्णयों को लागू करना।

14) लाभार्थियों के साथ जैविक संसाधनों और / या संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों को और गोजातीय मवेशी भ्रूण और लाल चंदन तक पहुंच पर प्राप्त लाभों को साझा करना।

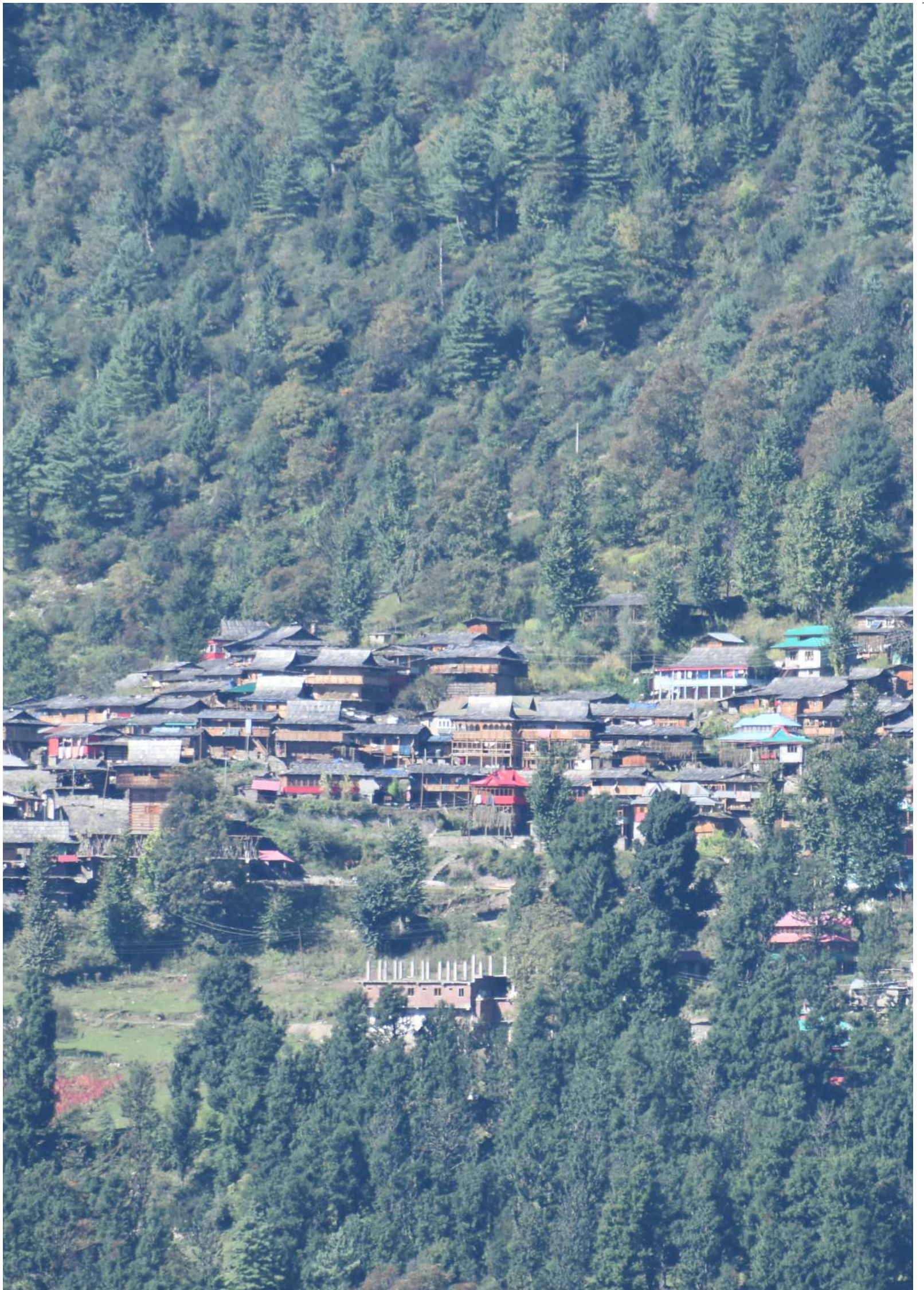
15) दिसंबर, 2022 में मॉन्ट्रियल, कनाडा में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी 15.2) की पंद्रहवीं बैठक के दूसरे भाग के दौरान आयोजित कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ) को अपनाने के बाद राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को अपडेट करना।

16) जैव विविधता नियमों, 2004 और पहुंच और लाभ साझाकरण विनियम, 2014 में संशोधन करना ।

17) राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता विरासत स्थलों के प्रबंधन के लिए मोडल दिशानिर्देश विकसित करना ।

18) डिजिटल अनुक्रम सूचना, एबीएस जैसे विभिन्न विषयों से निपटने के लिए विशेषज्ञ समितियों का पुनर्गठन, एसबीबी के कामकाज की समीक्षा करना और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एनबीए को सलाह देना ।

19) प्रधान मंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) ने जैव विविधता विज्ञान संघ (BSC) द्वारा प्रस्तुत जैव विविधता और मानव कल्याण (NMB&HW) पर एक राष्ट्रीय मिशन की अवधारणा का समर्थन किया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और एनबीए के अध्यक्ष को विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिशन का लक्ष्य पर्यावरण और मानव कल्याण में हमारी दबाव चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत में जैव विविधता विज्ञान को मजबूत करना है। एनएमबीएंडएचडब्ल्यू और पीबीआर प्रक्रियाओं के बीच मजबूत संबंध बनाने की आवश्यकता है क्योंकि पीबीआर में देश भर में जैविक विविधता के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन की क्षमता है। एनबीए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पीबीआर नेटवर्क स्थापित करने में योगदान देगा और एक गहन रोडमैप विकसित करने में भी मदद करेगा, और फिर ई-पीबीआर अवधारणा के कार्यान्वयन के साथ शुरू होगा।



अध्याय 12

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

12-1- दकुह वकज फु;केद <kp dh leh{kk

12-1-1 orleku e jk”Vh; tlo fofokrk çkfekdj.k }kjk ;k mld f[kykQ edne pyk, tk jg g

विधि प्रकोष्ठ विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमेबाजी से निपटने और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की ओर से पेश वकील की सहायता करने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उल्लंघन से संबंधित मामलों और उक्त अधिनियम के तहत जारी किसी भी आदेश या निर्देश के संबंध में सक्रिय कदम उठा रहा है।

वर्तमान में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमें चलाये जा रहे हैं

तालिका 9: विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के समक्ष एनबीए में लंबित मामलों की सूची:

क्रमांक	न्यायालय	मुकदमा संख्या
1	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CIVIL APPEAL No 5826 of 2019
2	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CIVIL APPEAL No 5827 of 2019
3	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP No's 18122 of 2019-18127 of 2019
4	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP No's. 17471 of 2019 -17476 of 2019
5	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP No's 18141 of 2019 – 18146 of 2019
6	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP.No.539/2014 (Crl)
7	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP.No.629/2014 (Crl) Crl. App.1720 of 2015
8	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	Civil Appeal No. 9077 of 2019
9	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	W.P. No. 852 of 2020
10	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CA No. 3568 3569 of 2020
11	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP C No. 000544-/2021
12	दिल्ली उच्च न्यायालय	W.P. No.7493/2022
13	दिल्ली उच्च न्यायालय	W.P. No.7505/2022
14	बंबई उच्च न्यायालय	W.P. No. 3590 of 2018

क्रमांक	न्यायालय	मुकदमा संख्या
15	बंबई उच्च न्यायालय	W.P. No. 129 of 2020
16	बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर	W.P. No.6360 of 2015
17	बंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद	PIL No. 63 of 2021
18	बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर	Suo Motu PIL 2/2021
19	उच्च न्यायालय आसाम, गौहाटी	PIL 30 of 2020
20	उच्च न्यायालय, उत्तराखंड	W.P. (MS) No. 41/2022
21	उच्च न्यायालय, गुजरात, अहमदाबाद	SCA 6176 of 2021
22	उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर बेंच	W.P No. 8880 of 2019
23	उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर बेंच	W.P No. 6968 of 2017; OA.No. 31/2017
24	उच्च न्यायालय महाराष्ट्र प्रदेश, इंदौर बेंच	W.P. No. 6466 of 2020
25	उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश(तेलंगाना)	W.P. No. 23452 of 2018
26	उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश(तेलंगाना)	WP(PIL) 181 of 2020
27	उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश(तेलंगाना)	Crl. P.No.100616 of 2014
28	उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश(तेलंगाना)	WP No. 28517 of 2021
29	उच्च न्यायालय कर्नाटक बेंच, धारवाड	Crl. P.No.100616 of 2014
30	उच्च न्यायालय कर्नाटक बेंच, धारवाड	Crl. P.No.100618 of 2014
31	उच्च न्यायालय कर्नाटक बेंच, धारवाड	W.P. No.102213/2022
32	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 41532 of 2012
33	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No. 5546 of 2019
34	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	WP 14733 of 2020
35	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	WP. No.8579 of 2021
36	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.17459/2022
37	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.17421/2022
38	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.17427/2022
39	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.17271/2022
40	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.17348/2022
41	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.17234/2022
42	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.20728/2022
43	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.21795/2022
44	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.18400/2022
45	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.22235/2022
46	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.22117/2022

क्रमांक	न्यायालय	मुकदमा संख्या
47	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.22111/2022
48	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.22275/2022
49	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.22118/2022
50	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.21862/2022
51	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.21785/2022
52	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.21778/2022
53	उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलोर	W.P. No.11450/2022
54	उच्च न्यायालय केरल	W.P (Civil) No. 41622 of 2018
55	उच्च न्यायालय केरल	W.P (Civil) No. 41903 of 2018
56	उच्च न्यायालय केरल	W.P (Civil) No. 41976 of 2018
57	उच्च न्यायालय केरल	W.P (Civil) No. 42017 of 2018
58	उच्च न्यायालय केरल	W.P. (Civil) No.33501 of 2019
59	उच्च न्यायालय केरल	WP c 21048 of 2020
60	उच्च न्यायालय, मद्रास बेंच, मदुरै	WP(MD)6608/2021
61	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No. 24698/2021
62	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.24696/2021
63	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.24694/2021
64	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.24693/2021
65	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.24691/2021
66	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P. No.24688/2021
67	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.26977/2021
68	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.26969/2021
69	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.26965/2021
70	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.26962/2021
71	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.26957/2021
72	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.26956/2021
73	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.26953/2021
74	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.26948/2021
75	उच्च न्यायालय मद्रास	W.P.No.26944/2021
76	एनजीटी, चेन्नई	Appeal No. 54/2022 (SZ)
77	एनजीटी, चेन्नई	Appeal 61 of 2021
78	एनजीटी, चेन्नई	Appeal 62 of 2021

क्रमांक	न्यायालय	मुकदमा संख्या
79	एनजीटी, चेन्नई	Appeal 63 of 2021
80	प्रिंसिपल सिविल जज जे.एम.एफ.सी. धारवाड	C.C.579 of 2012

निष्पादित मामले

तालिका 10: निष्पादित मामले

क्रमांक	न्यायालय	मुकदमा संख्या
1	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CA. No.933 of 2020 (Disposed on 04.08.2022)
2	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP.No.7951/2014 (Civil) Disposed on 22.11.2022
3	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP. No. 8137/ 2018 Disposed on 22.11.2022
4	एनजीटी, कोलकाता	O.A. No. 64/2020 Disposed on 20.03.2023
5	एनजीटी, चेन्नई	O.A. No. 10/2015 referred to HC, Karnataka

12-1-2 उपकृष्ट विवेक; 2005

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदनों और आरटीआई अपीलों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप विधिक प्रकोष्ठ द्वारा अक्षरशः कार्रवाई की गई और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विधिक प्रकोष्ठ की सहायता से निपटाया गया (तालिका 11) ।

तालिका 11: रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त और निष्पादित आरटीआई की सूची

क्रमांक	तिमाही	प्राप्त आरटीआई आवेदन की संख्या	प्राप्त आरटीआई अपील की संख्या	निष्पादित आरटीआई आवेदनों की संख्या	निष्पादित आरटीआई अपील की संख्या
1	प्रथम तिमाही 01.04.2022 to 30.06.2022	08	00	07	00
2	द्वितीय तिमाही 01.07.2022 to 30.09.2022	15	01	16	01
3	तृतीय तिमाही 01.10.2022 to 31.12.2022	03	02	02	02
4	चतुर्थ तिमाही 01.01.2023 to 31.03.2023	16	04	16	03
योग		42	07	41	06

आरटीआई नोडल लॉगिन पोर्टल में प्राप्त कुल आरटीआई आवेदन 42 हैं और प्राप्त कुल आरटीआई अपीलों में से 07 का आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार समय सीमा के भीतर निपटान किया गया था।

12-2 Hkkjr tlo fofo/krk ijLdkj 2023

भारत जैव विविधता पुरस्कार (IBA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक संयुक्त पहल थी। यह जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग, पहुंच और लाभ साझाकरण और जैव विविधता शासन की दिशा में काम करने वाले व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों के प्रयासों की पहचान करने और पहचानने के लिए एक अभिनव तंत्र था। छठे भारत जैव विविधता पुरस्कार (2023) की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (IDB), 2021 के समारोह के दौरान की गई थी।

1) भारत जैव विविधता पुरस्कार 2023 (IBA 2023) के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार (IBA) जूरी 2023 की पहली बैठक 8 और 9 अप्रैल 2022 को चेन्नई में डॉ. ए के गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

प्रत्येक श्रेणी के तहत आईबीए 2023 के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या इस प्रकार है—

श्रेणियां	श्रेणी 1	श्रेणी 2	श्रेणी 3	श्रेणी 4	योग
प्राप्त आवेदनों की संख्या	104	06	21	29	160

2) प्रदान किए गए आवेदनों और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा के आधार पर, जूरी सदस्यों ने क्षेत्र सत्यापन के लिए संभावित साइटों को शॉर्टलिस्ट किया। जब कभी आवश्यक हो, और अधिक ब्यौरे एकत्र करने के लिए कुछ मामलों में संबंधित स्थलों के विशेषज्ञों से भी परामर्श किया गया था।

3) प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करने के लिए, आईबीए जूरी की दूसरी परामर्श बैठक 26 अगस्त 2022 को एनबीए, चेन्नई में डॉ. एके गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। जूरी ने क्षेत्र सत्यापन के पहले चरण के दौरान देखी गई शॉर्टलिस्ट साइटों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक के दौरान दूसरे चरण में आयोजित किए जाने वाले स्थल के दौरे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।

4) क्षेत्र का दौरा दो चरणों में किया गया। चरण I मई और जून 2022 में आयोजित किया गया था और चरण II अक्टूबर से दिसंबर 2022 के दौरान जारी रखा गया था।

5) प्रगति की समीक्षा के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार (IBA) जूरी 2023 की तीसरी बैठक 4 जनवरी 2023 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी।

6) साइट के सत्यापन के लिए 10 आवेदन देय थे और साइट के दौरे के लिए जूरी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट थी।

7) सीएस- III प्रभाग, एमओईएफसीसी के आधिकारिक आदेश (कार्यालय ज्ञाप संख्या C-12027/25/2021-CS-II दिनांक 13.01.2023) के बाद आईबीए को बंद कर दिया गया था। इसके मद्देनजर, क्षेत्रीय विधिमान्यकरण के संबंध में जूरी सदस्यों के बाद के सभी दौरे और आईबीए के चल रहे चक्र से संबंधित आगे की कार्रवाई रद्द कर दी गई थी।

12-3 jkT; tlo fofo/krk ckMk ¼, lchch½ vkj l?k jkT; {k= tlo fofo/krk ifj”knk ¼; Vhch l h½ dh cBd

एनबीए ने जैव विविधता अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एसबीबी और यूटीबीसी के कामकाज की समीक्षा करने और आईडीबी 2022 के राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए मासिक बैठकें आयोजित किया।

तालिका 12 स्थिति और प्रगति की समीक्षा करने के लिए एसबीबी/यूटीबीसी के साथ आयोजित बैठकों की सूची

बैठक	तारीख	माध्यम	प्रतिभागी
समीक्षा	21.04.2022	वर्चुअल	एसबीबी, यूटीबीसी
पूर्व आईडीबी समीक्षा बैठक	27.04.2022	“	“
“	14.07.2022	“	“
“	29.08.2022	“	“

12-4 ,uch, }kjk , lchch vkj ;Vhchlh dk nh xbl foÜkh; lgk;rk

एनबीए राज्य जैव विविधता बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों को उनके कार्यों को सुदृढ़ करने और साथ ही संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति करने, लोगों के जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) का दस्तावेजीकरण करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने, अधिकारियों और बीएमसी सदस्यों के लिए पीयर-टू-पीयर लर्निंग और आदान-प्रदान दौरों का संचालन करने, उनकी वेबसाइटों को विकसित करने, सुधारने और जैव विविधता विरासत स्थलों के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान, एनबीए ने 28 एसबीबी और 3 यूटीबीसी के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2020-2023 के लिए रु. 3,79,11,995 का अनुदान जारी किया। 9 एसबीबी में पीबीआर और 2 यूटीबीसी तैयार करने, उन्नयन करने के लिए कुल 1,11,60,000/- रुपये की राशि भी जारी की गई थी। इस अवधि में 27 एसबीबी और 4 यूटीबीसी के कार्यालयों को मजबूत करने के लिए 4,90,71,995 रुपये का कुल सहायता अनुदान जारी किया गया। मार्च 2023 के अंत तक कुल 2,77,329 बीएमसी का गठन किया गया है और पूरे देश में 2,67,585 पीबीआर तैयार किए गए हैं। (तालिका 13).

तालिका 13 राज्यवार गठित बीएमसी और वर्ष 2022-23 के आरंभ में तैयार पीबीआर की संख्या प्रदर्शित करते हुए स्थापित/खोली गई संख्या और वर्ष के अंत वाली संख्या

तालिका 13: राज्यवार गठित बीएमसी और वर्ष 2022-23 के आरंभ में तैयार पीबीआर की संख्या प्रदर्शित करते हुए स्थापित/खोली गई संख्या और वर्ष के अंत वाली संख्या

क्रमांक	राज्य	सभी स्तरों (2021-22) पर गठित बीएमसी की कुल संख्या	सभी स्तरों (2022-23) पर गठित बीएमसी की कुल संख्या	सभी स्तरों (2021-22) पर प्रलेखित पीबीआर की कुल संख्या	सभी स्तरों (2022-23) पर प्रलेखित पीबीआर की कुल संख्या 2021.22
1	आंध्र प्रदेश	14157	14157	14157	14157
2	अरुणाचल प्रदेश	1806	1806	1806	1806
3	आसाम	2549	2549	2549	2549
4	बिहार	9101	9101	9101	9101
5	छत्तीसगढ़	12004	12008	3272	4948
6	गोवा	205	205	205	205
7	गुजरात	14356	14580	14716	14716
8	हरियाणा	6435	6444	6437	6444
9	हिमाचल प्रदेश	3371	3471	3371	3348

क्रमांक	राज्य	सभी स्तरों (2021-22) पर गठित बीएमसी की कुल संख्या	सभी स्तरों (2022-23) पर गठित बीएमसी की कुल संख्या	सभी स्तरों (2021-22) पर प्रेलेखित पीबीआर की कुल संख्या	सभी स्तरों (2022-23) पर प्रेलेखित पीबीआर की कुल संख्या 2021.22
10	झारखंड	4684	4689	4684	4689
11	कर्नाटक	6554	6554	6554	6554
12	केरल	1200	1200	1034	1034
13	मध्य प्रदेश	23557	23557	23557	23557
14	महाराष्ट्र	28649	28649	28649	28649
15	मणिपुर	2260	2260	199	199
16	मेघालय	6473	6484	6473	6484
17	मिजोरम	894	894	894	894
18	नागालैंड	1238	1276	1238	1276
19	उड़ीसा	7256	7256	7256	7256
20	पंजाब	13599	13599	13599	13599
21	राजस्थान	11839	11882	11716	11882
22	सिक्किम	196	196	196	196
23	तमिल नाडु	13604	13608	13604	13604
24	तेलंगाना	13461	13461	13461	13461
25	त्रिपुरा	1264	1264	1264	1264
26	उत्तर प्रदेश	59407	59407	59407	59407
27	उत्तराखंड	7991	7991	7991	7991
28	पश्चिम बंगाल	3830	3830	3830	3830
29	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	71	71	71	71
30	चंडीगढ़	1	1	1	1
31	दमन और दीयु	0	1	0	0
32	दिल्ली	4666	4658	4666	4366
33	जम्मू और कश्मीर	100	195	0	0
34	लद्दाख	10	10	10	10
35	लक्षद्वीप	0	1	0	0
कुल		276836	277329	266012	267585

12-5 ,uch, }kjk euk, x,@euk, t ku oky egRoil.k dk;Øe

12-5-1- ,uch, dk 19ok LFkkiuk fno l lekjk

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का 19 वां स्थापना दिवस समारोह 1 अक्टूबर 2022 को एनबीए, चेन्नई में आंतरिक रूप से मनाया गया। श्री। जे. जस्टिन मोहन, आईएफएस, सचिव, एनबीए और श्री. प्रशासनिक अधिकारी कन्नन ने एनबीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ केक काटकर इस कार्यक्रम का उत्सव मनाया और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की यात्रा की अपनी संस्थागत यादों को व्यक्त किया।

12-5-2- l r d r k t k x : d r k l l r k g ¼28 v D V c j & 2 u o c j 2022½

सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर केंद्रीय सतर्कता आयोग और एमओईएफ एंड सीसी के निर्देश के अनुसार, एनबीए कर्मचारियों को 26 अक्टूबर, 2022 को समारोह के महत्व और महत्व पर स्पष्टीकरण के साथ अखंडता की शपथ दिलाई गई।

12-5-3 j k t H k k " k k d k ; k U o ; u x f r f o f è k ; k

एनबीए चेन्नई में स्थित सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों की तरह राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने की मंशा भी रखता है। वर्ष 2022-23 के दौरान की गई गतिविधियों का सारांश इस प्रकार है—

d- j k t H k k " k k d k ; k U o ; u l f e f r d h f r e k g h c B d k d k v k ; k t u &

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं और बैठकों में लिए गए निर्णयों पर सुधारात्मक उपाय किए गए। कार्यवृत्त को सभी अनुभागों में परिचालित किया गया था और इसकी प्रतिलिपि राजभाषा प्रभाग/पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई। आयोजित बैठकों की तारीखें निम्नलिखित हैं—

क्रमांक	को समाप्त तिमाही	बैठकों की तारीखें	भाग लेने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या
1	30.06.2022	08.08.2022	06
2	30.09.2022	25.10.2022	06
3	31.12.2022	10.02.2023	07
4	31.03.2023	12.06.2023	05

[क- जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई। रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय/ भारत सरकार को ऑनलाइन भी भेजी गई थी।

प्रत्येक तिमाही में हिंदी के प्रगामी उपयोग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई और निर्धारित अवधि के भीतर राजभाषा प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई। रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय/ भारत सरकार को ऑनलाइन भी भेजी गई थी।

को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट	रिपोर्ट भेजने की तारीख	राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार को ऑन लाइन रिपोर्ट भेजने की तारीख
30.06.2022	13.07.2022	19.07.2022
30.09.2022	17.10.2022	18.10.2022
31.12.2022	17.01.2023	25.01.2023
31.03.2023	25.04.2023	26.04.2023

ख- वार्षिक प्रगति

एनबीए की हिंदी की उत्तरोत्तर प्रयोग की अर्धवार्षिक रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में चर्चा के लिये निम्नलिखित तिथियों को प्रस्तुत की गई—

01.01.2022. 30.06.2022	25.07.2022
01.07.2022 . 31.12.2022	13.03.2023

2- **okE”kd eY;k[du fjikV**

राजभाषा हिंदी के प्रयोग की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 25.04.2023 को राजभाषा प्रभाग / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई थी।

3- **vuorE dkjokA dh fjikV** %

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 04.01.2023 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट दिनांक 22.03.2023. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई।

p- **çgnh dk;’kkyk dk vk;k tu** %

राजभाषा मंत्रालय/गृह मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में किए गए प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारियों को अपने कार्यालयीन कार्य में हिंदी में करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये, 2 हिंदी कार्यशालाएं (12.09.2022 और 17.03.2023) को आयोजित की गई।

N- **çgnh lIrk g @i[kokMdk vk;k tu** %

वार्षिक कार्यक्रम में किए गए प्रावधानों के अनुसार और राजभाषा प्रभाग / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार, एनबीए में 12.09.2022 से 16.09.2022 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया था और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था तथा 16.09.2022 को श्री जे. जस्टिन मोहन/सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। श्री जे.आर.भट्ट/सलाहकार/ वैज्ञानिक जी/ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया।

t- uxj jk t Hkk"kk dk; kUo;u lfefr@pUuÃ dh l nL;rk%

अध्यक्ष/एनबीए के अनुमोदन के उपरांत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता प्राप्त कर ली गई है। एनबीए ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया है और कार्यालयाध्यक्ष/प्रतिनिधि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आगामी बैठकों में भाग लेंगे।

>- l okdkyhu Çgnh çf'k{k.k%

जनवरी-मई 2023 सत्र में हिंदी प्रबोध पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए 3 कर्मचारियों को नामित किया गया था। सभी 3 कर्मचारियों ने प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है और पात्र कर्मचारियों को स्वीकार्य नकद पुरस्कार दिया गया है।

¥- jk t Hkk"kk çHkkx] i;koj.k] ou vkj t yok;| ifjoru e=ky; dh cBdk e çfrHkkfxrk%

श्री सी. अचलेंदर रेड्डी/अध्यक्ष एनबीए ने माननीय मंत्री- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में 04.1.2023 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया था। इसके बाद डॉ. ब. बालाजी, भा.व.से./सचिव/एनबीए ने माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 20.6.2023 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया था।

V- Çgnh&vx t h&Çgnh vuokn dk; %

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के कागजातों का अनुवाद समय-समय पर किया जाता है और धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा तात्कालिक प्रकृति और नियमित प्रकृति के विभिन्न दस्तावेज जैसे विभिन्न रिपोर्टें, सार्वजनिक शिकायतें, समय-समय पर एसबीबी से प्राप्त पत्र आदि शामिल हैं, का अनुवाद एक आउटसोर्स प्रशासन कर्मचारी द्वारा किया जाता है।

12-6- ifj;k t uk@dk;Øe

Hkkjr dh jk"Vh; t o fofokrk j.kuhfr vkj dk;l ;k t uk ¼, uch, l , ih½
dk v | ruh dj.k@l'kkèku

पृष्ठभूमि:

जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीबीडी) के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी 15) की 15वीं बैठक में 19 दिसंबर, 2022 को "कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क" (केएमजीबीएफ) को अपनाया गया। ढांचे में 2030 तक उपलब्धि के लिए ये चार लक्ष्य और 23 लक्ष्य शामिल हैं – जैव विविधता के नुकसान को संबोधित करने और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों का एक ऐतिहासिक पैकेज।

जीबीएफ जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011–2020 पर आधारित है और जैव विविधता के साथ समाज के संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए व्यापक आधार पर कार्रवाई को लागू करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना निर्धारित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि 2050 तक 'प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने' की साझा दृष्टि पूरी हो जाए। फ्रेमवर्क के परिवर्तन के सिद्धांत का मानना है कि जैव विविधता के खतरों को कम करने के लिए समाधान तैनात करने के लिए परिवर्तनकारी कार्रवाई की जाती है। कार्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जैव विविधता का निरंतर उपयोग किया जाए।

कानूनी आधार:

कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (सीबीडी) के हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (बीडी अधिनियम) अधिनियमित किया। सीबीडी के अनुच्छेद 6 (ए) और 6 (बी) में पार्टियों को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) तैयार करने और रणनीति को क्रमशः प्रासंगिक क्षेत्रीय या क्रॉस-सेक्टरल योजनाओं और कार्यक्रमों में मुख्यधारा में लाने के माध्यम से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन के कार्यान्वयन और जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए प्रमुख उपकरणों में राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजनाएं (एनबीएसएपी) शामिल हैं।

धारा 36 के तहत भारत का जैव विविधता अधिनियम, 2002 सीबीडी के अनुच्छेद 6 (ए) और 6 (बी) और बीडी अधिनियम, 2002 की भावना को केंद्र और राज्य सरकारों के अध्याय (प्) कर्तव्यों के तहत दृढ़ता से दर्शाता है;

धारा 36 (1) में कहा गया है: केंद्र सरकार जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों को विकसित करेगी, जिसमें जैविक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों की पहचान और निगरानी के उपाय, जैविक संसाधनों के इन-सीटू और पूर्व-सीटू संरक्षण को बढ़ावा देना, जैव विविधता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और सार्वजनिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

धारा 36 (3) में कहा गया है: केंद्र सरकार, जहां तक व्यवहार्य हो, जहां तक वह उचित समझे, जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन और सतत उपयोग को प्रासंगिक क्षेत्रीय या क्रॉस-सेक्टरल योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में एकीकृत करेगी।

उपर्युक्त सांविधिक उपबंधों के माध्यम से भारत का बीडी अधिनियम, 2002 इस प्रकार राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीतियों और कार्य योजनाओं को तैयार करने के साथ-साथ जैव विविधता संबंधी चिंताओं को क्षेत्रीय और पार-क्षेत्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में मुख्य धारा में लाने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (एनबीएपी) 6 नवंबर 2008 से केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद अस्तित्व में आई।

एक नए एनबीएसएपी की तैयारी:

एमओईएफसीसी ने दिनांक 29.03.2023 के ओ.एम. के तहत एनबीए को केएमजीबीएफ लक्ष्यों और लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रमों/नीतियों के संरेखण में एक नया एनबीएसएपी तैयार करने का निर्देश दिया, जो राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्यों की पहचान करने में मदद करेगा। एमओईएफसीसी ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि एनबीएसएपी की तैयारी को दो चरणों में आयोजित करने की आवश्यकता है— पहले प्रारंभिक मसौदे के विकास के लिए एनबीए और फिर अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए एमओईएफसीसी। एनबीएसएपी के प्रारंभिक मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए एनबीए को सितंबर-अक्टूबर 2023 तक निगरानी ढांचे सहित समय सीमा दी गई है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रारंभिक मसौदा तैयार करने के साथ-साथ एनबीएसएपी का आधार बनने वाली सभी प्रासंगिक नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के इनपुट और संकलन के लिए एनबीए द्वारा गठित एक कार्य समूह (डब्ल्यूजी) की भी इच्छा व्यक्त की।

समाधानों का मिश्रण प्रस्तावित किया गया है।

तदनुसार, भारत की जैव विविधता वित्त योजना (कार्य दस्तावेज), 2019 के आधार पर; भारत में ठप्पू के द्वितीय चरण (2021–25) में कार्यान्वयन के लिए चार जैव विविधता वित्त समाधानों को प्राथमिकता दी गई थी। ये हैं

बायोफिन इंडिया कंट्री कार्यक्रम वर्तमान में अपने दूसरे चरण के विस्तार में है, जिसे 2021 से 2025 तक लागू किया जा रहा है। एक कार्यान्वयन देश के रूप में, कुल 5 वित्त समाधान लागू किए जा रहे हैं, नामतः:

1. सार्वजनिक वित्त (कृषि क्षेत्र) में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाने के माध्यम से संसाधनों को बढ़ाना
2. राष्ट्रीय/उप-राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर जैव विविधता संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों के प्रवाह को बढ़ाना
3. जैव-संसाधनों की पहुंच, उपयोग आदि से लाभ साझा करने से संसाधनों को बढ़ाना
4. राष्ट्रीय/उप-राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर जैव विविधता संरक्षण के लिए फिनटेक का लाभ उठाना
5. भारत में प्रकृति से संबंधित जोखिम आकलन और रिपोर्टिंग

प्रकृति से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण ढांचे के लिए हितधारकों के बीच तत्परता का आकलन करने के लिए एक विस्तृत नीति और संस्थागत समीक्षा के बाद, बायोफिन इंडिया ने यूके सरकार से वित्त पोषण के माध्यम से जून 2022 में अपने विस्तारित चरण— प्रकृति से संबंधित जोखिम आकलन और भारत में रिपोर्टिंग में पांचवां वित्त समाधान जोड़ा।

बायोफिन के तहत तैयार किए गए कुछ प्रमुख प्रकाशनों में शामिल हैं:

क. भारत में जैव विविधता के संरक्षण में सीएसआर पहल पर एक संग्रह

वर्ष 2014 में, भारत अपने कंपनी अधिनियम (2013 की संख्या 18) के माध्यम से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) को कानून बनाने वाले दुनिया के पहले देशों में से एक बन गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित है,

जो सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों के प्रति निजी क्षेत्र की भूमिका को पहचानती है और संस्थागत बनाती है। इस धारा के तहत प्रत्येक कंपनी जिसका निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है या जिसका कारोबार 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है, वह सीएसआर के निर्वहन के लिए अपनी गतिविधियों की सिफारिश इस तरह से करेगी कि कंपनी अपनी सीएसआर नीतियों के अनुसरण में वर्षों तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करेगी।



यह प्रकाशन भारत में चुनिंदा कॉर्पोरेट्स द्वारा जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करने वाली सीएसआर पहलों के कुछ बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। दस्तावेज़ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि जैव विविधता के संरक्षण में कॉर्पोरेट पहल का काफी प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा, चूंकि जैव विविधता संरक्षण, बहाली और सुरक्षा से संबंधित निगमों से सीएसआर रिपोर्टिंग पर अनुसंधान भारत में सीमित है, इसलिए यह संग्रह इस विषय का पता लगाने के लिए एक उदाहरण और एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।

ख. आईसीएआर- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम), हैदराबाद द्वारा तैयार "भारत में कृषि क्षेत्र की विकास योजनाओं में जैव विविधता संरक्षण को मुख्यधारा में लाने के लिए एक रूपरेखा, 2023" (मूल रूप से जून, 2021 में प्रस्तुत)

जैव विविधता कृषि का आधार है क्योंकि यह सभी फसलों और पालतू पशुधन की उत्पत्ति है। कृषि क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण को मुख्यधारा में लाने का अर्थ है सतत विकास, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन/शमन व्यापार आदि जैसी क्रॉस-सेक्टरल योजनाओं और कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पर्यटन आदि जैसी क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग का एकीकरण जो जैव विविधता, इसके घटकों, पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों और सेवाओं पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

वर्तमान में, जैव विविधता संरक्षण संबंधी घटक/कार्यकलाप कृषि मंत्रालय के विभिन्न

कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। जैव विविधता को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण क्षमता वाले क्षेत्रों में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना जैव विविधता परिणामों (संरक्षण और वित्तपोषण दोनों के संदर्भ में) को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।



सार्वजनिक वित्त के विशेष संदर्भ में कृषि क्षेत्र में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाने के भाग के रूप में, भाकृअनुप-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम), हैदराबाद को स्थिति रिपोर्ट तैयार करने और पहचान की गई सार्वजनिक योजनाओं में सुधारों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेषज्ञ परामर्श की एक श्रृंखला के माध्यम से, अध्ययन, सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, कृषि जैव विविधता संरक्षण के लिए सार्वजनिक वित्त के माध्यम से जैव विविधता परिणामों को बढ़ाने के लिए पहचान की गई सार्वजनिक योजनाओं में आवश्यक सुधारों की सिफारिश करने का इरादा रखता है। इस अध्ययन से मिली सीख भाग लेने वाले राज्यों में कृषि क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण को मुख्यधारा में लाने में सहायता करेगी और देश भर में विस्तार के लिए एक व्यावसायिक मामले के रूप में काम करेगी।

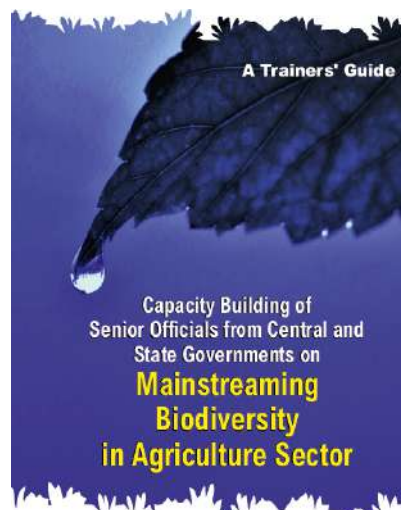


ग. आईसीएआर- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम), हैदराबाद द्वारा तैयार 'ए ट्रेनर्स गाइड - कृषि क्षेत्र में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाने पर केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों का क्षमता निर्माण, 2023' (मूल रूप से जून, 2021 में प्रस्तुत)

मुख्यधारा में लाने का अर्थ है कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, पर्यटन और खनन जैसे उत्पादन क्षेत्रों से संबंधित नीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित कार्यों को एकीकृत करना या शामिल करना। मुख्यधारा के माध्यम से, जैव विविधता की चिंताओं को आर्थिक क्षेत्रों, विकास मॉडल, योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों में आंतरिक रूप दिया जाएगा। उत्पादन क्षेत्रों में जैव विविधता संबंधी चिंताओं को एकीकृत करने से गुणवत्ता, उत्पादकता में सुधार करने में तत्काल लाभ हो सकता है और सतत विकास के लिए स्थायी सुरक्षा उपायों को शामिल करने में भी मदद मिल सकती है।

सार्वजनिक वित्त में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाने के एक भाग के रूप में, आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम) ने जैव विविधता प्रासंगिक कृषि क्षेत्र की योजनाओं में समीक्षा, सार्वजनिक योजनाओं के मूल्यांकन और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रलेखन के माध्यम से एक स्थिति रिपोर्ट विकसित की है।

आईसीएआर-एनएएआरएम रिपोर्ट के आधार पर, एक प्रशिक्षक; गाइड "कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कृषि क्षेत्र में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाने के लिए मुद्दों, चुनौतियों, अंतराल और सिफारिशों पर व्यावहारिक और प्रभावी प्रशिक्षण आयोजित करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया था। यह मैनुअल मुख्य रूप से प्रशिक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो किसानों और, योजनाकारों, निगरानी टीमों और जैव विविधता संरक्षण के अन्य हितधारकों के साथ काम करेंगे।



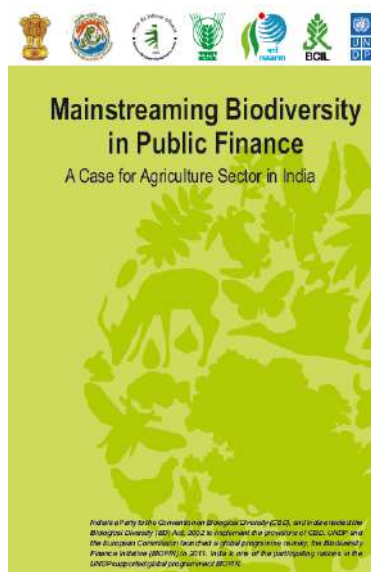
घ. आईसीएआर – राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम), हैदराबाद द्वारा 'पॉलिसी ब्रीफ – सार्वजनिक वित्त में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना: भारत में कृषि क्षेत्र के लिए एक मामला, 2023' (मूल रूप से जून, 2021 में प्रस्तुत)

सार्वजनिक वित्त में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाने के लिए जैव विविधता की प्रासंगिकता वाली प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत में, कृषि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। एग्रोबायोडायवर्सिटी (एबीडी) जैव विविधता के समग्र क्षेत्र के भीतर एक अद्वितीय स्थान रखता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (डब।-ई) महत्वपूर्ण जैव विविधता के कारण व्यय वाले शीर्ष 7 मंत्रालयों में से एक है। जैव विविधता से संबंधित घटकों पर ध्यान केंद्रित करना और उन पर निधि प्रवाह बढ़ाना आवश्यक है ताकि आगे कृषि जैव विविधता के क्षरण को रोका जा सके जो कृषि की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।

सार्वजनिक वित्त के विशेष संदर्भ में कृषि क्षेत्र में जैव विविधता की मुख्यधारा के हिस्से के रूप में, आईसीएआर दृष्टि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम), हैदराबाद ने

(प) कृषि क्षेत्र की जैव विविधता प्रासंगिक सार्वजनिक योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने और प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने और (पप) यह सुनिश्चित करने के लिए पहचान की गई सार्वजनिक योजनाओं में सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक व्यापक सार्वजनिक वित्त के माध्यम से, पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संबंध में कृषि जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता परिणामों में वृद्धि का अध्ययन किया। ।

इस अध्ययन में व्यापक समीक्षा, डोमेन विशेषज्ञों के साथ परामर्श और क्षेत्र अधिकारियों द्वारा विधिमान्यकरण शामिल था। अध्ययन के एक भाग के रूप में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सहित चार मंत्रालयों की 21 योजनाओं, जो जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान दे रही थीं, में पर्याप्त जैव विविधता के कारण बजट और कृषि जैव विविधता को मुख्यधारा में लाने की गुंजाइश थी – की पहचान की गई और उनकी आलोचनात्मक समीक्षा की गई।



ड. पहुंच और लाभ साझाकरण के प्रोत्साहन के लिए एक स्वैच्छिक प्रमाणन योजना (वीसीएस-आई-एबीएस) जुलाई, 2021. भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली।

वीसीएस-आई-एबीएस का उद्देश्य एबीएस प्रावधानों के उत्थान को बढ़ाने के लिए जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुंचने वाले व्यवसायों को प्रोत्साहित करना है और जैव-संसाधन संरक्षण के साथ-साथ सामुदायिक उत्थान लाने के लिए प्रदाताओं के साथ समान रूप से लाभ साझा करना है। ऐसा करने पर, भारत जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के 196 दलों में से पहला देश होगा जिसने एबीएस प्रमाणन पर एक समर्पित स्वैच्छिक योजना शुरू की है। वीसीएस-आई-एबीएस का उद्देश्य उन व्यवसायों को पहचानना और पुरस्कृत करना है जो जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान पर निर्भर करते हैं जिन्हें एनबीए और उसके घटक निकायों द्वारा जैविक और आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए अधिकृत किया गया है जिन्होंने कानून का अनुपालन किया है। इस योजना का उद्देश्य



समावेशी होना है जिसमें प्रवचन में चार प्रमुख स्तंभ अर्थात् समुदाय, जैव-संसाधन प्रबंधन संस्थान, व्यवसाय और उपभोक्ता शामिल हैं।

महत्वपूर्ण बैठकें:

1. भारत सरकार-यूएनडीपी जैव विविधता वित्त पहल (टप्पूछ: 8वीं जैव विविधता वित्त यूरोप एशिया प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 8-10 नवंबर, 2022 को मनीला, फिलीपींस में आयोजित की गई थी। एमओईएफसीसी ने 1 नवंबर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन २.छव.ब-12027/54/2022-बै-प्प के माध्यम से बैठक में सचिव, एनबीए की भागीदारी और भारत के अनुभव को साझा करने की मंजूरी दी।
2. आमंत्रण के अनुसार, "भारतीय गुणवत्ता परिषद (फब) द्वारा तैयार एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (VCS&I&AB) के प्रोत्साहन के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन योजना" पर भारत का केस स्टडी बायोफिन परियोजना अधिकारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका-यूरोपीय संघ संवाद: बायोट्रेड मानक के लिए एक फ्रेमवर्क का विकास तीसरा संवाद, 15-16 नवंबर 2022 में प्रस्तुत किया गया था।
3. 14वां इंटरफेस डायलॉग फाइनैस एंड बायोडायवर्सिटी (फ्थट) 22 नवंबर, 2022 को आयोजित किया गया था। वार्ता जीबीएफ के लक्ष्यों के साथ सभी वित्तीय प्रवाह के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली परिवर्तन दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता पर केंद्रित थी। बैठक में बायोफिन परियोजना अधिकारी ने भाग लिया।
4. COP 15.2, मॉन्ट्रियल, कनाडा में एक बायोफिन साइड इवेंट का आयोजन 7 दिसंबर, 2022 को जैव विविधता वित्त योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के लिए जीईएफ समर्थन शीर्षक के तहत किया गया था। इस बैठक में एनबीए के सचिव ने भाग लिया और परियोजना अधिकारी की सहायता से जैव विविधता वित्त योजना-भारत का अनुभव नामक एक प्रस्तुति दी।
5. मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित ब्ळ 15.2 में, यूएनडीपी-बायोफिन ने 16 दिसंबर को मॉन्ट्रियल, कनाडा में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसका शीर्षक था 'जैव विविधता वित्त योजनाओं को लागू करने के 10 साल: जैव विविधता वित्त के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर एक उच्च-स्तरीय वार्ता। बैठक में एनबीए के सचिव ने भाग लिया और परियोजना अधिकारी ने उनकी सहायता की।

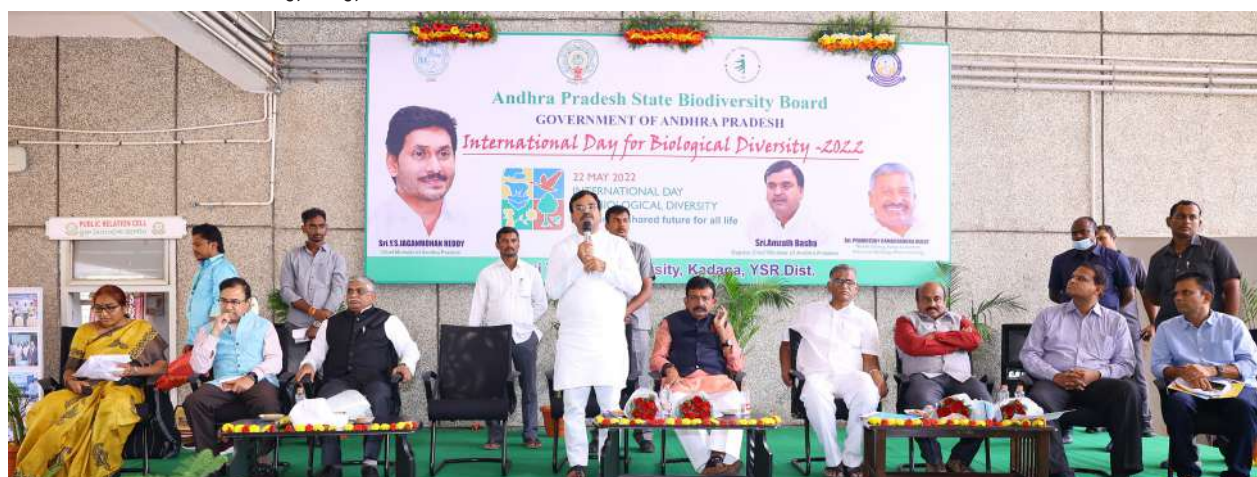
6. यूएनडीपी इंडिया कंट्री प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड (ब्लडट) की बैठक 2 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के उप महानिदेशक डॉ अवनीश कुमार मिश्रा ने की। एनबीए के सचिव और बायोफिन के परियोजना अधिकारी ने बैठक में भाग लिया।

7. "जैव विविधता संरक्षण और सीएसआर संगम" पर बायोफिन निवेशक बैठक 24 मार्च, 2023 को "वी द पीपल हॉल", यूएनडीपी, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी; जिसमें बायोफिन परियोजना अधिकारी और एनबीए के एक युवा पेशेवर ने बैठक में भाग लिया।

12.7. राज्य जैव विविधता बोर्डों की गतिविधियाँ

12-7-1 vkkk çn'k

आंध्र प्रदेश एसबीबी ने इस अवधि के दौरान तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की और राज्य में सभी 14,157 बीएमसी की स्थापना पहले ही कर ली गई है। 2022-23 के दौरान बोर्ड ने 602 पीबीआर को उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए अपडेट किया है और 13,907 इलेक्ट्रॉनिक पीबीआर अपलोड करने का प्रयास किया है। इस वर्ष, एसबीबी ने व्यापक प्रचार के लिए तेलुगु संस्करण में जैव विविधता पुरस्कार विजेताओं पर एक फिल्म का निर्माण किया। जागरूकता पैदा करने के लिए जैव विविधता पर एक गीत विकसित और जैव विविधता 2022 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इस अवधि के दौरान कुल 23 जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री श्री बी. अमजथ बाशा शेख ने राज्य के चयनित विभागों और संगठनों को जैव विविधता संरक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान करने के अवसर की शोभा बढ़ाई। बोर्ड ने अधिनियम की धारा 23 (बी) के तहत दो संस्थाओं के एबीएस आवेदनों को मंजूरी दे दी है और आठ भारतीय कंपनियों से पूर्व सूचना प्राप्त की है।



12-7-2 vle

असम एसबीबी ने वित्त वर्ष 2022-23 में असम के वन विभाग की एक बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना से वित्तीय सहायता के साथ 50 चयनित बीएमसी के लिए जैव विविधता प्रबंधन योजना (बीएमपी) तैयार करने की शुरुआत की। असम सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम की धारा 37 के तहत दो जैव विविधता विरासत स्थलों, "हाजोंग कछुआ झील" और "बोरजुली जंगली चावल स्थल" को अधिसूचित किया गया था। इस अवधि में 27 मार्च 2023 को एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। असम एसबीबी ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है "दीमा हसाओ – एक अनएक्सप्लोर्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट"। एसबीबी ने जंगली चावल की किस्मों की खोज के लिए



अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी, आनुवंशिक विविधता पर विशेष जोर देने के साथ साइट्स प्रजातियों का मूल्यांकन, शहरी और प्राकृतिक परिदृश्य में तैयार और मधुमक्खियों की विविधता और आनुवंशिक परिवर्तनशीलता पर अध्ययन, "शहरी उल्लू" पर शहरीकरण के प्रभाव का आकलन और उभयचर जीवों की विविधता और वर्गीकरण पर अध्ययन, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलॉग के बीएमसी सदस्यों ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से और जीवित लोगों के लिए संरक्षण परियोजनाएं शुरू की हैं।

12-7-3 v : .kkvpy çn'k

अरुणाचल प्रदेश एसबीबी ने आईडीबी 2022 के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भाग लिया और बोर्ड की गतिविधियों पर स्थानीय जैव संसाधनों और आउटरीच सामग्री को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अवसर पर ईटानगर में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं



का आयोजन कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एसबीएसएपी) विकसित करने के लिए प्रारंभिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। एसबीएसएपी के लिए जिला स्तरीय परामर्श निचले और ऊपरी सुबनसिरी जिलों में शुरू हुआ। इस अवधि में, नौ एबीएस आवेदनों को भारतीय संस्थाओं द्वारा जैव संसाधनों तक पहुंच के लिए बीडी अधिनियम की धारा 7 के तहत मंजूरी दी गई थी।

12-7-4 fcgkj

बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा 22 अप्रैल 2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बोर्ड ने भागलपुर शहर का सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स तैयार करने की मंजूरी दे दी है। बिहार एसबीबी ने हेरिटेज ट्री पर एक ब्रोशर प्रकाशित किया था और विरासत पेड़ों की पहचान और संरक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे। बीएमसी के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

12-7-5 NÜkh I x<

जैव विविधता बोर्ड ने वर्ष 2022–23 में एक बैठक की। बोर्ड ने जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 मनाया और जंगली और घरेलू प्रजातियों के संरक्षण, जैव संसाधनों के सतत उपयोग, जातीय, सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण की चार श्रेणियों के तहत पुरस्कार प्रदान करके चार व्यक्तियों, छह संस्थानों और 1 बीएमसी को मान्यता दी। एसबीबी ने पीबीआर की तैयारी के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन शुरू किया और इस अवधि के दौरान मनेन्द्रगढ़ जीवाश्म पार्क, रॉक आर्ट पर प्रथम अभिव्यक्ति और प्रस्तावित पक्षी जागरूकता केंद्र पर लघु फिल्में विकसित कीं।

12-7-6 xkok

एसबीबी द्वारा 2022–23 के दौरान तीन बैठकें आयोजित की गईं। कुल 37 इलेक्ट्रॉनिक पीबीआर तैयार किए गए और वेबसाइट पर अपलोड किए गए। एसबीबी ने पीबीआर तैयार करने के लिए तीन चरण की सत्यापन प्रक्रिया (बीएमसी स्तर पर पहला चरण; ग्राम सभा स्तर पर दूसरा चरण और राज्य स्तर पर तीसरा चरण) का पालन किया और इन दस्तावेजों की गुणवत्ता में सुधार के लिए “पीबीआर पर विषयगत विशेषज्ञ समिति” को शामिल किया। बैठक ने 05.06.2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 मनाया था। इससे पहले, एक प्री-आईडीबी समारोह, “युवा जागृति”—2023 11 फरवरी 2023 को इंस्टीट्यूट मेनेजेस ब्रगांजा, पणजी में आयोजित किया गया था। बोर्ड ने जैव संसाधनों और जागरूकता सामग्री से बने उत्पादों के रंगीन प्रदर्शन के साथ एक प्रदर्शनी स्टाल की



स्थापना करके राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया। गोवा राज्य जैव विविधता संरक्षण पुरस्कार 2022 को राज्य स्तरीय उत्सव के दौरान विभिन्न श्रेणियों के तहत व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों जैसे सर्वश्रेष्ठ बीएमसी, सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता अनुसंधान, जैव विविधता उत्साही और हरित पत्रकार आदि के तहत प्रदान किया गया। गोवा ने 2 फरवरी 2023 को राया बीएमसी में विश्व वेटलैंड दिवस मनाया।

जीएसबीबी कई राज्य स्तरीय एजेंसियों या निर्णय लेने वाले प्राधिकरणों जैसे गोवा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (जीएसडब्ल्यूए), जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी और एनएएफसीसी), आत्मनिर्भर भारत के लिए नोडल एजेंसी, स्वयंपूर्ण गोवा और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (एफएमई) के औपचारिककरण के तहत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के लिए प्रमुख राज्य तकनीकी संस्थान में भी शामिल है।

पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन योजना (टैज्ज) को गोवा एसबीबी द्वारा ट्रांस-डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय (ज्क) और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (फब्) की मदद से सुगम बनाया गया था। यह प्रमाणन पीबीआर प्रलेखन की प्रक्रिया का एक परिणाम था और इससे ग्रामीण समुदाय को मदद मिलेगी। जीएसबीबी ने "गो-वन" परियोजना के तहत पोंटेमोल कुरचोरम में दूसरा बहुप्रसंस्करण केंद्र शुरू किया – आजीविका हस्तक्षेप के माध्यम से जैव संसाधनों का संरक्षण। बोर्ड ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद् डॉ वंदना शिवा की उपस्थिति में कर्टोरिम बीएमसी कार्यालय में पहला सामुदायिक बीज बैंक भी शुरू किया है।

2022-23 में, गोवा एसबीबी ने पर्यावरण मंजूरी (म्ब) के अनुपालन आवश्यकता के अनुसार जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सहयोग से गोवा सरकार की ओर से "मोपा

एयरपोर्ट प्लांटेशन प्रोग्राम” के तहत 6,39,278 पेड़ पौधे वितरित किए। लाभार्थी स्थानीय किसान और छात्र थे, जिन्हें नर्सरी बढ़ाने, पौधे वितरित करने, पौधों का पोषण करने और अभिलेखों के रखरखाव के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

12-7-7- x|t jkr

इस अवधि के दौरान गुजरात जैवविविधता बोर्ड द्वारा दो बैठकें आयोजित की गईं। बीएमसी ने 590–2022 में 23 पीबीआर अपडेट किए। राज्य में 14526 बीएमसी में से 2022–23 में 76 नई



बीएमसी की स्थापना की गई। इस अवधि में, जैव संसाधनों तक पहुंच के लिए बीडी अधिनियम की धारा 7 के तहत चार एबीएस आवेदनों को मंजूरी दी गई और धारा 24 (1) के तहत भारतीय कंपनियों से तीन पूर्व सूचना प्राप्त हुई। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 मरीन नेशनल पार्क की सहायता से खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य, जामनगर में आयोजित की गई थी।

12-7-8 gfj;k.kk

इस अवधि में हरियाणा एसबीबी द्वारा दो बैठकें आयोजित की गई थीं और गुणवत्ता सुधार के लिए बीएमसी द्वारा 6204 पीबीआर को अद्यतन किया गया है। एचएसबीबी के अधिकारी ने गोवा और गुजरात का दौरा किया ताकि पीयर टू पीयर क्रॉस लर्निंग और आपस में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा

किया जा सके। बोर्ड के अधिकारियों ने चेन्नई में आईडीबी 2022 के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया और राज्य के जैव संसाधनों और जैव विविधता संरक्षण के लिए एचएसबीबी के प्रयासों को प्रदर्शित करने वाला एक स्टाल स्थापित किया। इस अवसर पर रोहतक, भिवानी, जींद और नूंह जिलों में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया और पंजाब में जैव विविधता संरक्षण शिविर का आयोजन किया गया। एचएसबीबी ने बीएमसी की भागीदारी से विभिन्न जिलों में तकनीकी सहायता समूहों की मदद से विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस और विश्व गौरैया दिवस भी मनाया है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 हथिनीकुंड बैराज, यमुनानगर में अधिकारियों, स्थानीय बीएमसी और स्वयंसेवकों के सक्रिय समर्थन से आयोजित की गई थी। एचएसबीबी ने सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय कृषि मेले में भाग लिया और प्रदर्शनी स्टाल लगाया। एचएसबीबी, हरियाणा वन और वन्यजीव विभागों ने संयुक्त रूप से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के रामसर साइट पर जी 20 प्रतिनिधियों के लिए एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। एचएसबीबी ने जीवन विज्ञान के छात्रों के लिए वर्गीकरण और सिस्टमैटिक्स में क्षमता निर्माण पर तीन दिवसीय कार्यक्रम और बीएमसी सदस्यों के लिए जैव विविधता संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न विषयों के कुल 75 प्रतिभागियों, संसाधन व्यक्तियों, वन अधिकारियों और बीएमसी सदस्यों ने स्थानीय जैव विविधता की पहचान, हर्बेरियम की तैयारी, वन्यजीव जनगणना और प्रलेखन की विधि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अभ्यास में शामिल हुए। प्रतिभागियों को पीबीआर और पारंपरिक ज्ञान के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया। राज्य स्तरीय पीबीआर गुणवत्ता निगरानी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने बीएमसी प्रतिनिधियों से मिलने और पीबीआर में दर्ज आंकड़ों को मान्य करने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों और ब्लॉकों का दौरा किया और दस्तावेज़ की गुणवत्ता में सुधार का सुझाव दिया।

12-7-9 fgekpy çn'k

इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश द्वारा तीन जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किए गए थे और 1989 इलेक्ट्रॉनिक पीबीआर तैयार किए गए थे। प्राप्त कुल 50 आवेदनों में से 2022-23 में चार। 11 आवेदनों को मंजूरी दी गई। 13 जून, 2022 को "जैव विविधता अधिनियम, 2002 और इसकी पहुंच और लाभ साझाकरण प्रावधान" पर एक औद्योगिक संवाद सह जैव संसाधन सम्मेलन आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण चिन्हित औषधीय पौधों की प्रजातियों की खेती, कटाई और कटाई के बाद की तकनीक पर दो दिवसीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना कांगड़ा के बैजनाथ ब्लॉक, हमीरपुर के भोरंज ब्लॉक और ऊना जिले के गगरेट ब्लॉक के 25 विभिन्न जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के 50 प्रगतिशील किसानों के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड,



क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्र उत्तर क्षेत्र-८ जिला मंडी में 19 से 22 जुलाई 2022 तक बनाई गई है। जैव विविधता अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर सभी 12 जिला पंचायत अधिकारियों (डीपीओ) के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। 07 बीएमसी (कथोली, सुकनारा, लुडरेट, नगरोंटा सूरियां, बासा, खब्बल, घाड़) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण-सह-एक्सपोजर कार्यक्रम 16 से 17 जनवरी को आयोजित किया गया था, जिसके दौरान 07 बीएमसी और ग्राम पंचायतों के 36 सदस्यों को मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इन प्रशिक्षित सदस्यों ने कांगड़ा जिले के पोंग बांध में हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा 31 जनवरी 2023 को आयोजित एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 में भाग लिया।

12-7-10 >kj[kM

एक बोर्ड बैठक (अपनी श्रृंखला में 18वीं) 27.07.2022 को आयोजित की गई थी। 31 मार्च 2023 तक, सभी बीएमसी में 4689 बीएमसी का गठन और प्रलेखित पीबीआर का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, बोर्ड द्वारा "झारखंड की संकटग्रस्त प्रजाति", जैबा बिबिधाता अधिनियम, 2002 के जैबा विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) संबंध मुख्य अंश" और "आमजन हेतु सरल रूप में जयबिविधाता संबंध लोकोपयोगी जानकारी" नामक तीन पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं। बोर्ड ने 2023 के लिए एक वार्षिक कैलेंडर निकाला जिसमें राज्य की चयनित संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाया गया है। आईडीबी समारोह के दौरान एक राज्य स्तरीय समारोह-सह-संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली छात्र शामिल थे। बोर्ड ने शाकाय वर्ग अधिनियम, 2002 के प्रभावी कार्यान्वयन पर वन अधिकारियों के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया है। बोर्ड ने 2000 बीएमसी को कवर करते हुए झारखंड के 10 जिलों में बीएमसी के सदस्यों के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से 400 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आईडीबी 2022 समूह चर्चा, जैव विविधता पर तकनीकी सत्र और स्कूल स्तर की गतिविधियों के आयोजन द्वारा मनाया गया। चयनित किसानों को 10 से अधिक भू-प्रजातियों की फसलें उगाने, सामुदायिक बीज बैंक को बनाए रखने, जंगली गन्ने के संरक्षण, बंगाल किस्म की बकरी की खेती, वर्मी-कम्पोस्ट के साथ जैविक खेती के अभ्यास और झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी के साथ उनके सहयोग के लिए सम्मानित किया गया है। मीडिया कर्मियों को प्रिंट मीडिया में लेखों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण और संबंधित मामलों पर जागरूकता पैदा करने के लिए भी पुरस्कृत किया गया।

12-7-11 djy

एसबीबी द्वारा 2022-23 में तीन बैठकें आयोजित की गईं। इस अवधि में तीन पीबीआर को अद्यतन किया गया और 13 इलेक्ट्रॉनिक पीबीआर तैयार किए गए। एनजीटी के आदेश और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, केरल एसबीबी ने बीएमसी की सक्रिय भागीदारी के साथ देशी प्रजातियों के 71,000 पौधे लगाए हैं। केरल सरकार ने इस उद्देश्य में आधिकारिक आदेश जारी करके "जिला स्तरीय जैव विविधता समन्वय समिति" और "आभासी जैव विविधता संवर्ग" का गठन किया है। केएसबीबी ने स्थानीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एलबीएसएपी) तैयार करने के लिए 21 बीएमसी को वित्तीय सहायता प्रदान की। अथिरापिल्ली पंचायत ने एलबीएसएपी तैयार करने का काम पूरा कर लिया है। कोच्चि के लिए सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स (बिड) 2020 में जारी किया गया है और तिरुवनंतपुरम के लिए बिड का मूल्यांकन वर्तमान में प्रगति पर है। इस अवधि के दौरान,



केएसबीबी ने राज्य के 7 जिलों में फैले 14 संभावित ओईसीएम का प्रस्ताव रखा। बोर्ड द्वारा एक जागरूकता वीडियो जारी किया गया जिसमें समुद्री कछुओं के संरक्षण और त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों के बीएमसी द्वारा उठाए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। केरल एसबीबी ने 18 से 20 फरवरी, 2023 तक दूसरी राज्य जैव विविधता कांग्रेस और 15वीं बाल जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन किया। अपने कार्यों को मजबूत करने के लिए, केरल एसबीबी ने राज्य भर में 130 जैव विविधता क्लबों के लिए 3 क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया और उनकी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। बीडी अधिनियम, 2002 और एबीएस तंत्र के संबंध में तकनीकी सहायता समूहों, लाइन विभागों, अनुसंधान संस्थानों, आभासी जैव विविधता संवर्गों, पंचायत और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 27-28 फरवरी, 2023 को क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी। केएसबीबी ने चेन्नई में आईडीबी 2022 के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भाग लिया और एक प्रदर्शनी स्टाल स्थापित किया। बोर्ड ने 10 श्रेणियों जैसे सर्वश्रेष्ठ बीएमसी, हरिता व्यक्ति, पौधों/पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संरक्षक किसान, सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता स्कूल / कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ पत्रकार, सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता संरक्षण संस्थान (सरकारी / निजी) आदि के तहत जैव विविधता संरक्षण पुरस्कार की स्थापना की थी। राज्य जैव विविधता कांग्रेस के दौरान मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।

12-7-12 dukVd

एसबीबी ने समीक्षाधीन अवधि में 4 बैठकें बुलाई और बीएमसी की स्थापना का कार्य रिपोर्टिंग अवधि से पहले पूरा किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002, एबीएस विनियम 2014, औषधीय पौधों के संरक्षण में बीएमसी और राज्य वन विभाग के कर्मचारियों की भूमिका, संबंधित ज्ञान और टिकाऊ उपयोग विषयों पर राज्य भर में जैव विविधता प्रबंधन समितियों, अग्रिम पंक्ति वन कर्मचारियों, लाइन विभाग के अधिकारियों, स्थानीय समुदायों, कॉलेज और स्कूल के छात्रों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। केबीबी ने प्रजातियों, उनके संरक्षण की स्थिति और 57 अधिसूचित औषधीय पौधों की छवियों के विस्तृत विवरण के साथ कर्नाटक के व्यावसायिक रूप से शोषित व्यापारिक पौधे नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। बोर्ड ने जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002, कर्नाटक जैव विविधता नियम, 2005 और एबीएस विनियम 2014 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए 90 फर्मों को कानूनी नोटिस जारी किए। इस अवधि में 280 पीबीआर को अद्यतन किया गया है। केबीबी ने एनबीए द्वारा आयोजित आईडीबी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी भाग लिया है और एक प्रदर्शनी स्टाल लगाया है।

12-7-13 eè; çn'k

2022-23 में मध्यप्रदेश ने अनूपपुर ज़िले में एक नवीन जैव विविधता विरासत स्थल, अमरकंटक घोषित किया और भोपाल और इंदौर शहरों के लिये नगर जैव विविधता सूचकांक की रिपोर्ट जारी की। बोर्ड ने बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 56 के तहत एक मामला दर्ज किया और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए एक कंपनी पर जुर्माना लगाया। एमपी एसबीबी ने





रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान प्राप्त 1205 में से 877 एबीएस आवेदनों को मंजूरी दी। एमपीएसबीबी ने अग्रिम पंक्ति के वन अधिकारियों, व्यापारियों, निर्माता और पारंपरिक चिकित्सकों के बीच बीडी अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न वन मंडलों के लिए चार कार्यशालाओं का आयोजन किया। इस अवधि के दौरान आयोजित 129 बीएमसी बैठकों के अलावा डिजिटल और गतिशील पीबीआर के उन्नयन की दिशा में बीएमसी सदस्यों के लिए कुल 23 प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। एमपीएसबीबी ने निर्वाचित सरपंच और पंचायत सचिव के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जनपद स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया। स्थानीय हितधारकों को शामिल करने के लिए एमपी एसबीबी द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में ग्राम मेला शरदोत्सव 2022, मोगली बाल उत्सव, 2022, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला 2022, जैव विविधता प्रदर्शनी और मध्य प्रदेश की कम ज्ञात जीव प्रजातियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन शामिल हैं।

12-7-14 egjk"V

इस वर्ष एक बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना अनुमोदित की थी। बोर्ड ने स्थानीय स्वशासन और जैव विविधता विरासत स्थलों पर ब्रोशर प्रकाशित किए। महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, वाथोडा नागपुर और सामाजिक वानिकी विभाग नागपुर के सहयोग से 28 जुलाई 2022 को लॉ यूनिवर्सिटी के परिसर में राष्ट्रीय संरक्षण दिवस का आयोजन किया। महाराष्ट्र एसबीबी ने फरवरी-मार्च 2023 के दौरान बीएमसी सदस्यों के लिए कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम और जिला स्तरीय कार्यशालाएं और मौजूदा पीबीआर के उन्नयन का आयोजन किया।

12-7-15 ef.kij

वर्ष के दौरान, एक बोर्ड बैठक 04.11.2022 को आयोजित की गई थी। पहाड़ी जिलों के आठ क्षेत्रीय वन प्रभागों और घाटी के दो क्षेत्रीय वन प्रभागों में से प्रत्येक में एक दिवसीय क्षमता निर्माण



कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बोर्ड ने छह वन प्रभागों में होर्डिंग लगाए हैं और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए मणिपुर के दुर्लभ और खतरे वाले पौधों पर पर्चे प्रकाशित किए हैं।

12-7-16 e?kky ;

रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान मेघालय एसबीबी द्वारा तीन बैठकें आयोजित की गईं। एक अधिसूचना में, राज्य के 4 जिलों में विभिन्न सरकारी स्कूलों के हेड मास्टर्स को संबंधित बीएमसी के पदेन सचिव के रूप में सौंपा गया है। मेघालय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (डटै।च) 2017–2030 का संशोधन प्रगति पर था। आईडीबी 2022 के अवसर पर मुख्य अतिथि और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा जैव विविधता पर तीन पोस्टर जारी किए गए, जिसका शीर्षक था, “मेघालय के खासी और जयंतिया पहाड़ियों के हाइड्रोफाइट्स, खासी और जयंतिया हिल्स की जंगली हेडिचियम प्रजातियां और मेघालय में एक अन्य प्रसिद्ध औषधीय पौधा, क्लेरोडेंड्रम कोलब्रुकियानम”। जैव विविधता संरक्षण पर जनता के बीच समझ को बढ़ावा देने और बढ़ाने के उद्देश्य से मेघालय एसबीबी द्वारा 23 मई 2022 को एमईईसीएल, माध्यमिक विद्यालय, नोंगस्टर, उमियाम, री-भोई जिले में स्कूली छात्रों, बीएमसी सदस्यों, उमियम झील के जलग्रहण क्षेत्र के पास के इलाकों के ग्राम प्रधानों, वन अधिकारियों और अन्य हितधारकों को शामिल करके जैव विविधता संरक्षण पर जनता के बीच समझ



को बढ़ावा देने और बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया गया। मेघालय के विभिन्न जिलों/ब्लॉकों में बीएमसी के संचालन, पीबीआर के उन्नयन और राज्य में एबीएस के कार्यान्वयन के लिए चौदह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एशियाई जल-पक्षी जनगणना (Ib) 19 फरवरी 2022 को उमियम झील में आयोजित की गई थी। राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कार 2022 को उस क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर महसीर मछली और कछुओं के प्राकृतिक आवास की रक्षा और संरक्षण के लिए उत्तरी गारो हिल्स, बाजंगडोबा ब्लॉक की डिरिक नदी में स्थित अरुआकग्रे मछली

और कछुआ अभयारण्य के संरक्षण के लिए 'अरुआकग्रे विलेज बीएमसी को भी सम्मानित किया गया। पूर्वी खासी हिल्स जिले के मवलाई किंटन मसर बीएमसी ने उमसोहलांग धारा के कायाकल्प के लिए सर्वश्रेष्ठ बीएमसी पुरस्कार भी जीता।

12-7-17 fe tkje

बोर्ड ने ग्राम स्तर पर 884 बीएमसी का गठन किया है और 2022-23 के दौरान राज्य के 10 जिलों में कुल 100 पीबीआर को अपग्रेड और मान्य किया गया है। मिजोरम एसबीबी ने 3 बीएमसी सदस्यों के साथ चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया और ख्वाजावाल जिले के बीएमसी को शामिल करके ख्वाजा में राज्य स्तरीय उत्सव हुआ। मिजोरम एसबीबी ने राज्य के 10 ग्रामीण विकास खंडों (दारलॉन, संगारु, लांगतलाई, रीक, तुइपांग, खवाबंग, खवाजोल, नगोपा, सैतुअल और बिलखवथलिर) से बीएमसी के 10 सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

12-7-18 ukxkyM



एसबीबी राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एसबीएसएपी) को संशोधित करने की प्रक्रिया में था। 2022-23 में, ग्राम स्तर पर तीन पीबीआर तैयार किए गए हैं और 35 पीबीआर अपडेट किए गए हैं इस अवधि में शैक्षणिक अनुसंधान के संचालन के लिए 13 आवेदनों को मंजूरी दी गई थी।

12-7-19 vkfM'kk

2022-23 के दौरान, ओडिशा जैव विविधता बोर्ड द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। रिपोर्ट के तहत इस अवधि में दो जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया गया था। बोर्ड द्वारा दो वृत्तचित्र फिल्मों, "एन ईगल आई व्यू" और "द टेल्स ऑफ गंधमर्दन" का निर्माण किया गया



था। इस अवधि में पीबीआर तैयार करने के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर एक विवरणिका भी जारी की गई थी। बीएमसी सदस्यों के लिए नौ क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए और राज्य के 25 इको-टूरिज्म स्थलों में इको-गाइड और प्रकृतिवादियों के लिए 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम और जिला स्तर पर कुल 221 पीबीआर को अपडेट किया गया था।

12-7-20 itkc

पंजाब जैव विविधता बोर्ड ने पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पीएससीएसटी) के सहयोग से 22.05.22 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आईडीबी) के अवसर पर लघु फिल्म श्रृंखला की एक वर्ष की स्क्रीनिंग शुरू की, ताकि पंजाब की सांस्कृतिक विरासत में जैव विविधता की प्रासंगिकता को उजागर किया जा सके। आईडीबी के राष्ट्रीय स्तर के उत्सव के लिए 22 मई,



2022 को चेन्नई, तमिलनाडु में बोर्ड द्वारा एक प्रदर्शनी स्टाल लगाया गया था। पीबीआर अपडेशन के लिए फील्ड प्रक्रिया के दौरान 80 (80) जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें एनबीए की वित्तीय सहायता के तहत ब्लॉक स्तरीय बीएमसी के लिए सात कार्यक्रम और ग्राम स्तरीय बीएमसी के लिए 73 कार्यक्रम शामिल थे।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और मास्टर प्रशिक्षकों के लिए पीबीआर के उन्नयन और बीएमसी के संचालन से संबंधित तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोर्ड ने विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2022 को चैज के सहयोग से "पंजाब के संकटग्रस्त वनस्पतियों और जीवों" पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की थी। बोर्ड द्वारा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के सहयोग से विथानिया कोगुलान्स के लिए संरक्षण रणनीतियों का



विकास पंजाब का एक संकटापन्न उच्च मूल्य औषधीय पौधा नामक एक विशेष परियोजना कार्यान्वित की गई है। पीबीबी ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के सहयोग से और बीएमसी सदस्यों के सक्रिय समर्थन से 20 और 21 जनवरी 2023 को हरिके वन्यजीव अभयारण्य वेटलैंड, तरनतारन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर साइट पर एशियाई जल पक्षी जनगणना की। गांवों में पंजाब की एक संकटग्रस्त प्रजाति टेकोमेला अंडुलता (रोहेड़ा) के 500 पौधे और बीडी अधिनियम की धारा 38 के तहत अधिसूचित विलुप्त होने वाली प्रजातियों को 3 गांवों अर्थात डबावली रोहेरियावाली (जिला श्री मुक्तसर साहिब), रोहरियावाली (जिला फाजिल्का), रुहेरियावाली (जिला श्री मुक्तसर साहिब) में ग्राम बीएमसी और संबंधित ग्राम पंचायतों की भागीदारी के साथ लगाया गया था।

12-7-21 jk t LFkku

इस वर्ष के दौरान, राजस्थान एसबीबी ने ग्राम पंचायत में 9,768 बीएमसी और ब्लॉक स्तर पर 289 बीएमसी स्टेशन, नगर पल्लिका स्तर पर 193 बीएमसी और जिला परिषद स्तर पर 33 बीएमसी का गठन किया है। अंतराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 राजस्थान के विभिन्न जिला मुख्यालयों में मनाया गया और उदयपुर संभाग में विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस के सभागार में एक विशाल कार्यशाला के रूप में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। सांभर साल्ट लेक के लिए सीमांत गांवों के लिए स्थानीय युवाओं के माध्यम से बीएमसी के प्रचार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पीबीआर तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार की मदद से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

12-7-22 flfôe

वर्ष के दौरान 17.04.2022 को एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। सिक्किम एसबीबी ने बीएमसी का गठन किया और राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पीबीआर तैयार किए। नर बहादुर भंडारी राजकीय डिग्री कॉलेज, तडोंग में प्राणि विज्ञान विभाग के सहयोग से आईडीबी मनाया गया। बोर्ड ने बीडी अधिनियम 2002, पीबीआर की उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों पर बीएमसी के लिए जागरूकता-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। "बीज बैंक: बदलती जलवायु के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक दृष्टिकोण" विषय पर 30 बीएमसी के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सिक्किम एसबीबी और बीएमसी सदस्यों के अधिकारियों ने चेन्नई में आईडीबी 2022 के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया।

12-7-23 rfeyukM

अरुणाचल प्रदेश, मद्रास जिले में एक जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तमिलनाडु एसबीबी ने भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में एक प्रदर्शनी स्टाल स्थापित किया अगर आईडीबी 2022 चेन्नई में आयोजित किया गया। विभिन्न जिलों के बीएमसी सदस्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के साथ बातचीत की। इस वर्ष बोर्ड को धारा 24(1) के अंतर्गत भारतीय संस्थाओं से 14 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें एनबीए के पूर्वानुमोदन की मांग की गई थी।

12-7-24 rlyxkuk

एसबीबी ने हैदराबाद के लिए शहर जैव विविधता सूचकांक जारी किया है और राज्य में दो संभावित ओईसीएम (अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों) की पहचान की है। प्क 2022 के अवसर पर "हेरिटेज ट्रीज़ ऑफ़ हैदराबाद ब्रिटिश रेजीडेंसी दृष्टि ए लिगेसी फॉर फ्यूचर जेनरेशन" नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। टीएसबीबी ने निबंध लेखन, फोटोग्राफी, एलोक्यूशन, पारंपरिक नृत्य, स्लोगन लेखन आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन आयोजन करके इस अवसर का जश्न मनाया और साथ ही जैव विविधता प्रश्नोत्तरी, जैव विविधता रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन द्वारा ऑफलाइन इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 'जैव विविधता, पोषण सुरक्षा और मानव कल्याण' विषय पर विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित प्रदर्शन स्टालों के साथ एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के सदस्यों, संबंधित विभागों के अधिकारियों और छात्रों सहित राज्य भर के 350 से अधिक लोगों ने सेल में भाग लिया।

आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, जैट ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (९) और तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिप्पे) के सहयोग से जैव विविधता परिसर, गाचीबोवली में राज्य की संकटग्रस्त प्रजातियों को लगाया। विश्व सफाई दिवस 2022 के अवसर पर, नगर पालिका के स्थानीय बीएमसी और टीएसबीबी ने अमीनपुर झील के बीएचएस में सफाई अभियान चलाया। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 अमीनपुर झील में हैदराबाद बर्डिंग पाल्स के सहयोग से आयोजित किया गया था। आर्द्रभूमि संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, जिला परिषद स्कूल, अमीनपुर के सहयोग से स्वच्छता अभियान और पेंटिंग, निबंध और वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताओं जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। टीएसबीबी ने जैव विविधता अधिनियम 2002 पर बीएमसी सदस्यों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और वानापर्षी जिला परिषद जैव विविधता प्रबंधन समिति के सहयोग से पीबीआर की तैयारी में भी प्रयास किया था। इस अवधि के दौरान, अधिनियम की धारा 23 (बी) के तहत जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए दो आवेदन अनुमोदित किए गए थे।

12-7-25 f=i,jk

त्रिपुरा राज्य द्वारा 2022-23 में पांच जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) को अधिसूचित किया गया था। टीबीबी ने साइंस सिटी, अगरतला में एक जैव विविधता गैलरी तैयार की, जिसका उद्घाटन 4 जनवरी, 2023 को त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री ने किया। 17 जनवरी, 2023 को वन मुख्यालय, अगरतला में सभी लघु वनोपज व्यापारियों के साथ बैठक हुई। त्रिपुरा जैव विविधता बोर्ड





ने बीएमसी के अध्यक्ष और पंचायत सचिवों और पंचायत विस्तार अधिकारियों के लिए बीएमसी का ब्लॉक-वार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शुरू किया। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम अंबासा, मनु, चौमनु, माताबारी, जम्पुई हिल, लालजुरी, दमचेरा और दासदा के 8 ब्लॉकों में आयोजित किए गए, जिसमें कुल 169 ग्राम स्तरीय बीएमसी शामिल थीं। त्रिपुरा जैव विविधता बोर्ड ने 31 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड का दौरा किया है। त्रिपुरा बोर्ड ने आईडीबी 2022 के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया और "जैव विविधता, पोषण सुरक्षा और मानव कल्याण" विषय पर जैव संसाधनों के प्रदर्शन के लिए एक प्रदर्शनी स्टाल स्थापित किया। टीबीबी ने 22 मई, 2022 को विभिन्न आयु समूहों के प्रतिभागियों की बड़ी संख्या में भागीदारी करके निबंध, पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं, साइकिल रैली, वृक्षारोपण, सेमिनार, ई-पुस्तकों के शुभारंभ आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों



के माध्यम से राज्य स्तरीय आईडीबी का आयोजन किया। एशियाई जल-पक्षी जनगणना (Ib) जट्ट द्वारा 2, 3, 4 और 5 फरवरी, 2023 को सिपाहीझाला, गोमती, पश्चिम, दक्षिण, धलाई और उनाकोटी जिलों में आयोजित की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या यानी 5 जून 2022 को जट्ट ने लाइफटाइम बायोडायवर्सिटी टेबल कैलेंडर तैयार और जारी किया है। 2022-23 में राज्य के 100 बीएमसी के बीच कुल 15,00,000/- रुपये का एबीएस फंड वितरित किया गया था।

12-7-26 mÜkj[kM

एसबीबी द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को एक बैठक बुलाई गई थी। अब तक 29 पीबीआर सहित 1629 पीबीआर को अद्यतन किया गया है, जिन्हें यूएनडीपी द्वारा वित्त पोषित सुरक्षित हिमालय परियोजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इस दौरान प्राप्त 41 एबीएस आवेदनों में से सभी को मंजूरी दे दी गई। उत्तराखंड वन विभाग और देहरादून चिड़ियाघर के सहयोग से एक दिवसीय कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया।



12-7-27 mÙkj çn'k

इस अवधि में यूपीएसबीबी की एक बैठक आयोजित की गई थी। यूपी राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना की तैयारी 2022-23 में पूरी हुई। उत्तर प्रदेश के हेरिटेज ट्री पर एक कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की गई। बोर्ड को भारतीय संस्थाओं से छह एबीएस आवेदन प्राप्त हुए,



जिन्हें सभी ने मंजूरी दे दी। जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बीएमसी के सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के लिए हस्तिनापुर, मेरठ, मथुरा, गोंडा, दुधवा टाइगर रिजर्व (लखीमपुर-खीरी) में कई कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। बोर्ड के अधिकारियों और बीएमसी के सदस्यों ने चेन्नई

में आयोजित आईडीबी 2022 के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया और स्थानीय संसाधनों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी स्टाल लगाया।

12-7-28 if'pe cky

इस अवधि में पश्चिमी बंगाल जैवविविधता बोर्ड द्वारा दो बैठकें आयोजित की गईं। राज्य ने 2022-23 में अमखोई वुड फॉसिल पार्क, चार बलिडांगा, राज्य बागवानी अनुसंधान और विकास स्टेशन और नमथिंग पोखरी में 4 नए जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया। स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न स्तरों पर 20 पीबीआर को अद्यतन किया गया है। इस दौरान भारतीय कंपनियों से कुल 18 एबीएस आवेदन प्राप्त हुए। बोर्ड ने जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूल के छात्रों के लिए 20 बायो-टूर कार्यक्रम आयोजित किए। बीएमसी सदस्यों, जिला अधिकारियों और लाइन विभागों के अधिकारियों के लिए राज्य के 19 जिलों में जैव विविधता संरक्षण और जागरूकता पर जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 मनाया गया और जमुरिया ब्लॉक, पश्चिम बर्धमान जिले के राधेश्याम गरई को जिले के लगभग बंजर क्षेत्र और कोलियरी बेल्ट में वृक्षारोपण के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण में उनके सराहनीय प्रयास के लिए पुरस्कृत किया गया। बोर्ड ने चेन्नई में आयोजित आईडीबी 2022 के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी भाग लिया है और बीएमसी सदस्यों द्वारा एक प्रदर्शनी स्टाल स्थापित किया है।





राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के पांच ब्लॉकों में स्थानीय पिछड़े समुदाय को शामिल करके पारंपरिक चावल किस्मों और सब्जियों की 40 स्वदेशी किस्मों सहित स्वदेशी फसलों की बहाली का कार्य किया जा रहा है। बोर्ड ने 10 जिलों में स्वदेशी मछलियों के पुनरुद्धार के लिए एक परियोजना शुरू की है। 2022–23 के दौरान, राज्य के 15 शिक्षण संस्थानों में तितली संरक्षण क्षेत्र विकसित करने पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। पर्यावरण विभाग ने राज्य में 13 जैव विविधता पार्कों की स्थापना पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए एसबीबी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

12-7-29 tEe vkj d'ehj

2022–23 में यूटी जैव विविधता परिषद की एक बैठक आयोजित की गई। संघ राज्य क्षेत्र में जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान के लिए एक उप-समूह का गठन किया गया था। जम्मू-कश्मीर जैव विविधता परिषद ने दोनों शहरों के लिए स्थानीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एलबीएसएपी) की तैयारी के अलावा जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए शहर जैव विविधता सूचकांक विकसित किया। जम्मू-कश्मीर जैव विविधता परिषद ने 20 अगस्त, 2022 को वन परिसर, शेख बाग, श्रीनगर में जैव विविधता संरक्षण और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन पर प्रशिक्षकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। जैव विविधता परिषद ने 22 से 26 अगस्त, 2022 तक एनबीए के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (ई-पीबीआर) की तैयारी और प्रवासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया। यूटीबीसी द्वारा बीडी अधिनियम, बीडी नियम, पीबीआर और बीएमसी के सुदृढीकरण पर एसकेयूएसटी-के शालीमार

कैंपस, श्रीनगर में 29 जून, 2022 को और 7 फरवरी, 2023 को जम्मू में भी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चिनार ट्री पर एक विशेष आवरण 2022-23 में डाक विभाग द्वारा "चिनार-द हेरिटेज एंड कल्चरल लिगेसी ऑफ जम्मू-कश्मीर" नामक एक पुस्तिका के अलावा जारी किया गया था। इस अवधि में यूटीबीसी द्वारा "जंगल जायब बिबिधाता", "पोलिनेटर्स: नेचर्स मिरेकल वर्कर्स" पर एक पुस्तिका और "पीबीआर: एक सिंहावलोकन" पर एक द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) ब्रोशर जारी किया गया था।

12-7-30 yík[k

इस अवधि के दौरान, लद्दाख में ग्राम स्तर पर 93 बीएमसी और नगरपालिका स्तर पर 2 बीएमसी का गठन किया गया है। जीओएल-यूएनडीपी-जीईएफ सुरक्षित हिमालय परियोजना के अंतर्गत जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। 2 पीबीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। लद्दाख जैव विविधता परिषद ने जैव विविधता अधिनियम और बीएमसी की भूमिका पर स्थानीय भाषा में एक लघु, एनिमेटेड फिल्म तैयार की। आईडीबी के अवसर को चिह्नित करने के लिए, चुमाथांग बीएमसी के सदस्यों ने यूएनडीपी सिक्योर हिमालय सहयोगियों और नरोपा फ़ैलोशिप कार्यक्रम के छात्रों के साथ गांव में एक सफाई अभियान चलाया था। गांव से होकर गुजरने वाले प्रमुख नालों को साफ किया गया। लद्दाख जैव विविधता परिषद के एक अधिकारी के साथ 3 बीएमसी सदस्यों के एक समूह ने आईडीबी राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने और जैव संसाधनों की एक प्रदर्शनी की स्थापना के लिए चेन्नई का दौरा किया।





प्रदर्शनी में विभिन्न कृषि जैव संसाधनों, भेड़ और याक से विभिन्न प्रकार के ऊन, ऊनी उत्पाद जैसे कालीन, शॉल, जूते, गुलेल आदि, औषधीय और सुगंधित पौधों को प्रदर्शित किया गया। जीओएल-यूएनडीपी-जीईएफ सुरक्षित हिमालय परियोजना के तहत, चांगथांग के चार ब्लॉकों में क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें पंचायत स्तर पर 20 बीएमसी शामिल थे। एशियाई जलपक्षी जनगणना 2023 17 जनवरी और 19 जनवरी 2023 के बीच ळव-न्छक्-ळ् सुरक्षित हिमालय परियोजना के सहयोग से पूर्वी लद्दाख, चुमाथांग और पुगा के दो महत्वपूर्ण गर्म झरनों के साथ-साथ त्सो कार जैसे अन्य महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों और शे और फे गांवों में सिंधु नदी के किनारे आयोजित की गई थी। जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, सेव चांगथांग, स्नो लेपर्ड कंजर्वेसी, वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड्स क्लब लद्दाख और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के प्रतिनिधियों ने तीन दिवसीय सर्वेक्षण में भाग लिया।

12-5-30 y{k}hi

जैव विविधता परिषद ने स्थानीय बीएमसी की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आईडीबी) 2022 के उत्सव के दौरान द्वीपों में मॉडल तैयार करने और स्पॉट फोटोग्राफी के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। परिषद ने आईडीबी 2022 के एक भाग के रूप में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए लैगून और समुद्र तट सफाई अभियान का भी आयोजन किया है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

प्राधिकरण के अध्यक्ष

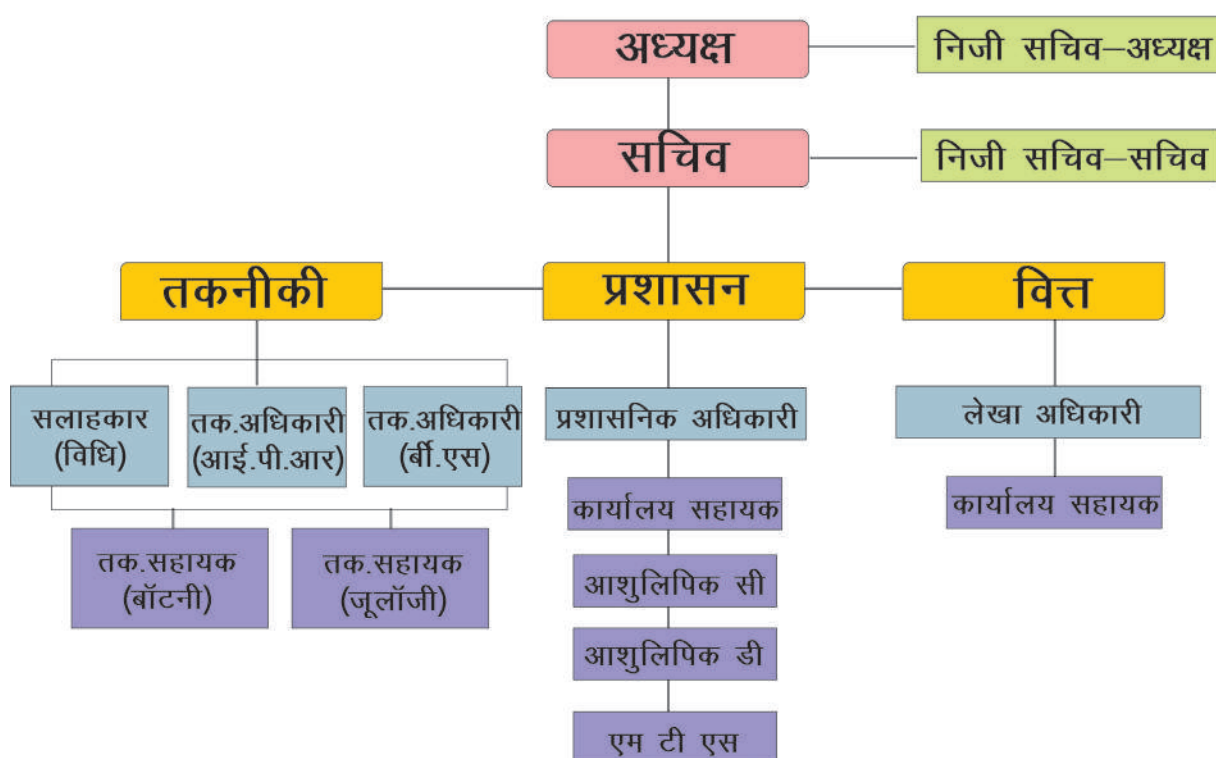
जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 (4ए) के अनुसार प्राधिकरण के सदस्य इस प्रकार हैं:

अध्यक्ष	अवधि
श्री सी. अचलेन्दर रेड्डी, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	1 सितंबर 2022— वर्तमान तक
श्री नरेश पाल गंगवार, भा.प्र.से.	1 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2022
डॉ. वि.बि. माथुर	1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2022
डॉ. ए.के. जैन, आईएएस	09 फरवरी 2018 — 31 अगस्त 2019
डॉ. (सुश्री). बी. मीनाकुमारी	09 फरवरी 2016 — 08 फरवरी 2018
श्री हेमपांडेय, आईएएस	06 फरवरी 2014 — 08 फरवरी 2016
डॉ. बालकृष्ण पिसुपति	12 अगस्त 2011 — 05 फरवरी 2014
श्री एम.एफ. फारुकी, आईएएस	11 नवंबर 2010 — 11 अगस्त 2011
डॉ. पी.एल. गौतम	31 दिसंबर 2008 — 3 नवंबर 2010
श्री पी.आर. मोहंती, आईएएस	01 अक्टूबर 2008 — 31 दिसंबर 2008
श्री जी.के. प्रसाद, आईएएस	20 मई 2008 — 30 सितंबर 2008
डॉ. एस. कन्नैयन	20 मई 2005 जव 19 मई 2008
श्री विश्वनाथ आनन्द, आईएएस	01 अक्टूबर 2003 — 14 जुलाई 2004

अनुलग्नक 2

संगठन चार्ट

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का संगठन चार्ट



इन अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा, एनबीए को नियम 12(6) के अनुसार तकनीकी और विविध मामलों में सहायता करने के लिए परामर्शदाताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक 3

कर्मचारियों की संख्या

पद	मंजूर	भरी हुई	रिक्त
अध्यक्ष	1	1	.
सचिव	1	1	.
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	.
निजी सचिव . अध्यक्ष	1	1	.
लेखा अधिकारी	1	1	.
तकनीकी अधिकारी	2	1	1
सलाहकार (विधि)	1	1	.
निजी सचिव . सचिव	1	1	.
कार्यालयधकंप्यूटर सहायक	2	2	.
तकनीकी सहायक	2	2	.
आशुलिपिक –सी	1	1	.
आशुलिपिक –डी	1	1	.
एमटीएस	1	1	.
योग	16	15	1

अनुलग्नक 4

नागरिक चार्टर

1.1 दृष्टि

भारत की समृद्ध जैव विविधता और लोगों की भागीदारी के साथ जुड़े ज्ञान का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई के लिए लाभ साझा करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

1.2 मिशन (ध्येय)

जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 और जैव विविधता नियम, 2004 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

1.3 अधिदेश

- भारत के जैव-संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों की पुष्टि करना और जैव-संसाधनों और ६ या संबद्ध ज्ञान के दुरुपयोग की रोकथाम में योगदान देना
- संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित नीति और समर्थन प्रदान करना।
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश, विस्तार सामग्री तैयार करके और हितधारकों तक पहुंचने और उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकर गतिविधियों को विनियमित करना।
- अन्य देशों में व्यक्तियों को बौद्धिक संपदा अधिकार या भारत के किसी भी जैविक संसाधन या भारतीय मूल के ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान के अनुदान का विरोध करने के उपाय करना।

- ⊙ राज्य सरकारों को उनके क्षेत्र-विशिष्ट जैव विविधता के संबंध में सलाह देना और विरासत स्थलों को अधिसूचित करना और उनके प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए उपाय सुझाना।
- ⊙ जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने के लिए मार्गदर्शन, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ⊙ जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना।

1.4 हितधारक

जैव विविधता एक बहु-विषयक विषय है जिसमें विभिन्न गतिविधियां, पहल और जैव विविधता में कई हितधारक शामिल हैं जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत राज संस्थान और नागरिक समाज संगठन, उद्योग, गैर सरकारी संगठन, अनुसंधान और विकास संस्थान, विश्वविद्यालय और बड़े पैमाने पर जनता शामिल हैं।

1.5 प्रस्तावित सेवाएं

- ⊙ जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग से संबंधित संवर्धन।
- ⊙ राज्य जैव विविधता बोर्डों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की गतिविधियों का समन्वय।
- ⊙ तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके अध्ययन और अनुकूलक ६ परिचालन जांच और आवश्यक अनुसंधान को प्रायोजित करना और आवश्यक पाए गए अध्ययनों को चालू करना।
- ⊙ जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के लाभों के समान बंटवारे से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।
- ⊙ अनुसंधान के परिणामों को हस्तांतरित करने, बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने, अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए एक्सेस किए गए जैव-संसाधन के तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के लिए भारत में होने वाले जैविक संसाधनों या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

- सभी हितधारकों द्वारा जैव-संसाधन तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना और पारदर्शी रूप से जैव विविधता के उपयोगकर्ताओं और संरक्षकों के बीच समान लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करना।

1.6 शिकायत निवारण तंत्र

प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए नामित अधिकारी है। कोई भी शिकायत इन्हें संबोधित की जा सकती है—

प्रशासनिक अधिकारी
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण,
टाइसल बायो पार्क,
5 वीं मंजिल, सीएसआईआर रोड, तारामणि,
चेन्नई –600113
फोनरू 044-22542777, 1075य विस्ताररू 27
फैक्सरू 044-22541200
ई-मेल: admn@nba.nic.in

1.7 नागरिकों/ग्राहकों से अपेक्षाएं

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की भावना को आत्मसात करना और बढ़ावा देना और प्रकृति के कानूनों के प्रति सम्मान करना और मानव जाति के समग्र हित में एनबीए और एसबीबी द्वारा गतिविधियों को पूरा करने के लिए सहयोग देना।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

68वीं प्राधिकरण बैठक में मसौदा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुलग्नक ८ के रूप में रखी जायेगी

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली

DGA(E&SD)/EA/SAR/NBA/2022-23/OIOS/PR-72596/160

DATED:

सेवा में,
The Secretary
National Biodiversity Authority,
TICEL BIO PARK,
5th Floor, Taramani Road,
Taramani, Chennai 600113.

31 OCT 2023



विषय: **Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year ended 31st March 2023**

महोदय,

मुझे वर्ष 2022-23 के लिए **National Biodiversity Authority, Chennai** का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया / अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

संलग्नक:-पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भवदीया,

SD/-

उपनिदेशक (पर्या.ले.)

Copy to:

DGA(E&SD)/EA/SAR/NBA2022-23/OIOS/PR-72596

DATED:

सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अली गंज जोर बाग रोड,
नई दिल्ली -110003

भवदीया

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year ended 31st March 2023

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Biodiversity Authority, Chennai as at 31 March 2023 and Income & Expenditure Account / Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 29(2) of Biological Diversity Act. These financial statements are the responsibility of the National Biodiversity Authority, Chennai. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc., Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that
 - i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Biodiversity Authority, Chennai as required under Section 29(2) of the Biological Diversity Act, in so far as it appears from our examination of such books.

iv) Based on our audit, we further report that

A. Balance Sheet

1.1 Schedule-7-Current Liabilities and Provisions

Establishment Expenditure

1. Understatement of Provisions for Children's Education Allowance

NBA is following accrual system of accounting as mentioned in Schedule-24 -Significant Accounting Policies. It is however observed that no provision was provided in Schedule-7 of Balance Sheet for Children Education Allowance amounting to Rs.4,12,331.00 related to year 2022-23 which will be paid in year 2023-24.

Hence provision for Establishment Expenditure under Schedule-7-Current Liabilities and Provisions in the Balance sheet was understated to the extent of Rs.4,12,331.00

Administrative Expenditure

2. Understatement of Provisions for Stipend for Interns and remuneration to Consultants.

NBA is following accrual system of accounting as mentioned in Schedule-24 -Significant Accounting Policies. Part of the Stipend for Interns and remuneration to Consultants pertaining to the month of March 2023(financial year 2022-23) amounting to Rs.3,50,235.00 paid in the financial year 2023-24. However no provision was provided in Schedule-7 of Balance Sheet for Rs.3,50,235.00 for stipend and remuneration related to the year 2022-23 which was paid in the year 2023-24.

Hence provision for Administrative Expenditure under Schedule-7-Current Liabilities and Provisions in the Balance sheet was understated to the extent of Rs.3,50,235.00

B. General

1. Non-receipt of utilization certificate.

Audit noticed that out of 1360 grants amounting to Rs. 93.54crore released during last 17 years to State Bio-Diversity Boards and other organizations for which utilization certificate are due in the year 2022-23. Utilization certificates were received only in respect of 1291

grants amounting to Rs.88.43 crore. Utilization certificates for 69 grants amounting to Rs. 5.11 crore were not received as of March 2023.

C. Grants-in-aid

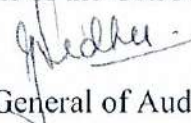
During the year 2022-23, NBA received Grants-in-aid of Rs.17.92 crore. This included unspent balance of Rs.2.42 crore revalidated from previous year. NBA could utilize a sum of Rs. 16.64 crore leaving a balance of Rs.1.28 crore as on March 2023.

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the National Biodiversity through Management letter issued Annexure – I for remedial / corrective action

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure I to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
- a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the National Biodiversity Authority, Chennai as at 31st March 2023.
- b. In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For & on behalf of the C&AG of India



Director General of Audit

(Environment & Scientific Department)

Place: New Delhi

Date: 31/x/23

1. Adequacy of Internal Audit

Internal Audit of NBA was conducted up to March 2019. As of March 2023, three reports and 12 paras were outstanding. Out of 12 paras, 2 paras pertain to the report for the period 2003-04 to 2008-09. 4 paras pertain to the report for the period 2012-13 to 2016-17. Thus 6 paras are pending for more than five years now for want of compliance from NBA.

2. Adequacy of Internal Control System

Audit noticed that functions of Drawing and Disbursing Officer and functions of pre-check and passing of payment was performed by the same official namely Accounts Officer. As a result, there was no separation of duties of Drawing and Disbursing Officer and internal audit functions. Management Information System (MIS) needs to be put in place. Control Registers such as Purchase Order Register, Expenditure Sanction Register, Register to watch receipt of utilization certificates for funds released need to be maintained.

3. System of Physical Verification of Fixed assets

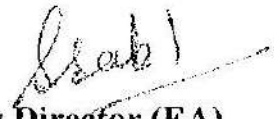
NBA conducted physical verification of assets for the year 2022-23.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory was carried out for the year 2022-23.

5. Regularity in payment of statutory dues

Test check revealed no outstanding statutory dues with NBA as of March 2023.


Dy. Director (EA)

Annexure – A

1. Schedule-1-Capital Fund

Library Books valuing Rs.11,669.00 purchased during the year 2022-23 were not taken into account in Schedule-8-Fixed Assets. This resulted in understatement of assets capitalized during the year 2022-23 by Rs.11, 669.00 in Schedule-1-Corpus/Capital fund.

2. Dormant Accounts.

NBA in its Annual Accounts depicted two Savings Accounts namely NBA-UNEP GEF ABS and ASEAN-INDIA Co-Operation projects. These two accounts were opened by NBA for implementation of projects sponsored by UNEP-GEF and ASEAN-INDIA respectively. Both the projects were completed in December 2019 and June 2020 respectively. As the projects were already completed, these accounts need to be closed forthwith.



Dep. Director(EA)